महानगर नई दिल्ली मंगलवार 4 जून, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा

केजरीवाल ने रखा प्रस्ताव, तीन महीने के भीतर अमल में लाने की योजना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने की सुविधा देने का वादा फिर दोहराया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर रही है और जनता से भी इस योजना के बाबत सुझाव मांगा है। दिल्ली की महिलाओं को तीन महीने के अंदर बस व मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। यह योजना लागू होती है तो पूरी दिल्ली में महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन से यात्रा का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत।

- कहा- प्रस्ताव से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को दिया हफ्ते भर का समय
- योजना पर सालाना सात सौ से आठ सौ करोड़ तक का खर्च, आम जनता से मांगे सुझाव

संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो को भी साथ में लिया गया है। मैंने उनसे एक हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। उधर, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली मेट्रो में केंद्र और दिल्ली सरकार की 50-50 फीसद की हिस्सेदारी है। व्यवस्था के अनुसार दिल्ली सरकार अगर कोई योजना लागू करती है तो इसे केंद्र सरकार को सूचित करना होगा या इसकी मंजूरी लेनी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वजह से दिल्ली सरकार पर करीब 700-800 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को एक सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधा मिलने से कामकाजी स्थलों पर महिलाओं की बाकी पेज 8 पर

चीन की सीमा के पास वायुसेना का विमान लापता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

भारतीय वायुसेना का एएन-32 परिवहन विमान सोमवार दोपहर असम के जोरहट से उड़ान भरने के करीब 35 मिनट बाद लापता हो गया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इस विमान में 13 लोग सवार थे। यह विमान अरुणाचल प्रदेश के मेनचुका जा रहा था। वहां का एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड चीन की सीमा से महज 35 किलोमीटर दूर है। वायुसेना ने बयान में कहा कि दुर्घटना स्थल के संभावित स्थान को लेकर कुछ सूचनाएं मिली है। हेलिकॉप्टरों को उस जगह पर भेजा गया था। हालांकि, अभी तक कोई मलबा नहीं देखा गया है।

फाइल फोटो

- असम के जोरहट से उड़ान भरने के 35 मिनट बाद टूटा रडार से संपर्क
- विमान में चालक दल के आठ सदस्य और पांच यात्री सवार
- चीन की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के मेनचुका जा रहा था विमान
- जहां लापता हुआ, वह जगह चीन की सीमा से ज्यादा दूर नहीं

उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान का एअरबेस से संपर्क टूट गया था। विमान ने असम के जोरहट से अरुणाचल के मेनचुका के लिए उड़ान भरी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में वायुसेना के उप प्रमुख से बात कर राहत एवं बचाव अभियान के बारे में जानकारी ली है। वायुसेना ने एएन-32 विमान का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को काम पर लगाया है। वायुसेना ने इस अभियान में एक सुखोई 30 लड़ाकू विमान और सी-130 स्पेशल ऑपरेशन वायुयान को लगाया है। थल सेना ने अत्याधुनिक हल्के हेलिकॉप्टर (एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर) तैनात किए हैं। वायुसेना ने कहा कि जमीन और हवा में तलाश अभियान के रातभर जारी रहने की योजना है।

लापता विमान एएन-32 पर चालक दल के आठ सदस्य और पांच यात्री सवार हैं। इस विमान ने वायुसेना के जोरहट एअरबेस से दोपहर 12.25 पर उड़ान भरी थी। करीब एक बजे उसका जमीनी नियंत्रण से संपर्क टूट गया। इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, 'कुछ समय से लापता वायु सेना के एएन-32 विमान के संबंध में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एअर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया से बातचीत की। उन्होंने मुझे वायुसेना के इस लापता विमान को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मैं इसमें सवार सभी यात्रियों बाकी पेज 8 पर

अजित डोभाल फिर बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने अपना दूसरा कार्यकाल सोमवार को शुरू किया। इस बार उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। इससे पहले बतौर एनएसए उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में डोभाल की बाकी पेज 8 पर

प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ 'साजिश' की जांच कर रहे न्यायमूर्ति पटनायक ने कहा

खुफिया एजंसियों से मंगाई और जानकारी

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को फंसाने के तथाकथित 'बड़े षड्यंत्र' की सच्चाई का पता लगाने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक ने कहा कि उन्होंने खुफिया एजंसियों सीबीआइ, आइबी और दिल्ली पुलिस से कुछ और सूचनाएं मंगवाई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सनसनीखेज आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति पटनायक को नियुक्त किया था। इन आरोपों में पीठों की 'फिक्सिंग' के आरोप भी शामिल हैं। एक वकील ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। अधिवक्ता उत्सव बैंस ने ये आरोप तब लगाए थे जब सुप्रीम कोर्ट प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की सुनवाई कर रहा था जिसमें तीन सदस्यीय जांच समिति ने कोई तथ्य नहीं पाया था।

'मैंने सीबीआइ, आइबी और दिल्ली पुलिस से कुछ और सामग्रियां मंगाई हैं। उन्होंने सामग्रियां भेज दी हैं और मैंने उन्हें देखा है। मैं हर चीज मीडिया को नहीं बता सकता। मैं बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपूंगा। अगर मैं हर चीज मीडिया को बताने लगा तो सारे गवाह हट जाएंगे।'

न्यायमूर्ति पटनायक ने ओड़ीशा के कटक से फोन पर बताया कि जांच में कुछ और समय लगेगा क्योंकि सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें कुछ और दस्तावेजों को पढ़ना होगा। जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने की संभावना से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने दस्तावेजों का अध्ययन किया है लेकिन सुराग का पता लगाने में उन्हें कुछ और दस्तावेज चाहिए।

न्यायमूर्ति पटनायक ने कहा कि वे अपने गृह नगर में छुट्टियां मना रहे हैं और जुलाई में दिल्ली लौटने पर बाकी पेज 8 पर

मायावती ने दिए गठबंधन से तौबा करने के संकेत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर क्षोभ व्यक्त करते हुए पार्टी के पदाधिकारियों से 'गठबंधनों' पर निर्भर रहने के बजाय अपना संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया है। मायावती ने आगामी उपचुनाव भी बसपा द्वारा अपने बलबूते लड़ने की बात कह कर भविष्य में गठबंधन नहीं करने का संकेत दिया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा के लिए मायावती ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि बसपा को जिन सीटों पर कामयाबी मिली उसमें सिर्फ पार्टी के परंपरागत वोट बैंक का ही योगदान रहा। सूत्रों के अनुसार बसपा अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बावजूद बसपा के पक्ष में यादव वोट स्थानांतरित नहीं होने की भी बात कही है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किए गए गठबंधन से उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने का हवाला देते हुए कहा कि अब बसपा अपना संगठन मजबूत कर खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली स्थित बसपा कार्यालय में हुई बैठक में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आरएस कुशवाहा, राज्य में पार्टी के सभी विधायक, नवनिर्वाचित सांसद, प्रदेश के सभी मंडलीय समन्वयकों के अलावा सभी जिला बाकी पेज 8 पर

- संगठन को मजबूत कर आगामी सभी चुनाव अपने भरोसे लड़ेगी बसपा
- कहा, सपा से गठबंधन के बावजूद यादव वोट नहीं मिल पाए बसपा को

कोई आधिकारिक जानकारी नहीं : सपा

लखनऊ, 3 जून (भाषा)।

बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले विधानसभा उपचुनाव लड़ने के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अखिलेश यादव ही तय करेंगे कि क्या हुआ है और इसमें कितनी सच्चाई है। चूंकि कोई आधिकारिक रुख तो है नहीं, यह तो बाहर का सुना सुनाया मामला है।

नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीद और केंद्र सरकार के सुधार के कदमों से भारी लिवाली

सूचकांक और निफ्टी रेकार्ड ऊंचाई पर

मुंबई, 3 जून (भाषा)।

केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीद और केंद्र की नई सरकार की ओर से सुधार की दिशा में कई कदम उठाए जाने के बाद भारी लिवाली से सोमवार को देश के प्रमुख शेयर बाजार अब तक के रेकार्ड उच्च स्तर पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 553 अंक व एनएसई का निफ्टी 166 अंक के उछाल के साथ बंद हुए।

तीस शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक कारोबार के दौरान दिन में एक समय 40,308.90 अंक पर पहुंच गया था। बाजार बंद होने के समय यह 553.42 अंक के भारी उछाल के साथ 40,267.62 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी दिन के कारोबार में एक समय अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर 12,103.05 अंक पर पहुंच गया, लेकिन बाद में 165.75 अंक चढ़कर 12,088.55 अंक पर बंद हुआ। दोनों सूचकांक कारोबार की समाप्ति पर अपने नए रेकार्ड उच्च स्तर पर बंद हुए।

- बंबई शेयर बाजार के सूचकांक में 553 अंक और एनएसई के निफ्टी में 166 अंक का उछाल
- शेयर बाजारों में जोरदार तेजी से निवेशकों की पूंजी 1.76 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बंबई शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1,76,402.37 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 1,56,14,416.92 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सूचकांक की 30 में से 27 कंपनियां लाभ में रहीं।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय बाजार में अन्य बाजारों की तुलना में अलग रुख देखने को मिला। कच्चे तेल की घटती कीमतें, विदेशी मुद्रा प्रवाह और रिजर्व बैंक की ओर से दर में कटौती की उम्मीद में सकारात्मक माहौल बना जिसमें निवेशकों ने जमकर निवेश किए। इसके अलावा कारोबारियों को उम्मीद है कि आम चुनाव में भारी जीत के बाद बाकी पेज 8 पर

निरस्त्रीकरण व अप्रसार पर भारत-चीन में बातचीत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन ने सोमवार को निरस्त्रीकरण, अप्रसार और हथियारों पर नियंत्रण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत-चीन द्विपक्षीय वार्ता के छठे दौर के दौरान इन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव बाकी पेज 8 पर

रक्षा मंत्री ने किया सियाचिन का दौरा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पदभार संभालने के दो दिन बाद सोमवार को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन का दौरा किया और 12,000 फुट की ऊंचाई पर विषम परिस्थितियों में सीमा की रक्षा बाकी पेज 8 पर

नई शिक्षा नीति का संशोधित मसविदा हुआ जारी

हिंदी की अनिवार्यता का कहीं नहीं जिक्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

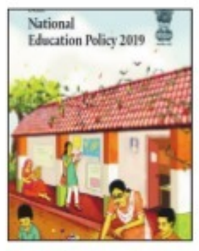

नई शिक्षा नीति के मसविदे में त्रिभाषा सूत्र को लेकर उठे विवाद के बीच सोमवार को मसविदे का संशोधित प्रारूप जारी किया गया जिसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अनिवार्य किए जाने का उल्लेख नहीं है। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्य दलों ने नई शिक्षा नीति के मसविदे में त्रिभाषा सूत्र का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि यह हिंदी भाषा थोपने जैसा है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार एआर रहमान ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हिंदी तमिलनाडु में अनिवार्य नहीं होगी। नीति के मसविदे को सही बाकी पेज 8 पर

दरअसल

कांग्रेस-राकांपा ने की कार्रवाई की मांग | अक्षम्य करतूत | भाजपा ने भी घटना की निंदा की

पहले पीटा, फिर राखी बंधवाई विधायक जी ने

अमदाबाद, 3 जून (भाषा)।

गुजरात में भाजपा के एक विधायक ने राकांपा की एक महिला कार्यकर्ता को पीटने का वीडियो सामने आने के बाद अपने इस कृत्य के लिए माफी मांग ली है। महिला अमदाबाद जिले में स्थित अपने इलाके में पानी की आपूर्ति बहाल करवाने का अनुरोध लेकर विधायक के पास गई थी।

इस घटना का एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस और राकांपा ने नरोदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलराम थवानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि थवानी ने इसके लिए माफी मांग ली। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी इस घटना की निंदा की।

महिला नीतू तेजवानी ने संवाददाताओं को बताया कि विधायक ने उन्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि वह नीचे गिर गईं और उसके बाद विधायक ने उन्हें लात से मारना शुरू किया। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने भाजपा विधायक के भाई किशोर थवानी (स्थानीय पार्षद) से पानी आपूर्ति की बहाली को लेकर संपर्क किया था और उनसे आग्रह किया था कि नरोदा में उनके क्षेत्र की पानी की आपूर्ति नहीं काटी जाए क्योंकि इसको बहाल करने के संबंध में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि पार्षद ने भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।

उन्होंने बताया कि चार-पांच दिन तक जब इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह मेघानी नगर क्षेत्र के विधायक कार्यालय में अन्य महिलाओं के साथ गईं। महिला ने बताया, 'विधायक उस समय कार्यालय में नहीं थे लेकिन उनके समर्थकों ने अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। हमने किशोर थवानी के विरोध में वहां नारे लगाए। बलराम भाई एक वाहन से वहां पहुंचे और बाहर आते ही उन्होंने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मैं नीचे गिर गई, जिसके बाद उन्होंने मुझे लात से मारना शुरू किया। उन्होंने मुझे डंडे से भी मारा।' इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने दावा किया कि उन पर एक समूह के लोगों ने उस समय हमला कर दिया, जब वह उनसे सोमवार को मिलने की बात कह रहे थे।

थवानी ने कहा कि वह महिला से माफी मांगने उनके घर गए थे। उन्होंने दावा किया कि महिला ने उनके हाथ पर राखी बांधी और उन्हें माफ बाकी पेज 8 पर

माफी नहीं काफी

राकांपा के प्रमुख प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि इस तरह के मामले में माफी काफी नहीं होती है। भाजपा नेता और उनके समर्थक पार्टी की चुनावी जीत के बाद अनियंत्रित हो गए हैं। एक महिला की पिटाई कर दी गई। यह कोई जंगल राज है क्या? वरिष्ठ राकांपा नेता अजीत पवार और पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर कहा, 'लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है।'

विधायक बलराम थवानी

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Karan Varma F/o Myra varma R/o House No.95, Sunder Nagar, New Delhi-110003, have changed the name of my daughter to ARADYA VARMA for all future purposes. 0040497897-2

I Gurmeet Kaur Manoor W/o Anand Arora R/o GH-12/144, Paschim-Vihar, Delhi-110087.have changed my name to Gurmeet Arora. 0040497921-7

I Dhanalakshmi R/o F-2/b502 Crescent Appt, Near Alok Vihar, Sector 50, Noida Gautham Buddha Nagar Uttar Pradesh 201301 HaveChanged My Name To Dhanalakshmi Jeevagan For All Purposes 0070658556-1

I,Tanya D/O Darshan Singh, R/O-J-56, Sardar-Colony Sector-16, Rohini, Delhi-89,Changed My Name To Tanya Kaur. 0040497932-10

This is to inform that in all Govt. verified documents such as Passport,PAN Aadhaar and Voter-ID of father of Vanshika Sharma R/o-B-201, Shubhkamna Apartment, Sector-50 Noida, UP-201301 father's name is Arun Kumar Sharma. Ms. Vanshika Sharma's school records to be updated accordingly. 0040497887-2

I,Dinesh Kumar S/o Kailash Chand Saini R/o-WZ-613/9, near Nirankari Bhawan, Raj Nagar-I, Palam colony, New Delhi-110077, Have changed my name to Dinesh Kumar Saini for all future purposes. 0040497855-1

It is for general information that I Raja Mothsi son of Santosh Kumar Meena residing at RZF-238/4, Gali No-19, Sadh Nagar-2 Palam Colony, New Delhi inform that name of mine has been wrongly written as Raja Meena in my Caste Certificate-9641097860, Birth Certificate-3466729 & Passport No. K8852454. The actual name of mine is Raja Mothsi, Respectively which may be amended accordingly. 0040497867-1

I,Vipul Goyal H.No-579 Sector-17 Faridabad-121002.Have Change My Minor Daughter Name Prakarti Goyal To Prakriti Goel. 0040497932-9

I,Vijay Kumar Mishra S/o Shyam Chandra Mishra R/o-E-203 Rishi-Nagar Rani Bagh Delhi-110034, have Changed My Minor Son's name, from Om Kumar to Biraj Shandily aged 12years. 0040497943-6

I,Timsi Aggarwal W/o Sanjay Garg resident ZP-1 First Floor Pitam Pura Saraswati Vihar Delhi-110034, have changed my name to Timsi Garg. 0040497905-1

I,Nikita Talwar W/O Preet Pal Singh R/O B-8/69, Sector-3,Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Nikita Kaur. 0040497943-3

I,Km Subhash Kaur W/O Akshay Kumar R/O-Flat no.219/220, Upper 2nd-Floor,Pkt-15, Sec-24, Rohini,Delhi-110085. Have Changedmy Nameto Varsha Rani. 0040497918-6

I, Kapil Dev Arora S/o Labh Singh R/o H.no.267, Second Floor, Tagore Park Delhi-9, have changed my minor son name Aaryan Dev Arora to Aarya Dev Arora for all Purposes in Future. 0040497887-3

I,Jiwan Lal @ Jiwan Dass @ Jiwan Dass Lal @ Jiwan Ram S/o Late Sh.Arjun Dass R/o House No.2073, Nai Basti, Anaj Mandi, Narela, North Delhi, Delhi-110040, have changed my name to Jiwan Dass for all purposes. 0040497847-1

I,Dinesh Mehndiratta, S/O Late.Narayan Dass R/o-B-43, Ganesh-Nagar,Tilak-Nagar, Das, Delhi-110018, have changed my name to Dinesh Mendiratta,& My minor daughter's name, from Vaibhavi Mehndiratts to Vaibhavi Mendiratta, for all purposes. 0040497943-5

I Kamaljeet Kour Bhomrah W/o Ekdeep Singh R/o H. No 7-A, Gemini Park, Nangli Sakrawati More, near metro pillar-71 Najafgarh, New Delhi - 110043 have changed my name to KamaljeetKaur. 0040497897-1

I,Deepak Kukreja R/o-L-6, 2nd-Floor, Sriniwaspuri, New-Delhi-110065.have changed the name of my minor son Aryan Kukreja to Parth R Kukreja. 0040497932-8

I, Vimla Devi W/O Rattan Kumar R/O-Bg-1/252, Second-Floor, Paschim Vihar, Delhi-63.Changed My Name To Bimla. 0040497918-9

I Monika Mehndiratta,w/o Dinesh Mendiratta,R/o-B-43, Ganesh-Nagar,Tilak-Nagar, New-Delhi-110018,have changed my name to Monica Mendiratta & my minor daughter's name,from Vaibhavi Mehndiratta to Vaibhavi Mendiratta,for all purposes. 0040497945-4

I, Rajender Kumar S/O Ram Gopal R/O-55-A, SaiBaba-Enclave, Najafgarh,Delhi-43. Changed My Name To Rajender Kumar Goyal. 0040497918-10

व्यक्तिगत

I, Taranpreet Kaur W/o Mr. Gurvinder Singh Madaan R/o 210-B, MIG Green Flats, Rajouri Garden, New Delhi-110027 have changed my name after marriage as Taranpreet Kaur Madaan for all record and future purposes. 0040497850-2

I, Surender Singh Verma S/O Chattar Singh Verma R/O-602 Guru-Apts Sector-14, Rohini Delhi 110085. Have Changed My Name To Surender Verma. 0040497932-1

I, Surender S/o Maha Nand Dhoundiyal R/o A5B/172-B, Janak Puri, New Delhi-110058 have changed my name as Surender Dhoundiyal for all future purposes. 0040497850-1

I, Sumitra Devi,W/o Bal Gopal Sharma, R/o.Plot.No.78, House. No.-201, Ramprastha-Greens, Sector-7,Vaishali, Ghaziabad (U.P)201010.have changed my name to Sumitra Sharma.for all purposes. 0040497921-6

I, Sheelu Lakra W/O Ravinder Lakra H.No.602, Pole No. 98, Mundka, Delhi-41,Changed My Name To Sheelu. 0040497918-8

I, Seema Rani W/o Mukesh Takkar R/o-197 Dhakka-Village Kingsway-Camp Delhi-110009.have changed my name to Seema Takkar. 0040497921-3

I, Saurabh Sharma R/o-Flat.No-203, Saraswati-Apartments, Block.S-6, Sec-D-6, Vasantkunj, Delhi-110070.Have changed my minor son's name,from Vedaansh Sharma to Vedansh Sharma,for all future Purpose. 0040497945-3

I, Sarla Sachdeva W/o Nand Lal Sachdev R/o B-58, 1st floor, West Patel Nagar, Delhi-08 have lost the Original Sale Deed of my above residential property. Finder please contact me. 0040497902-1

I, Saraswati Aggarwal W/O Nitin Mittal,Hno-148,Ali-Ganj Kotla-MubarakPur Lodhi-Road Delhi-110003,changed my name to Saraswati Mittal. 0040497918-3

I, Santosh S/o Shri Mohan Prasad R/o H.No. D-32/31, Shiv Vihar, Nilothi Extn. Nangloi, New Delhi-110041 have changed my name from Santosh to Santosh Kumar for all future purposes. 0040497865-1

I, Safedi W/o Sh.Puran Singh, Flat No. 37-A, Sector-4, Pushp Vihar, New Delhi-110017, have changed my name from Safedi to Anita for future purposes. 0040497852-1

I, Sadhna Sharma,W/o Mr. Anil Kumar Sharma,R/oHouse.no.-131, Sector-37, Faridabad Haryana-121003,have changed my name,from Sudha Rani to Sadhna Sharma w.e.f.-10/07/1988. 0040497945-1

I, Rohit Kumar,S/o Trilok Chand R/o-26/1A, First-Floor, Nihal-Dudh Wali-Gali, Jwala-Nagar, Shahdara, Delhi-110032, have changed name to Rohit Khandelwal. 0040497918-1

I, Rashmi D/o, Raju Kumar Singh R/o Rose Farm, Kills No-21, Mandi 110047, have changed my name to Rashmi Singh for all purposes. 0040497906-1

I, Prem Kumar S/o Sardari Lal Marwah R/o Flat.No.116, GH5/7, Paschim-Vihar, Delhi-110087.have changed my name to Prem Marwah. 0040497921-8

I, Rakesh Kumar S/o Gopal Babu R/o E-60-A, Gali No-4, Vikas Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my daughter's name from Neharika to Niharika for all future purposes. 0040497895-1

I, Puneet S/o Sant Raj Kumar R/o 1st floor, D-34-B, Moti Nagar, Delhi-110015, have changed my name to PUNEET KUMAR. 0040497872-1

I, Priyanka Rani R/o Flat no 701 Golden Apartment sector 47 Gurgaon 122001 have changed my name to Priyanka Singla 0070658587-1

I, Pooja Agarwal W/O Naresh Kumar R/O-Hu-1, Ground-Floor, Pitampura, Delhi-34, Changed My Name To Pooja Gupta. 0040497943-1

I, Parveen Kumar S/O Kapoor Chand Jain R/O-167, Gujranwala Town-2, Delhi-110009. Have changed my name to Parveen Jain. 0040497918-2

I, Paramjeet Singh S/o Kulwant Singh R/o-6/75, Geeta Colony, Delhi-110031,have changed my name to Paramjit Singh for all future Purposes. 0040497887-1

I, Pankaj Kumar Sharma S/o Ram Nath Sharma R/o H.No-71/1-A, Gali No-12, Indra Park, Chander Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Pankaj Sharma for all future purposes. 0040497845-1

I, VIPIN POONIA S/O NAVAL SINGH POONIA, House No. 314, Village & Post-Ladpur, Dist.-Bulandshar, U.P. Hereby informs that my correct date of birth is 13.03.2001 instead of 25.08.2000. 0040497443-1

I Santosh Gupta W/O.Darshan Lal Gupta R/O. WZ-24, ground-floor, KrishnaPuri, Tilak-Nagar, New-Delhi, inform that Santosh Gupta and Santosh both are one and same person. 0040497945-2

I, No 2896199P HAV MUKESH KUMAR Serving at 21 RAJRIF,Delhi Cantt, inform that in my service records my wife's name is wrongly mentioned as RAJ KUMARI her correct Name is RAJ SHREE which may be amended accordingly 0040497881-1

I, Nitin Kumar Mittal S/o Bajrang Lal Mittal Hno-148, Ali-Ganj Kotla MubarakPur Lodhi-Road Delhi-110003, changed my name to Nitin Mittal. 0040497918-4

I, Naresh Gupta S/O Banarsi Dass R/O-Hu-1, Ground-Floor, Pitampura, Delhi-34,Changed My Name To Naresh Kumar. 0040497943-2

I, Monika Arora W/o.Sh.Sanjay Arora R/o-C-3/10,Prashant-Vihar Sector-14 Rohini Delhi-110085.have changed the name of my minor son, from Hredeya Arora to Hredey Arora,permanently 0040497921-5

I, Minakshi W/o G R Kishore R/o DDA MIG Flat No. E-13 F, Vatika Apartment Maya Puri, New Delhi-110064, before Marriage my name is Minakshi Singla, now I have changed my name from Minakshi Singla to Minakshi for all future purposes. 0040497911-1

I, Mayank Kumar S/o Madan Lal R/o-WP-203C Pitampura, Delhi-110034. changed my name to Mayank Mehendiratta, for all purposes. 0040497921-2

I, Manmeet Kaur Bindra,D/O Ishar Singh, R/O-B-41, Ground-Floor, Amar-Colony,Lajpat-Nagar-4, Delhi-110024, Changed My Name To Manmeet Kaur. 0040497932-5

I, Kishore Kumar Chourasia R/o C-46/S-01, Ganesh Nagar Complex, Pandav Nagar, Delhi-110092 have changed my minnor daughter's name from Ishana to Ishana Sneh for all future purposes. 0040497922-1

I, Kamal jit Singh, S/o Shingara Singh, R/o WZ-422-B/1, Nanakpura, Hari Nagar, Delhi-110064, have changed my name to Kamaljeet Singh. 0040497863-1

I, Jitender S/O Radha Kishan Wadhwa R/O-H.No-28, U.G.F, Priyadarshani-Vihar, Part-1, GTB Nagar, Delhi-110009, Changed my name to Jitender Wadhwa. 0040497943-4

I, Jamil Ahmad,S/O Munavvar Ali, R/O-Rz-508/23, Tugalkabad-Extn, N.Delhi-110019.Changed My Name To Jameel Ahmad. 0040497932-3

I, Jairam Prasad S/o Malookchand R/o A-207, Kendriya Vihar, Sector-51, Noida, GB Nagar, Uttar pradesh, have changed my name to Jairam Prasad Baghel for all future purposes. 0040497917-1

I, JC-471033H SUB/CLK Santosh Kumar,serving at-PRI Office,RRRC, inform that in my service records,my wife's name is wrongly mentioned as GOLHARI Her correct name is GOLHARI DEVI which may be amended accordingly. 0040497880-1

I, Hina Chaudhary D/o Ramesh Chaudhary R/o H.No.A/A-236, Near Kela Godown, Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed my name to Naina Sukhia. 0040497899-1

I, Harsahib Kaur Maggo D/o Harvinder Singh, H.No.761, Block-C, VikasPuri, New-Delhi-110018. Have changed my name to Harsahib Kaur. 0040497932-4

I, Harji S/o Harvinder Singh R/o WZ-37, Plot No 35, 2nd Floor, Vishnu Park, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to Harji Singh. 0040497891-1

I, Dinesh Kumar S/o, Ramesh Chand Sehrawat R/o HNo-93a, V.po.-sukhrali. Gurugram, Haryana, have changed my name to Dinesh Sehrawat. 0040497908-1

I, Deepak Kumar Sabherwal S/o-Dina Nath Sabherwal R/o-A-93, Top-Floor, Defence-Colony, Delhi-110024.have changed my name to Deepak Sabherwal. 0040497921-1

I, Avinash Kumar S/o.Krishan pal Sharma R/o-HD.Duplex-Villas HD-295.sec-135, Noida-201301. have changed my name to Avinash Sharma,for all purposes. 0040497921-4

I, Ashok Kumar s/o-Sukh Lal Singh R/O-H-182/183, Mohan-Garden, Uttam-Nagar, Delhi-110059,have changed my name to Ashok Maurya, permanently. 0040497921-9

I, Arpan Singh Malik S/o Trishpal Malik R/o J-51, First Floor, Paryavaran Complex, Neb Sarai, New Delhi-110068, have changed my name to Arpan Malik for all purposes. 0050149639-1

I Ruchika D/O Prem Kumar Grover R/O-R/457, Platinum-Height, Dda-Hig-Flats, Sector-18b, Dwarka, Delhi,Have Change My Name To Ruchika Grover. 0040497918-7

I Rashika Jain D/o Rajat Jain/ Sarika Jain R/o A8/15A Flat No-1 Rana Pratap Bagh,Delhi-110007, have change my name to Rishika Jain for all future purposes 0040497893-1

I Manav S/O Narender Singh R/O-004/G-4,Ganga Appt.D-6,VasantKunj,New Delhi-110070.Have Changed my Name to Manav Mor. 0040497932-7

व्यक्तिगत

I, Annu Kumari W/O Rohit Giri R/O Khasrano.105,D-Block, Mukandpur Part-1,Near-Radha-Vihar,Delhi-110042. Changedmy Nameto Annu Giri. 0040497918-5

I, Amit Gera,S/O Om Prakash Gera, R/O-L-62, Windsor-Park, Vaibhav-Khand, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.-201014, Changed My Name To Amit Kumar Gera. 0040497932-2

I, Alka Ahuja W/o Mohit Khurana R/o-A-27, Prashant-Vihar, Rohini, Delhi-110085, have changed name to Alka Khurana. 0040497921-10

I Sherya D/O Narender Singh R/O-004/G-4,Ganga Appt.D-6,VasantKunj,New Delhi-110070.Have Changed my Name to Shreya Mor. 0040497932-6

खोया+पाया

Lost my original Registry with all supporting papers, Will of House No.2439/13, Kailash Nagar, Delhi-110031, (in favour of Late Sri Baijnath). Finder may contact-Sandeep Sharma at above noted address. 0040497849-1

It is notified for the information, my original certificate of 10th Class of year 2016, Roll No 5376868,issued by CBSE has lost.,Sweety Yadav,Finder please contact-8506808522 0040497948-1

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of my secondary examination of year 2016-17 and Roll No. 8605403 issued by CBSE has been actually lost. Name of the candidate Lakshya Dhiman, R/o WB-16, Gali No. 1, Shakarpur, Delhi-110092 0040497896-1

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main, Secondary Examination of Year 2011 and Roll No.8701645 issued by CBSE has been actually lost. Name of the candidate Vipin Kumar Full address. K-814, Mangol Puri, Delhi-83 # 8287270159. 0040497885-1

It is notified for the information that my original Marks heet of Main-Secondary Exam Year-2017, Roll-No. 8196310, Passout from CBSE-Delhi has been actually lost. Lavi Singhal. A-2/47, Sector-8, Rohini, Delhi-110085. 0040497854-1

It is notified for information that my original qualifying exam certificate of main Secondary School Examination of year 1994 Roll No. 6349808 issued by CBSE has been lost/destroyed. Mukta R/o WZ-230E, Gali No. 1, Virender Nagar, New Delhi-110058 0040497850-3

Lost my original-CBSE 10th-class Marksheet &-certificate Roll.no-8198588 year-2017, finder pls contact to Mannat Batra, S/O Ramesh Chand Batra, Mobile-9311825634. 0040497943-10

I,Sahil khandelwal s/o-Mukesh khandelwal R/o-pandey mohalla deeg bharatpur Rajasthan. Have lost my original-certificate class-10th year-2011 Rollno-8705131 c.b.s.e-Delhi. 0040497943-9

I, K.Himanshi D/o Lt. Krisnamurthy R/o 29/357, Trilok Puri, Delhi-91, have lost my CBSE 10th class Certificate-Marksheet Roll No. 8766874 passing year 2017. If anybody found # 8750789006. 0040497868-1

I, Balbir Kaur S/D/W/O Narinder Singh R/o D-182 Anand Vihar, Delhi-110092, have lost Conveyance Deed (Registration No. 4791, Book no.1 Vol.1524, Registration date 26/05/2005 -Pages 29 to 31) if found # 9811259799. 0040497869-1

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Senior Secondary Examination of Year 2015 and Roll No. 9208888 and Qualifying Examination Certificate of Main Secondary Examination of Year 2013 and Roll No. 8148641 issued by CBSE has been actually lost with the respective statement of marks. Name of the candidate - Tarun Goel. Full Address - 206 Dharam Kunj Apartments, Sector-9, Rohini , Delhi -110085 (Ph - 7838247455) 0040498005-1

ENTERTAINMENT

Auditions for upcoming hindi movie in 40 cities of India for more details log on to: http://baristocinemas.com 0050149638-1

PUBLIC NOTICE

I Aman Sachan S/o Parshuram Sachan R/o 104, Navsheer Moti Vihar, MP Udyog, Sarvodaya, Kanpur hereby informs that follwing Receipts issued by Omaxe Ltd. against Customer ID GOL/940 has been actually lost :- (1) 1189887 dt. 27.05.15 for Rs. 150000/- (2) 1189889 Dt. 27.05.15 for Rs. 50000/- (3) 1202979 Dt. 28.07.15 for Rs. 200000/- (4) 1249436 Dt. 08.03.16 for Rs. 200000. If any person find it please return it at Omaxe Ltd, 7 LSC Kalkaji, New Delhi-110019.

PUBLIC NOTICE

मेरा मुवक्किल श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री हजारी लाल और ममता देवी पत्नी श्री राजेश कुमार निवासी डी–92ए, बलजीत विहार निठारी गाँव, दिल्ली–86 ने अपने पुत्र नीरज कुमार सोनी को उसके गलत व्यवहार–आचरण के कारण उससे अपने सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं और उसका हमारी चल–अचल सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं है यदि कोई व्यक्ति नीरज कुमार सोनी से कोई लेन–देन करता है या उससे किसी प्रकार का रिश्ता जोड़ता है तो उसका वह स्वयं जिम्मेवार होगा। मेरा मुवक्किल नहीं।
Gaurav Dhameja (Advocate)
RU-5, Pitampura, Delhi

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल दिनेश शर्मा पुत्र श्री श्रीराम प्रकाश शर्मा निवासी–फ्लैट नम्बर– एफ–2, प्लाट नम्बर–बी–4, रामप्रस्था कालोनी, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के हैं। विदित हो कि मेरे मुवक्किल/मुकिर एक ग्राउन्ड फ्लोर, सम्बधित प्लाट नम्बर–ए–97, सैक्टर–12, टी.एच.ए. रामप्रस्था कालोनी, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद को खरीद रहे हैं। यदि किसी भी अन्य व्यक्ति को उनके द्वारा उक्त फ्लोर को खरीदने मे कोई आपत्ति हो तो मुझे व मेरे मुवक्किल को 7 दिन के अन्दर–अन्दर सूचित करे। जे.सी. जीखा (अधिवक्ता) बी.ए. एम–4, सिविल विंग तीस हज़ारी कोर्ट, दिल्ली–54.

PUBLIC NOTICE

It is to be notified that my clients Dr. Vardhman Kumar Jain s/o late Sh. S.P. Jain and Dr. Krishna Jain both residents of EC-18, Inderpuri, New Delhi-110012 have disinherited, disowned & severed all relations with their son Mr. Siddharth Jain, their daughter in law Mrs. Shikha Jain and their grand daughters Baby Samaira Jain and Baby Shanaya Jain, from inheriting their movable and immovable properties as my clients have no control over them. Henceforth my aforesaid clients have severed their all relations with them and will not be responsible for the acts and omissions of the above named persons with anybody in respect of anything whatsoever.
Sd/-
(BHUPINDER MEHTANI)
ADVOCATE
Ch. No. 245, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT SH. AJAY KUMAR S/O SH. RAM SWAROOP R/O OF 258, KUCHA SANJOGI RAM, NAYA BANS, DELHI-110006 IS IN PROCESS OF BUYING PROPERTY BEARING NO. A-8/23, RANA PRATAP BAGH, DELHI- 110007 BY WAY OF REGISTERED SALE-DEED. ANYBODY FROM ANY QUARTER HAS GOT ANY OBJECTION IN REGARD TO PRESENT DEAL SHOULD CONTACT ME ON BELOW MENTIONED NUMBER WITHIN 10 DAYS. AFTER THAT NO OBJECTION WILL BE CONSIDERED LEGALLY TENABLE.
MUNISH VOHRA (Advocate)
MOB: 9811427955

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, RAJEEV KUMAR S/o G.C CHOUDHARY residing at G-45, IInd Floor, Laxmi Nagar, Delhi-110092 declare that name of my wife has been wrongly written as POOJA in my minor son RACHIT RAJ aged 10 years in school records. The actual name of my wife is PUJA, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

FOR AND ON BEHALF OF MY CLIENTS **(1) SH. HANSRAJ S/O SH. PURAN CHAND & (2) SMT. GODDU W/O SH. HANSRAJ BOTH R/O E-40/3, GALI NO. 05, RAMA VIHAR, KARALA, DELHI-110081,** I, RENU BALA (ADVOCATE) SERVE THIS PUBLIC NOTICE THAT HENCEFORTH MY CLIENT HEREBY SEVERE ALL THEIR RELATION WITH THEIR **SON PARUL & DAUGHTER-IN-LAW RASHMI** AND **GRANDSON DHURUV TANWAR** HEREBY DEBAR AND DISOWN THEM FROM ALL THEIR MOVABLE & IMMOVABLE PROPERTIES, AS THEY ARE NOT OBEDIENT TO MY CLIENT & DUE TO THEIR DISRESPECTFUL, OUT OF CONTROL BEHAVIOR. ANYONE DEALING WITH THEM WILL BE DOING SO AT HIS/ HER/ THEIR OWN RISKS AND IN CASE THEY HURT OR MAKE FRAUD WITH ANYONE, MY CLIENT SHALL HAVE NO CONCERN.
Sd/-
RENU BALA (Advocate)
Enrl. No. D-4533/2014

PUBLIC NOTICE

MY/OUR Client **SH. SOHAN PAL SON OF OMKAR SINGH & Smt. SOMWATI W/O SOHAN PAL BOTH R/O H. NO. 162B, KARAN VIHAR, PART-2, KIRARI SULEMAN NAGAR, DELHI-110086,** Have disowned/ evicted his son **SATENDRA and his wife PREETI** from their entire movable and immovable properties, and their entire family has severed their all relations from her. If anybody deals with **SATENDRA and his wife PREETI** shall be doing so at their own risks, cost and consequences. My client shall not be responsible in any manner for any kind of their legal-illegal deed, act and conduct.
Sd/-
SURENDER KUMAR (Advocate)
Shop no. 6 RU-Block
Pitampura Delhi-88

PUBLIC NOTICE

My client Ashok Kumar Arora, S/o Lt. Sh. Sant Lal, R/o C-I/801-802, First Floor, Madangir, New Delhi-110062, has severe/separate his relations of all nature and also from all their moveable or immoveable properties from his real brother Sh. Manoj Kumar their wife and children due to misconduct and quarrelsome attitude of them towards My client and his family members, if they makes any deal or any relations/act/deed with any person or any person do the same with them or did the same with each other, My clients will not be responsible for the same in future.
Raj Kumar (Advocate)
Ch. No. 774, Saket Court, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Shri Suresh Kumar S/o Late Bal Kishan and Smt. Prem Kumari W/o Shri Suresh Kumar, both R/o WZ-104 Phase-II, Om Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have severed relations from their son Bharat Malhotra and have disowned him from all their moveable and immoveable properties with immediate effect. Henceforth, my clients shall not be responsible for any of his acts and deeds and anyone dealing with him shall be doing so at his/her own risk and responsibilities. -Sign./-
(Vivekanand Ray), Advocate

PUBLIC NOTICE

My Client Shri Ashok Gupta S/o Shri Ram Gopal Gupta R/o B-4/151 Yamuna Vihar Delhi 110053 have severed all relationship from their son Piyush Gupta and his wife Prerna Singh and their son and also debarred & disowned him/her from all his/her moveable & immoveable property due to their misconduct and disobedience. If anyone deals with him/her in any manner whatsoever shall be doing at his/her/their own risk and responsibility. My clients will not be responsible for their act in any manner.
Abhishek Goyal (Advocate)
Ch.No.F-526,
Karkardooma Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

My client Renu Gulyani W/o Ravi Kumar, R/o G-7/2 Sector 11, Rohini, Delhi-85, is the absolute owner of the property bearing No.126 Sector 23 Pocket 4&5 Rohini Delhi-85 vide registered conveyance deed in her favour and is not intending to create any third party interest on the said property. That my client recently came to know that some unknown person are trying to create third party interest including mortgage on the said property on the basis of forged document. That the ownership and possession of the immoveable property as mentioned above rest with my client and no one else is authorized to deal on behalf of my client w.r.t the immoveable property as mentioned above. Any dealing w.r.t the immoveable property as mentioned above without my client shall be at the entire risk and cost of the person dealing with them. Ambareen (Advocate) 27/76, Street No.8, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-32

अभिनेत्री-गायिका रूमा गुहा ठाकुरता का निधन

कोलकाता, 3 जून (भाषा)।

अभिनेत्री एवं गायिका रूमा गुहा ठाकुरता का यहां स्थित उनके आवास में सोमवार की सुबह नींद में निधन हो गया। वे 84 वर्ष की थीं और उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थीं। उनके परिवार में गायक अमित कुमार सहित दो पुत्र और एक पुत्री हैं।

रूमा ने दो शादियां की थीं। दूसरे विवाह से उनके पुत्र अयान गुहा ठाकुरता ने बताया कि उनकी मां का सोमवार सुबह नींद में ही देहांत हो गया। उन्होंने संभवतः सुबह छह बजे से सवा छह बजे के बीच आखिरी श्वांस ली।

कोलकाता में तीन नवंबर 1934 को जन्मी रूमा नृत्य में गहरी रुचि रखती थीं। 1950 के दशक के शुरू में तत्कालीन बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने गायक किशोर कुमार से विवाह किया था। गायक अमित कुमार रूमा और किशोर कुमार की ही संतान हैं।

रूमा और किशोर कुमार 1958 में अलग हो गए थे। बाद में रूमा ने लेखक-निर्देशक अरूप गुहा ठाकुरता से विवाह किया और उनकी दो संतान स्रोमोना तथा अयान गुहा ठाकुरता हुई। अयान ने बताया कि उनकी मां करीब तीन माह तक मुंबई में अमित कुमार के साथ रहने के बाद एक माह पहले ही कोलकाता लौटी थीं। अयान ने कहा 'दादा यहां आ रहे हैं। मां के अंतिम संस्कार के बारे में सभी निर्णय वही करेंगे।'

फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की भतीजी रूमा ने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी ज्यादातर फिल्मों का निर्माण सत्यजीत रे, तपन सिन्हा, तरुण मजूमदार, राजन तरफदार, अर्पणा सेन और मीरा नायर जैसे प्रख्यात निर्देशकों ने किया।

रूमा की यादगार फिल्में 'गंगा' (1959), 'अभिजान' (1962), 'पालातक' (1963), 'एंटनी फिरंगी' (1967), '80 ते असियो ना' (1967), 'बालिका वधू' (1967), 'दादर कीर्ति' (1980), '36 चौरंगीलेन' (1981), 'अमृता कुंभेर सन्धाने'(1982), 'भालोबाशा भालोबाशा' (1985) और 'व्हीलचेयर' (1994) आदि हैं। उन्होंने कई हिन्दी फिल्मों में भी काम किया जिनमें 'ज्वार भाटा' (1944), 'मशाल' (1950), 'अफसर' (1950), 'राग रंग' (1952) और 'नेमसेक' (2006) प्रमुख हैं। 'ज्वार भाटा' रूमा की पहली और 'नेमसेक' आखिरी फिल्म थी। कई फिल्मों के लिए उन्होंने पार्श्व गायन भी किया।

वर्ष 1958 में रूमा ने गीत और नृत्य समूह 'कलकत्ता यूथ कोयर' की स्थापना भी की। इस समूह के लोकप्रिय लोक गीतों में 'आज जोतो जुद्धबाज', 'भारतबरषो सुरजेर एक नाम', 'ओ गंगा बोइचो केनो' और 'वक्त की आवाज' आदि प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रूमा के निधन पर शोक तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। ममता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'रूमा गुहा ठाकुरता के निधन से दुखी हूं। सिनेमा और संगीत की दुनिया में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मैं संवेदना जाहिर करती हूं।'

हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान पर 45 लाख लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 3 जून।

हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के मेले के मौके पर 45 लाख श्रद्धालुओं ने हरकी पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई। सोमवार तड़के चार बजे से ही हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया था। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने दान-पुण्य किया और विवाहित महिलाओं ने वटमावस का व्रत रखा और अपने अखंड सौभाग्य के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। पीपल के पेड़ पर धागा बांधकर परिक्रमा की।

सोमवती अमावस्या के मेले के मौके पर पूरा हरिद्वार तीर्थयात्रियों और उनके वाहनों से पटा पड़ा था। हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर की सभी सड़कों पर जाम लगा हुआ था। जिस वजह से हरिद्वार आने वाले यात्री और स्थानीय लोग काफी परेशान थे।

स्थिति को संभालने के लिए देहरादून से राज्य के पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार को खुद हरिद्वार आकर मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। कुमार ने बताया कि करीब 45 लाख तीर्थयात्रियों ने सोमवती अमास्या स्नानपर्व पर गंगा में डुबकी लगाई।

बार-बार बलात्कार के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान बरकरार

मुंबई, 3 जून (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने बार-बार बलात्कार के दोषी को उम्रकैद या मौत की सजा देने के लिए आइपीसी की धारा में किए गए संशोधन की संवैधानिकता की सोमवार को पुष्टि की।

न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार कांड के तीन दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of Mrs. Kuldeep Kaur, Mr. Gursharan Singh , Mr. Harmanjeet Singh, Mr Parveen Kumar & Mrs Poonam Arora who intend to purchase & further mortgage the Entire Ground floor & Second floor of Property No. C-67, in Block-C, at Rajouri Garden, New Delhi with our client Axis Bank Ltd against the financial assistance. Whereas, Mr. Pran Nath Kapoor acquired the above said entire property from Mr. Tirath Singh by way of Conveyance Deed dated 08.05.1959. Thereafter, Mr. Pran Nath Kapoor S/o Gobind Sahai had sold the Annexe to his wife Mrs. Indra Devi which was affirmed by Judgment passed by Sub Judge Jammu on 20.11.1975 but no such registered document was executed with this regard. After the death of Late Sh. Pran Nath Kapoor & Indra Devi their sons namely Mr. Ravindra Kapoor and Mr. Arun Kapoor got their respective rights of the entire property by virtue of Will dated 11.09.2004, Codicil of Will dated 22.08.2009 and two separate Relinquishment Deeds both dated11.09.2015. Further Mr. Arun Kapoor gifted 15% undivided share out of his share in the said property to his wife Mrs.Nandita Kapoor by way of Gift Deed dated 19.07.2018. Now Mr. Arun Kapoor and Mrs. Nandita Kapoor intend to sell the property in question to our borrowers. If any person(s) having objection regarding ownership or regarding mortgage of the said property is/are requested to intimate in writing to undersigned within 15 days from the date of issue of this notice at below address. In the event no information is received within 15 days from date hereof, our Client i.e. Axis Bank Ltd. will proceed with the mortgage process.
KAILASH JONWAL
I-193, Karam Pura New Delhi-15

The Indian EXPRESS Classifieds FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

VIJETHA IAS ACADEMY
WWW.VIJETHAIASACADEMY.COM
ANTHROPOLOGY
OPTIONAL+TEST SERIES
Congratulations to our toppers 2018 (GS Student)
AIR 17 Rahul Sankanur | AIR 331 Sneha Suryakant gitte | AIR 582 Polumati Sharanya | AIR 180 Gundala R Raghavendra
Comprehensive coverage of the syllabus both for Paper-I & Paper-II
Timely Completion of the course
Special focus on case studies of each topic
Daily Answer Writing
Test Series Included (40 Tests)
New Batch Starts From 5th June at 8 to 10am | 12th June at 2:30 to 4:30pm
Add.: 7/50, IIIrd Floor, Near Roop Vatika, Shankar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi-60
011-42473555, 9650852636, 7678508541

YDM
Y.D. Misra's IAS
GENERAL STUDIES PRELIM-CUM-MAIN
IAS : 2020-21 (HINDI & ENGLISH)
3 दिवसीय नि:शुल्क कार्यशाला
JUNE 10 | 11 | 12 11:30am
VENUE : A-7, Jai Tower, First Floor, Commercial Complex, Near Chawla Restaurant Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
G.S. MAIN EXAM-2019
JOIN 60 DAYS SPECIAL BATCH
16 G.S./Essay Tests
100 Focused Talks/ Explanation
Work hard, Believe yourself and us | Let success be yours
(Hindi & English) Begins on JUNE 10 | Time: 11:30am
ENQUIRY OFFICE : 625, First Floor, Main Road, Near Aggarwal Sweet , Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
011-43045306 | 8929430710 | 8929630710

SYNERGY
AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES EXAMINATION
INTERACT WITH TOPPERS HAVING 300+ MARKS
13th JUNE 11:00 AM
PUBLIC ADMINISTRATION by M.K. MOHANTY
ADMISSION

दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थायी समिति का दाखिले को लेकर अहम फैसला

एक पाठ्यक्रम में दस फीसद ही होंगे खेल और ईसीए के प्रवेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

दाखिले की दौड़

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की प्रवेश के लिए बनी स्थायी समिति की सोमवार को एक अहम बैठक हुई। बैठक में तय किया गया है कि कोई भी कॉलेज ईसीए और खेल श्रेणी की कुल सीटों का 10 फीसद से अधिक सीटों पर किसी एक पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं दे सकेगा।

डीयू विद्वत परिषद (एसी) के सदस्य प्रोफेसर रसाल सिंह ने बताया कि डीयू की प्रवेश समिति ने फैसला किया है कि ईसीए और खेल श्रेणी के दाखिलों के लिए कॉलेज स्तर पर 5 फीसद सीटें ही रहेंगी। लेकिन विषयवार यह कैपिंग दोगुनी यानी 10 फीसद तक हो सकती है ताकि ईसीए और खेल श्रेणी के प्रतिभाशाली आवेदकों को प्रवेश दिया जा सके। डीयू ने यह निर्णय संबंधित शिक्षकों की ओर से लगातार की जा रही मांग और प्रतिभाओं को विकास का अवसर देने के लिए किया है। प्रशासन का दावा है कि इस श्रेणी के दाखिलों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी ताकि एक भी गलत दाखिला न हो और अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर मिल सके। इस श्रेणी के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी डीयू अत्यंत सख्त कदम उठा रहा है।

डीयू ने ईडब्लूएस प्रमाणपत्र के लिए केंद्र सरकार से किया अनुरोध

प्रोफेसर सिंह ने बताया कि डीयू ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उसे दिल्ली सरकार को ईडब्लूएस प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इससे संबंधित वर्ग के विद्यार्थी केंद्र सरकार की समावेशी नीति से लाभ उठा सकेंगे और डीयू में प्रवेश ले सकेंगे। समय पर प्रमाणपत्र जारी न होने से वे अपने न्याय संगत अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

पंजीकरण का आंकड़ा दो लाख पार

डीयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण सोमवार को देर रात को दो लाख के आंकड़े को पार कर गया। सोमवार शाम छह बजे तक कुल 1,92,213 छात्र पंजीकरण करा चुके थे जबकि इनमें से 98,728 विद्यार्थियों ने शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण पक्का कर लिया है। पंजीकरण करने वालों में 62,868 गैरआरक्षित आवेदक है, जबकि ओबीसी 16874 एससी 1448 एसटी 2904 व ईडब्लूएस श्रेणी के 1734 आवेदक शामिल हैं।

व्यापारियों को पेंशन योजना के लिए सरकार को कैट का धन्यवाद और सुझाव

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर 60 वर्ष की आयु के बाद व्यापारियों को पेंशन देने के फैसले पर धन्यवाद दिया है। संस्था के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि कैट लंबे समय से व्यापारियों को पेंशन देने की मांग कर रहा था।

मोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 21, आशियाना रेजीडेन्सी, चौधरी धरमवीर मार्केट
सेबेल सिनेमा के निकट, बदरपुर, नई दिल्ली-110044
CIN NO: L51395DL1975PLC008005
31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार
(रु. हजारों में)

विवरण	स्टैंडएलॉन तथा समेकित				
	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2019	समाप्त तिमाही 31 दिसम्बर, 2018	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2019	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018
	अनंकेक्षित			अंकेक्षित	
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0	0	23	1349	73
कर के बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि)	-197	-86	-483	-535	-718
कर के बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	-197	-86	-483	-535	-718
इक्विटी शेयर पूंजी	42966.69	42966.69	42966.69	42966.69	42966.69
आरिक्षत (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	0	0	0	0	0
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10/- प्रति का)					
मूल	0	0	0	0	0
तरल	0	0	0	0	0
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद)(रु. 10/- प्रति का)					
मूल	0	0	0	0	0
तरल	0	0	0	0	0

टिप्पणीः
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईटः bseindia.com पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों की 31.5.2019 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा उसी दिन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

मोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए
राजीव सक्सेना
निदेशक
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 31.5.2019

डीयू : पांच कटऑफ का कार्यक्रम जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने योग्यता आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कटऑफ का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कटऑफ के बाद आवेदकों को दाखिले लेने के लिए तीन दिन का समय मिलेगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान कटऑफ समाप्ति वाले दिन के अगले दिन दोपहर 3:00 बजे तक किया जा सकता है। कॉलेज पहली कटऑफ 20 जून को जारी करेंगे।

पहली कटऑफ के आधार पर 22 जून तक दाखिले होंगे। दूसरी कटऑफ 25 जून को आएगी और इस कटऑफ के आधार पर 27 जून तक प्रवेश होंगे। कॉलेज तीसरी कटऑफ 29 जून को जारी करेंगे और इसके आधार पर 2 जुलाई तक (रविवार को छोड़कर) दाखिले लिए जा सकेंगे। चौथी कटऑफ 4 जुलाई को आएगी और चौथी कटऑफ के आधार पर 6 जुलाई तक प्रवेश होंगे। पांचवीं कटऑफ 9 जुलाई को जारी होगी और इसके आधार पर 11 जुलाई तक दाखिले होंगे।

डीयू की ओर से इस साल सांध्य कॉलेजों को भी सुबह की पाली में ही दाखिले करने के निर्देश दिए गए हैं। डीयू के एक अधिकारी का कहना है कि इससे एक तो आवेदकों और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, इससे अगली कटऑफ आने में भी देरी की संभावना कम रहेगी। दाखिले के समय आवेदकों को वास्तविक दस्तावेज कॉलेज ले जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन सत्यापन के बाद इन दस्तावेजों को तुरंत आवेदकों को लौटा दिया जाएगा। जिन दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन करना संभव नहीं है, उनके सत्यापन के लिए आवेदकों को दाखिला प्रक्रिया खत्म होने के एक हफ्ते बाद दस्तावेज कॉलेज में लाने होंगे।

जेएनयू में पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए बनेगा छात्रावास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 11 करोड़ रुपए है और इसमें 424 विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बयान के मुताबिक, यह छात्रावास डेढ़ एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला होगा और इमारत के निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। इसमें 200 छात्रों और 200 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए 24 कमरे होंगे। मंत्रालय के अधिकारियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह को जेएनयू छात्रावास और अन्य परियोजनाओं से जुड़े काम की प्रगति के बारे में जानकारी दी। सिंह को बताया गया कि जेएनयू छात्रावास के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है।

INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, KALYANI
West Bengal – 741 235, India
(An Institute of National Importance under MHRD, Govt. of India)
Advt. No.: IIITK/Academic/PHD/19/6
Ph.D. Admissions 2019-20 at IIIT Kalyani
Applications are invited for Ph.D. programme in Computer Science & Engineering (CSE), Electronics and Communication Engineering (ECE), Mathematics and Physics beginning in odd semester, 2019. For details, please visit **www.iiitkalyani.ac.in**.
Date: 4th June, 2019 *Registrar (Offg.)*

Form No.:5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007.
(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)
Summons for filling Reply & Appearance by Publication
O.A. No. 1458 OF 2018
Summons to defendants under Section 19(4) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993)
Syndicate Bank, Modinagar Branch, Ghaziabad.....Applicant.
Versus
Arvind Kumar and others.....Defendants
To,
Arvind Kumar S/o Sri Ram Kumar R/o 94, Village Bakharava, Modinagar, District - Ghaziabad.
In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **25/07/2019** at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my Hands and Seal of this Tribunal on 12th Day of April, 2019.
Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

गर्मी के बाद बिजली कटौती ने पसीने छुड़ाए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में बिजली की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। पिछले कुछ दिनों से तापमान 40-42 डिग्री के बीच है। मांग बढ़ने के साथ ही बिजली कंपनियों ने दिल्ली में अघोषित बिजली की कटौती शुरू कर दी है। राजधानी के कई इलाकों में रात के समय कई घंटे के लिए बिजली गुल हो जा रही है। कुछ इलाकों में दिन के समय भी जमकर कटौती की जा रही है। रात के समय होने वाली कटौती के कारण उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो देर रात को अपने दफ्तर से लौटते हैं। बिजली नहीं होने की वजह से ज्यादातर कामकाजी लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार को जहां दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 11:31 बजे 6560 मेगावाट दर्ज की गई थी। वहीं, न्यूनतम मांग 8:54 बजे 4355 मेगावाट दर्ज हुई। सोमवार शाम 3:21 बजे बिजली की अधिकतम मांग 6612 मेगावाट थी। न्यूनतम मांग सुबह 7:54 बजे 4327 मेगवाट थी। शुक्रवार को 64 हजार से अधिक और शनिवार को भी बिजली की मांग 60 हजार के पार ही रही। सोमवार को दफ्तर खुल जाने की वजह से भी बिजली की मांग में वृद्धि हुई थी। वहीं, दिल्ली में बिजली का उत्पादन सभी संयंत्र में मात्र 873 मेगावाट हो रही थी। मांग और आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियां दूसरे राज्यों से बिजली खरीद की व्यवस्था की हुई थी। पर, मांग अधिक होने की वजह से लगातार कई दिनों से राजधानी के कई हिस्सों में बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है।

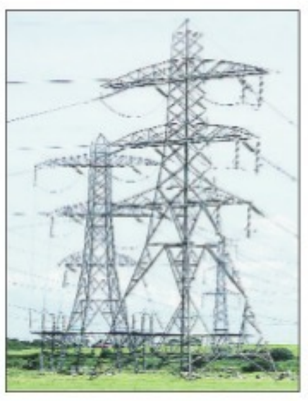

झुग्गी बस्तियों में ज्यादा बुरा हाल

राजधानी में बिजली की सबसे अधिक कटौती जेजे कॉलोनी, बाहरी दिल्ली, अनधिकृत कॉलोनी में की जा रही है। संगम विहार, जैतपुर, तुगलकाबाद, संजय कैंप, तेहखंड, बदरपुर, आश्रम, हरिकेश नगर, महरौली, नारायणा, बसईदारा पुर, पंबाजी बाग जेजे कॉलोनी, जखरी झुग्गी कॉलोनी के अलावा मध्य दिल्ली में भी बिजली की कटौती की जा रही है। साथ ही पूर्वी दिल्ली और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में रात के समय कई घंटों के लिए बिजली कटौती हो रही है।

बिजली नहीं तो पानी नहीं

इन इलाकों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कई बार सुबह के समय बिजली गुल हो जाती है। इस कारण पानी का मोटर नहीं चला पाते, जिससे दिन भर पानी की समस्या से दो-चार होना पड़ता है। सुबह उन लोगों को खासी दिक्कत होती है, जो देर रात को घर लौटते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। बिजली नहीं होने से जब पानी आता है तो लोग पानी नहीं भर पाते। वहीं, जब बिजली आती है तो पानी नहीं आ रहा होता है।

रॉयल साइर टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी सूचना
क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष,
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामलें में तथा
रॉयल साइर टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 106, टाइप 4 क्वार्टर्स, नॉर्थ वेस्ट, मोती बाग-1, नई दिल्ली-110021 में है के मामलें में
___आवेदक
एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत **30.04.2019** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरण से प्रभावित होता है तो वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार पर, एक शपत्र पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ, सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर अपने हित की प्रकृति और याचिका के प्रति अपने विरोध का आधार, बताते हुए, बेंच अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को सूचित करें, और इसकी एक प्रति मूलरूप में क्षेत्रीय निदेशक के साथ आवेदक कंपनी को भी उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में भेजें।
कृते **रॉयल साइर टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड**
स्थानः दिल्ली हस्ता/-
तिथिः 04.06.2019 निदेशक

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
इन्डो लैमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	इन्डो लैमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	21.06.1985
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार- दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U20299DL1985PTC021287
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	79, राजिन्दर पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली-110041
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	आदेश की तिथिः 22.5.2019 आदेश 31.5.2019 को प्राप्त की गई
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	18.11.2019 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के रूप में कार्यरत है	आशुतोष जैन, IBBI/IPA-001/IP-P00394/2017-18/10712
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का पता एवं ईमेलः	ए-210, निम्न भू तल, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017, ई-मेलः aj@ajtak.in
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	ए-210, निम्न भू तल, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017, ई-मेलः cirp.indolaminates@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	14.6.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	एन ए
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	एन ए
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	ऑपरेशनल क्रेडीटरः प्रपत्र बी, वित्तीय क्रेडीटरः प्रपत्र सी कर्मी/ कर्मचारियोंः प्रपत्र डी, https://ibbi.gov.in/home/downloads से डाउनलोड करें। एन ए

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 25.5.2019 को (आदेश 31.5.2019 को प्राप्त हुई) इन्डो लैमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा इन्डो लैमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के पास 14.06.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।
दिल्ली आशुतोष जैन
31.5.2019 अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल

ऐक्सिस बैंक **आधिपत्य नोटिस**
रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006
जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **भौतिक कब्जा** ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. स.	ऋणी/ सह-ऋणी/जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1	**श्री रजत कुलश्रेष्ठ (ऋणी)** पुत्र श्री अमरीश कुलश्रेष्ठ **श्रीमती शालिनी कुलश्रेष्ठ (सह-ऋणी)** पत्नी श्री रजत कुलश्रेष्ठ **श्रीमती रिचा कुलश्रेष्ठ (सह-ऋणी)** पत्नी श्री अमरीश कुलश्रेष्ठ निवासी म0नं0-3/6बी, वर्धमान हाऊस बैंक कालोनी एम.जी. रोड आगरा-282004 **एवं** : निवासी मकान नम्बर 71 एम.जी. रोड, निकट सुभाष पार्क, आगरा-282002	स्थित प्लाट नम्बर 78, कैलाश विहार, मौजा गैलाना, हरि पर्वत वार्ड, आगरा 282004 जोकि **रजत कुलश्रेष्ठ** के नाम **क्षेत्रफल-384.30 वर्ग मी0**	रू. 1,97,69,454.00 दिनांक 30.01.2017 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि 30.01.2017** **कब्जा दिनांक 31.05.2019**

दिनांक : 04.06.2019, स्थान : लखनऊ (प्रा0 अधिकारी) एक्सिस बैंक लि0

Ministry of Textiles Govt. of India
शिल्पोत्सव
Indian Handicrafts हस्तशिल्प
Development Commissioner (Handicrafts) Ministry of Textiles, Govt. of India
सम्पूर्ण भारत से हस्तशिल्प कारीगरों (एस.सी.) के उप्पादों की बिक्री हेतु
विशेष विपणन कार्यक्रम का आयोजन

दिनांकः 29 मई से 4 जून 2019
समयः प्रातः 11.00 से सायंः 8.00 बजे तक
स्थानः क्रॉफ्ट म्यूजियम, भैरो मार्ग, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001
अन्तिम दिन

Entry Free
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
आर.सी. नं. 97/2012 ई-नीलामी बिक्री सूचना तिथिः 11.2.2019
केनरा बैंक बनाम श्री राकेश अग्रवाल
कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 11.2.2019 के अनुसार 20.3.2019 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगीः
यह नीलामी बिक्री वेबसाईट https://www.c1india.com के माध्यम से ऑन लाईन ई-नीलामी होगी।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 20.3.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर (12 बजे दोप. के बाद यदि जरुरी हो, 5 मिनट के विस्तार के साथ)
संपत्ति का विवरण
1) ग्राम नांगलीपूना, जीटी रोड करनाल रोड, अलीपुर में स्थित खसरा नं. 20/22/2 एवं 20/23 में से गिरवी संपत्ति माप 1200 वर्ग यार्ड्स
आरक्षित मूल्यः रु. 18,00,000/- पैरा i) में वर्णित संपत्ति के लिए (रुपये अठारहल लाख मात्र)
धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी): रु. 1,80,000/- पैरा i) में वर्णित संपत्ति के लिए (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
नियम एवं शर्तें
1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टलः https://www.c1india.com पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
2. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता "आर.सी.नं. 97/2012" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा अथवा 'केनरा बैंक, एआरएम-II, संसद मार्ग, नई दिल्ली, खाता नं. 3038295000001, आईएफएससी कोडः CNRB0003038 के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा। उक्त डिमाड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अथवा एनईएफटी/ आरटीजीएस के द्वारा भुगतान के मूल प्रमाण पत्र, ईएमडी सहित पहचान के स्व- सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति अधिकतम 18.3.2019 के 5.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर "आर.सी.नं. 97/2012" शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.c1india.com देखें एवं/अथवा श्री रणजीत कुमार, मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, एआरएम-II, संसद मार्ग, नई दिल्ली, मो. 9773670093, 9971400123, लैंडलाईन नं. 23323891, 23753121 से संपर्क करें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो सी 1 इंडिया प्रा.लि., गल्फ पेट्रो केमिकल, प्लॉट नं. 301, 1ला तल, उद्योग विहार फेज-II, गुड़गाँव (हरियाणा), फोन नं. 0120 4746800, मो.: 09810029923, संपर्क व्यक्तिः श्री रोहित शर्मा मो. नं. 09582385066, ईमेल आईडीः support@bankauctions.com से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. संभावित बोलीदाता सी 1 इंडिया प्रा.लि. सी-104, सेक-2, नोएडा-201301, उ.प्र. फोन नं. 0120 4746800, मो.: 09810029923, संपर्क व्यक्तिः श्री रोहित शर्मा मो. नं. 09582385066, ईमेल आईडीः support@bankauctions.com से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैद्य यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. जो इच्छुक बोलीदाता 18.3.2019 तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 20.3.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
10. बोलीदाता रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
11. असफल बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, सीएच, बैंक अर्थात् केनरा बैंक से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
12. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के तत्काल बाद धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता 'आरसी नं. 97/2012' के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह 3 दिनों के भीतर उस पते पर पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
13. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली 'आर.सी.इ नं. 180/2001' के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
14. अधोहस्ताक्षरी को उसका क

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	40.6 डि.से.	40.6 डि.से.	39.9 डि.से.	39.8 डि.से.
न्यूनतम	29.4 डि.से.	29.4 डि.से.	29.4 डि.से.	29.4 डि.से.

खबरों में शहर

आठवीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 3 जून।

एचपीसीएल सोसायटी में रहने वाले बीटेक के छात्र की शनिवार देर रात आठवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। रात में बिजली चले जाने पर छात्र और उसके दोस्त सोसायटी की छत पर टहल रहे थे। छात्र अपनी इमारत से दूसरी इमारत में पहुंच गया और वहीं से गिरा। छात्र के दोस्तों ने सूचना पुलिस और परिजनों को दी। छात्र की पहचान झारखंड धनबाद निवासी नीरज कुमार के रूप में हुई है। थाना कासना पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा था लेकिन परिजन बगैर पुलिस कार्रवाई कराए शव अपने साथ ले गए। बताया गया है कि छात्र पिछले कई दिनों से तनाव में था।

ट्रक के नीचे दबकर युवक की जान गई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में सामान से लदा हुआ ट्रक मोहम्मद कासिम (45) पर पलट गया। पुलिस ने युवक को ट्रक के नीचे निकालने की खूब कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नही हो सके। बाद में क्रेन की मदद से को बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, कासिम रिंग रोड पर बने गीता घाट स्थित रैन बसेरे में रहता था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर चालक फरीदाबाद निवासी कालका प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है।

शांगरी-ला होटल का लाइसेंस निरस्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

आबकारी नियमों के उल्लंघन के बाद दिल्ली सरकार ने शांगरी-ला होटल कॉम्प्लेक्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक होटल में तय प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा था और जांच में सामने आया है कि यहां पर कम उम्र के बच्चों को शराब परोसी जा रही थी। यह जांच आबकारी विभाग ने रविवार देर रात की थी। जांच में पता चला कि एक ही लाइसेंस पर तीन जगह पर नाइट क्लब चलाया जा रहा था। मामले में एफआइआर भी दर्ज की गई है। तय प्रावधानों के तहत केवल 25 वर्ष की उम्र शराब परोसने के लिए तय है।

तेजाब डालने के आरोप में तीन भाई गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 3 जून।

बहन के साथ मारपीट कर 9 मई को कोट के पुल के पास चेहरे पर तेजाब डालकर हत्या के प्रयास के मामले में थाना दादरी पुलिस ने तीन सगे भाइयों इरफान, रिजवान और इमरान को गिरफ्तार किया है। 9 मई को वारदात के बाद आरोपी सभी भाई फरार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि युवती का मकान मालिक से मिलना-जुलना परिजनों को रास नहीं आ रहा था। वहीं, अस्पताल में भर्ती युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आरोपियों ने तेजाब अलीगढ़ से खरीदा था। अस्पताल में भर्ती युवती को आंखों से दिखना पूरी तरह से बंद हो गया है।

महरौली के अपार्टमेंट में लाखों की चोरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

महरौली इलाके में नौकरी ढूंढ़ रहे एक व्यक्ति के घर से दिन में ही चोरों ने कई लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। यहां के वार्ड नंबर-एक स्थित दीप अपार्टमेंट में रहने वाले विपिन मित्रा गोल्फ लिंक नौकरी ढूंढ़ने गए तभी उनके फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने उनकी जमा पूंजी उड़ा दी। मित्रा सुबह 9:15 बजे गए थे और रात 9:50 बजे के करीब लौटे थे। पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लॉकर से हीरे की अंगुठी, तीन सोने की अंगुठी, सोने के दो लॉकेट, सोने के दस टॉप्स, दो पेयर वाल, 50 हजार रुपए नगद, सोने की चूड़ी, चांदी का छल्ला सहित चांदी की पांच पायलें गायब थीं।

पिकैडली होटल लांड्री में लगी आग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास स्थित पांच सितारा होटल पिकैडली में सोमवार सुबह साढ़े 6 बजे अचानक आग लग गई। आग होटल के दूसरे तल पर बने लाउंड्री (धोबी घर) में लगी जिससे वहां रखे कपड़े जल गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटे भर में आग पर काबू पाया।

आज के कार्यक्रम

प्रदर्शनी

इंडिया हैबीटेट सेंटर : मराठी फिल्म का प्रदर्शन, सेंटर ऑडिटोरियम, लोधी रोड, शाम 7 बजे।

जनता की परेशानियां दूर करने के लिए मुख्यमंत्री लेंगे प्रतिक्रिया

सीसीटीवी कैमरे लगाने, बिजली बिल में राहत की तैयारी

● मुख्यनंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्य मंत्रियों के साथ प्रेसवार्ता की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

दिल्ली सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कूद पड़ी है। मेट्रो में महिलाओं को राहत देने के बाद अब बिजली के बिल व सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सीधे तौर पर जनता से जुड़े काम हैं और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनकी निगरानी कर रहे हैं। अब मंगलवार से मुख्यमंत्री व मंत्री दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और उनकी शिकायतों की सुनवाई करेंगे। इसके माध्यम से सीधे तौर पर जनता से प्रतिदिन होने वाली परेशानियों का फीडबैक लिया जाएगा।

दिल्ली सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से सरकार को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व खाद्य आपूर्ति विभाग के संबंध में सीधे जानकारी हासिल हो सकेगी। इससे पहले भी दिल्ली सरकार जनता दरबार और तुगलकाबाद व देवली में पदयात्रा से मुख्यमंत्री केजरीवाल जनता के बीच जा चुके हैं। सभी मंत्रियों के सक्रिय होने से सरकार के पास अधिक माध्यमों से जमीनी रिपोर्ट मुहैया हो सकेगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया लगातार दिल्ली में बन रहे स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्यों की जांच कर रहे हैं। वहीं मंत्री गोपाल राय ने न्यूनतम भत्तों के मामले में लोगों से फीडबैक लिया और मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन, सब रजिस्ट्रार कार्यालय व परिवहन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने समाज कल्याण विभाग से संबंधित विभागों की जांच शुरू की है।

बिजली शुल्क में कमी लाने के दिए संकेत

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वार्ता के दौरान बताया कि दिल्लीवालों को बिजली के बिल में सबसे अधिक तय शुल्क का झटका लग रहा है। इन दरों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सरकार बिलों के तय शुल्क घटक को कम करने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के संपर्क में है ताकि तय दरों को कम किया जा सके।

शुरू होगा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी का काम

महिलाओं की सुरक्षा के लिए 8 जून से दिल्ली में कैमरे लगने शुरू होंगे जो दिसंबर तक लग जाएंगे। इस मसौदे के तहत 1.4 लाख कैमरे दिल्ली में लगाए जाने हैं। स्कूलों में निगरानी के लिए भी कैमरे लगाने का फैसला लिया है। यह काम नवंबर तक पूरा होगा। सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त लगभग 1.50 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे।

जल्द आएंगी दिल्ली की सड़कों पर 3000 बसें

दिल्ली की सड़कों पर एक साल में 3000 बसें उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही डीटीसी की बसों के अतिरिक्त कलस्टर बसों में भी मार्शल की सुविधा उपलब्ध होगी। समस्या यह है कि लोगों को यह पता नहीं चलता है कि बस में मार्शल कहां पर तैनात है। इसके लिए बसों में मार्शल की सीट पर एक स्टीकर लगा होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर इन मार्शल को सूचित किया जा सकेगा।

'आप' की गाड़ी को कितना आगे ले जाएगी महिलाओं की मुफ्त सवारी

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 3 जून।

तय समय से तीन महीने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव करवाने की चुनाव आयोग की चर्चा के बाद आम आदमी पार्टी (आप) को महिलाओं को दिल्ली मेट्रो और बसों में मुफ्त यात्रा देने की घोषणा करनी पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए बताया कि इसे तीन महीने में लागू कर दिया जाएगा। इस वित्तीय साल के बाकी महीनों में इसे लागू करने पर सरकार को करीब सात सौ करोड़ रुपए की सबसिडी देनी पड़ेगी। इस एलान से लग रहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। फरवरी 2015 के लोक सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। उसे 70 सदस्यों वाली विधान सभा में 67 सीटें और 54 फीसद वोट मिले थे।

आम आदमी पार्टी 2015 के विधान सभा चुनाव से पहले 2014 के विधान सभा चुनाव में भी दिल्ली में कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इसके बावजूद 33 फीसद वोट लाकर वह हर सीट पर नंबर दो रही और कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया। इस बार आम आदमी पार्टी को सबसे कम करीब 18 फीसद वोट मिले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सरकार के सात में से पांच मंत्रियों के इलाके में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही।

2015 के विधान सभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिर रहा है। हर बार बिजली हाफ और पानी माफ जैसे मुद्दे खोजने आसान नहीं होंगे। 2015 में आम आदमी पार्टी को जिन बिरादरियों ने सबसे ज्यादा साथ दिया था उनमें पूर्वांचल के प्रवासी (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि के मूल निवासी), दलित(गरीब बस्तियों के लोग) और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे।

माना जा रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में अक्तूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में विधान सभा चुनाव होंगे। उसके दो महीने बाद ही दिल्ली विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं। तीनों राज्यों के साथ दिल्ली में चुनाव करवाने की चुनाव आयोग की तैयारी से घबड़ाई आम आदमी पार्टी ने पहले चुनाव करवाने का विरोध किया। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की टिप्पणी के बाद दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा। संविधान के जानकार और दिल्ली विधान सभा के लंबे समय तक सचिव रहे सुदर्शन कुमार शर्मा ने कहा कि यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है कि वह किसी भी विधान सभा का कार्यकाल छह महीने से कम बचा हो तो अपनी सुविध से चुनाव पहले भी करा सकता है। चुनाव आयोग के लिए आसान होगा कि तीन राज्यों के साथ दिल्ली के चुनाव पहले कराए जाएं। ऐसा कई

बार पहले भी हो चुका है। दो महीने बाद फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू करना वैसे भी अक्लमंदी नहीं है। लोक सभा चुनाव संपन्न होने के छह महीने बाद चार विधान सभाओं के चुनाव होने से चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों दोनों को सुविधा होगी। वैसे अभी चुनाव आयोग ने इस बारे कोई टिप्पणी नहीं की है।

इस माहौल में महिलाओं को मेट्रो की फ्री यात्रा कितनी कारगर होगी यह तो समय बताएगा। वैसे अभी उसे लागू करने में तमाम दिक्कतें आने वाली हैं। किस तरह से मेट्रो में प्रवेश के लिए महिलाओं को मुफ्त टोकन दिया जाएगा और किस तरह से उसका दुरुपयोग रोका जाएगा। जिस मेट्रो में दिल्ली के विधायकों तक के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं है, उसमें लाखों महिलाओं को फ्री यात्रा करवाकर करोड़ों की सबसिडी आम लोगों से वसूले जाने का लोग कितना समर्थन करेंगे।

दूसरी बार बिजली-पानी सस्ता करने के नाम पर फरवरी 2015 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी ने अपने 70 सूत्री एजेंडे को लागू करने की बात कही। इस बार तो उन्हें उन कामों का हिसाब भी लोगों को देना होगा। पहले हर मुद्दे पर लोगों से संवाद करने और धरना प्रदर्शन करने वाली पार्टी का दोबारा सत्ता में जाने के बाद काम करने का तरीका बदला और इसी का परिणाम माना जा रहा है कि उनका राजनीतिक ग्राफ गिरने लगा। पंजाब विधान सभा चुनाव से वे कमजोर होने लगे और दिल्ली में राजौरी गार्डन विधान सभा चुनाव से और 2017 के नगर निगमों के चुनाव में तो जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने हाशिए पर ला दिया था, वह बराबरी पर आने लगी। एक मंत्री जाली प्रमाणपत्र के चक्कर में तो दूसरे रिश्वत लेने के आरोप में तो तीसरे सेक्स कांड में फंस चुके थे। इसके अलावा अनेक मामलों में अनेक नेता फंसते ही जा रहे थे। पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने पर अनेक बड़े नेताओं को पार्टी से निकाले जाने के बाद तो पार्टी के छोटे नेताओं की कोई हैसियत न रही। इसी से परेशान सुल्तानपुरी के विधायक और मंत्री रहे संदीप कुमार बसपा में शामिल हो गए। मटिया महल के विधायक और मंत्री रहे असीम अहमद खान और चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा के किसी भी दिन कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

घोषणा मंत्री का जुमला : मनोज तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

महिलाओं को मुफ्त सफर मुहैया कराने की घोषणा के बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना नाम लिए घोषणा मंत्री का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि घोषणा मंत्री ने चुनाव से पहले एक और घोषणा कर दी है। 52 महीने में दिल्ली सरकार ने 70 सूत्रीय एजंडे को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और जब चुनाव के 6-7 माह बचे हैं तो आम जनता को गुमराह करने के लिए घोषणाएं कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से इस समय आम जनता भीषण प्रदूषण से जूझ रही है। दिल्ली सरकार ने विकास के नाम पर दिल्ली को नंबर एक तो नहीं बनाया। लेकिन प्रदूषण के मामले में दिल्ली को नंबर एक पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त बसें नहीं है। इस समय दिल्ली वालों को करीब 20 हजार बसों की जरूरत है। लेकिन महज 3500 बसों से दिल्ली की जनता काम चला रही है। ये बसें भी पुरानी हो चुकी हैं। इन बसों में मार्शल लागू नहीं हुए हैं और आपात बटनों ने भी काम करना बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 70 सूत्रीय एजंडा तैयार किया था। इन पर सरकार ने कोई काम नहीं किया है।

भाजपा नेता व पूर्व मंत्री विजय गोयल ने कहा कि बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देना केवल एक चुनावी वादा है। लोकसभा में चुनाव हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल केवल सबसिडी पर दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछा कि दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करने के लिए जो बुनियादी ढांचा स्थापित करना पड़ेगा उसके लिए हजारों करोड़ रुपए की धनराशि कहां से आएगी। इस बुनियादी ढांचे में महिलाओं और पुरुषों को लिंग के आधार पर अलग-अलग पहचान करना तकनीकि और आर्थिक रूप से अपने आप में अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।

आंधी-बारिश करेगी गरमी की छुट्टी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

गर्म हवाओं से तप रहे दिल्ली-एनसीआर को आने वाले दिनों में मौसम से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दो-तीन दिनों में हल्की बारिश व आंधी की वजह से राहत दर्ज की जाएगी। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्यियस दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान में सामान्य से दो डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चुरू (राजस्थान) में अधिकतम तापमान 50.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली व आसपास के राज्यों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर ही हल्की बारिश होने के संकेत दे रहा है। इसका सीधा लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश झारखंड, बिहार, दिल्ली व आसपास के राज्यों पर बना हुआ है।

खुले में पेशाब करने से टोकने पर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

गोविंदपुरी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक युवक की पत्थर से हत्या कर दी गई। वारदात से पहले युवक ने आरोपी के पिता को खुले में पेशाब करने से मना किया था और मारपीट की थी। मामूली कहासुनी के बाद गुस्साए आरोपियों ने लीलू नामक 28 साल के युवक के सिर, पेट और पसली पर पत्थर से हमला कर दिया।

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे एम्स ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि लीलू के खिलाफ भी झपटमारी, लूटपाट और आर्म्स एक्ट समेत 17 मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, लीलू गोविंदपुरी थाने का घोषित बदमाश है। मृतक की बहन शीतल ने बताया कि नीलू के साथ गोविंदपुरी में पत्नी पिंकी,

फाइल फोटो

तीन बेटे और एक बेटी रहती हैं। वह रिक्शा चलाने का काम करता था। रविवार देर रात करीब 11 बजे गर्मी की वजह से वह सड़क पर अपनी पत्नी पिंकी के साथ बैठा था। इसी दौरान आरोपी के पिता मान सिंह (65) सड़क पर पेशाब करने लगे तो लीलू ने इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि लीलू ने बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया जिससे नाराज होकर आरोपी के परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए और लीलू के साथ हाथापाई करने लगे। इसी दौरान आरोपियों में से एक ने बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर देर मारा।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश से ठगी की जांच साइबर सेल को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा के साथ हुई साइबर ठगी का मामला साइबर सेल को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ही सेवानिवृत जस्टिस बीपी सिंह की ई-मेल आइडी हैक कर जालसाजों ने लोढ़ा से एक लाख रुपए ठगे थे। अब इसकी जांच साइबर सेल करेगी।

दक्षिणी जिले के पुलिस अधिकारी ने बताया कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की आधिकारिक मेल आइडी पर 19 अप्रैल को दोपहर में सेवानिवृत्त जस्टिस बीपी सिंह का मेल आया था, जिसमें भतीजे की बीमारी के उपचार के लिए एक लाख रुपए मांगे गए थे।

तरणताल में तैरने गए पीसीआर चालक की मौत, दोस्तों पर हत्या का शक

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 जून।

सेक्टर- 94 के स्विमिंग पूल (तरणताल) में पीसीआर वाहन चलाने वाले निजी चालक का शव मिला है। मृतक अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाने गया था। वहीं, मृतक के परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का शक जताते हुए थाना सेक्टर-39 पुलिस से शिकायत की है। पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

मूलरूप से राजस्थान के रहने वाले राजेंद्र सिंह गौड़ अपने परिवार के साथ सेक्टर-44 स्थित छलेरा गांव में रहते हैं। उनका बेटा कृष्णा (25) सेक्टर-37 पुलिस चौकी की पीसीआर में चालक है। राजेंद्र सिंह के मुताबिक रविवार दोपहर कृष्णा के पास उसके एक दोस्त का फोन आया था। जिसके बाद कृष्णा बगैर कुछ बताए घर से बाहर चला गया। शाम करीब 6 बजे भरत नाम का दोस्त कृष्णा को अपनी कार में लेकर घर पहुंचा। बताया कि कृष्णा और उसके कुछ दोस्त सेक्टर-94 के तरणताल में नहाने गए थे जहां कृष्णा डूब गया। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया। वहीं, राजेंद्र सिंह ने दोस्तों पर कृष्णा के साथ मारपीट कर डुबोकर हत्या करने का शक जताया है।

मानसिक तनाव के चलते युवक ने आत्महत्या की

सेक्टर- 22 स्थित चौड़ा गांव में रविवार रात युवक ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची थाना सेक्टर-24 पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। मूलरूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले रोहित सिंह परिवार के साथ चौड़ा गांव में रहते थे। एक निजी कंपनी में काम करने वाले रोहित पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे।

एडॉप्टिव यातायात प्रणाली आज से लागू

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 जून।

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए छह स्थानों पर एडॉप्टिव सिग्नल लगाए गए हैं।। इससे पहले अभी तक जिन चौराहों पर एडॉप्टिव सिग्नल लगाए गए हैं, वहां यातायात प्रबंधन को लेकर सकारात्मक परिणाम आए हैं।

सेक्टर- 10 स्थित इंडियन एक्सप्रेस चौक, सेक्टर- 31/25 चौराहे, सेक्टर- 21ए नोएडा स्टेडियम के दोनों चौराहे, सेक्टर-25 स्पाइस मॉल के अलावा सेक्टर-31 फ्लाई ओवर चौक शामिल है। अभी रजनीगंधा चौराहे, बीएसएनएल चौराहे, इंडियन ऑयल गोल चक्कर, चौड़ा मौड पर यह प्रणाली इस्तेमाल की जा रही है। इन स्थानों पर व्यस्त घंटे यानी सुबह 9:15 से 11:00 बजे और शाम 6:30 से 8:00 बजे तक यातायात व्यवस्था का आकलन किया गया।

विधानसभा चुनाव से पहले निगम अधिकारी होंगे इधर-उधर

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 3 जून।

केंद्र सरकार के गठन के बाद दिल्ली नगर निगमों के कुछ आला अधिकारियों के फेरबदल की चर्चा शुरू हो गई है। यह फेरबदल इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है चूंकि अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार और नगर निगमों के बीच पैसे के आबंटन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं उसमें केंद्र की दखलअंदाजी जरूरी हो गई है।

बीते दिन हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों ने तीन महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर सरकार और निगम को कठघरे में खड़ा कर दिया था। तब भाजपा और 'आप' के बीच इस बात को लेकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों में इन दिनों उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली निगम के कुछ अधिकारी आलाकमान के रडार पर हैं। इन अधिकारियों के काम से भाजपा और 'आप' दोनों संतुष्ट नहीं है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के आयुक्त पुनीत गोयल का स्थानांतरण हुआ है। गोयल 1991 बैच के आइएएस हैं जो लंबे समय से दक्षिणी निगम में विराजमान थे। वे कुछ दिनों के लिए पूर्वी नगर निगम में भी आयुक्त का अतिरिक्त संभाल चुके थे। तब पूर्वी निगम का आयुक्त रणवीर सिंह का ताबदला विवादों में आया था। सिंह पहले लंबी छुट्टी पर गए और बाद में पता चला कि उनका स्थानांतरण कर दिया गया। सिंह इस समय दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। इन दिनों उत्तरी और दक्षिणी निगम के कुछ आला अधिकारियों का फेरबदल तय माना जा रहा है। इनमें निगम के जोन में बैठे आइएएस अधिकारी भी शामिल हैं। उत्तरी निगम में सिविल लाइन जोन, करोल बाग जोन के उपायुक्त का नाम भी शामिल है। इन अधिकारियों के फेरबदल के पीछे का मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि इनके कामकाज से विधायी पक्ष और प्रशासनिक पक्ष दोनों ही नाखुश हैं।

दिल्ली नगर निगम में हलचल

बताया जा रहा है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार और नगर निगमों के बीच पैसे के आबंटन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं उसमें केंद्र की दखलंदाजी जरूरी हो गई है

उधर, उत्तरी दिल्ली निगम में भी कुछ अधिकारियों का जाना तय माना जा रहा है। भाजपा शासित निगम में हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल की उससे भी भाजपा आलाकमान असंतुष्ट हैं। बताया जा रहा है ऐसी नौबत आने के पीछे कौन से कारण थे उसे ढूंढ़ते हुए अधिकारियों को यहां से चलता करने के मूड में निगम पदाधिकारी हैं। एक चर्चा यह भी है कि निगम आयुक्त की अपने कुछ मातहतों से बन नहीं रही है। बताया जा रहा है कि उत्तरी निगम आयुक्त ने एक अतिरिक्त आयुक्त का अधिकार खुद अपने जिम्मे लेते हुए उन्हें आराम फरमाने को कह दिया है। इस तरह के मतभेद का असर निगम के क्रियाकलाप पर सीधे तौर पर पड़ रहा है।

सीबीआइ तीन महीने में जांच पूरी करे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रयगृह यौन उत्पीड़न कांड में संदिग्ध हत्याओं सहित सारे मामले की जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय देते हुए सोमवार को उसे जांच का दायरा बढ़ाने और इस अपराध में 'बाहरी लोगों' की संलिप्तता की भूमिका की भी पड़ताल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत अप्राकृतिक यौन हिंसा के आरोपों की भी जांच करने का निर्देश सीबीआइ को दिया है। टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आश्रय गृह में लड़कियों से बलात्कार और उनके यौन शोषण की घटनाएं सामने आई थीं।

मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामला

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह के अवकाश पीठ ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में सीबीआइ द्वारा पेश अंतरिम प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद उसे जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय और दे दिया। सीबीआइ इस जांच को पूरा करने के लिए छह महीने का समय और चाहती थी। साथ ही पीठ ने जांच एजंसी से कहा कि वह आश्रयगृह में लड़कियों से कथित हिंसा की वीडियो रिकार्डिंग के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराधों की भी जांच करे।

पीठ ने कहा, 'हम सीबीआइ को अपनी जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय देते हैं।' कोर्ट ने सभी दूसरी संबंधित एजंसियों को सीबीआइ की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। जांच ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल माधवी दीवान ने पीठ से कहा कि एजंसी ने अभी तक दो शव निकाले हैं और वह इनकी पहचान स्थापित करने के लिए फारेन्सिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रही अधिवक्ता अपर्णा भट ने कहा कि हत्या के पहलू की गहराई से जांच की आवश्यकता है क्योंकि अनेक पीड़ितों ने इस बारे में बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अप्राकृतिक यौन हिंसा के अपराध के भी आरोप हैं और सीबीआइ को इस पहलू की भी जांच करनी चाहिए। यही नहीं, जांच ब्यूरो को इस तथ्य की भी जांच करनी चाहिए कि इन लड़कियों को आश्रय गृह मे कौन लाया था। पीठ ने इन घटनाओं में बाहरी व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच का निर्देश दिया है जो इसमें संलिप्त थे और जिन्होंने इसमें रहने वाली संवासिनों को नशीला पदार्थ देने के बाद उनसे यौन हिंसा में सहयोग किया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने कहा कि सीबीआइ ने इस मामले में सही तरीके से जांच नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजंसी ने लड़कियों की तस्करी के आरोपों की जांच नहीं की है। उन्होंने कहा कि अनेक लड़कियों ने आश्रय गृह में बाहरी व्यक्तियों के आने और उनका यौन शोषण करने की बात कही है लेकिन जांच ब्यूरो ने इस पहलू की जांच ही की। पीठ ने जांच ब्यूरो से सवाल किया, 'कितनी लड़कियां लापता हैं (आश्रय गृह से)?' इस पर दीवान ने कहा कि आश्रय गृह में 471 लड़कियां थीं और गवाहों के अनुसार 11 लड़कियों की हत्या कर दी गई लेकिन उनकी पहचान स्थापित करना मुश्किल हो रहा है।

चेन्नई में अस्पताल की पांच मंजिलें गिराने के आदेश पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें चेन्नई में स्वीकृत नक्शे का कथित रूप से उल्लंघन कर बनाए गए आठ मंजिला अस्पताल की पांच मंजिलें गिराने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह के अवकाश पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही बिलरॉथ हास्पिटल्स लिमिटेड को निर्देश दिया कि ऊपर की पांच मंजिलों का किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए।

पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अस्पताल की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही पीठ ने अस्पताल को ऊपर की पांच मंजिलों को खाली करने के लिए दस दिन का समय दिया है। हाई कोर्ट ने 16 जून से इन मंजिलों को गिराने का काम शुरू करने का आदेश दिया था। अस्पताल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा कि उसने तमिलनाडु के भवन नियमित करने संबंधी 2017 की योजना के तहत आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि 2017 की योजना से संबंधित मामला लंबित है लेकिन हाई कोर्ट ने एक अलग अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए इस योजना को निरस्त कर दिया था।

पांच लापता पर्वतारोहियों के शव नंदा देवी के पास देखे गए

पिथौरागढ़, 3 जून (भाषा)।

भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टरों ने लापता हुए आठ पर्वतारोहियों में से पांच के शव उत्तराखंड के नंदा देवी पूर्वी चोटी पर सोमवार को देखे। आठ सदस्यों के दल में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही थे जो नंदा देवी पूर्वी चोटी पर चढ़ने के दौरान लापता हो गए थे।

पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी वीके जोगदांडे ने बताया कि वायुसेना के हेलिकॉप्टरों ने सोमवार को तलाश अभियान के दौरान पांच पर्वतारोहियों के शव नंदा देवी पूर्वी चोटी के पास देखे। उन्होंने कहा कि नंदा देवी पूर्वी चोटी के नजदीक चढ़ाई के दौरान संभवतया हिमस्खलन के कारण पर्वतारोहियों की मौत हो गई। ब्रिटेन के चार पर्वतारोहियों को रविवार को बचाने के बाद उनसे मिली सूचना के आधार पर हवाई तलाश के दौरान ये शव देखे गए। जिलाधिकारी ने कहा कि हम केंद्र को रिपोर्ट भेज रहे हैं। निर्देश मिलने के बाद हम आगे का बचाव अभियान शुरू करेंगे।

ब्रिटेन के मशहूर पर्वतारोही मार्टिन मोरान के नेतृत्व में यह दल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 7434 मीटर ऊंची नंदा देवी पूर्वी चोटी पर लापता हो गया। नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन का एक संपर्क अधिकारी भी उस दल का हिस्सा था। यह दल 13 मई को चोटी पर चढ़ाई के लिए मुंस्यारी से रवाना हुआ था।

तीन तलाक पर पाबंदी के लिए फिर विधेयक लाएगी सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि फौरी तीन तलाक की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद में फिर से विधेयक लाएगी। पिछले महीने 16 वीं लोकसभा के भंग होने के साथ फौरी तीन तलाक पर पाबंदी लगाने वाले विवादित विधेयक की मियाद समाप्त हो गई क्योंकि यह संसद में पारित नहीं हुआ और राज्यसभा में लंबित रह गया। राज्यसभा में पेश किया गया और लंबित विधेयक लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त नहीं होता। हालांकि, लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक की मियाद समाप्त हो जाती है। विपक्ष राज्यसभा में विधेयक के प्रावधानों का विरोध कर रहा था, जहां पर सरकार के पास इसे पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी।यह पूछे जाने पर कि क्या फौरी तीन तलाक पर विधेयक को फिर से लाया जाएगा, इस पर प्रसाद ने कहा, 'बिल्कुल। फौरी तीन तलाक (का मुद्दा) हमारे (भाजपा) घोषणापत्र का हिस्सा है। क्यों नहीं ?' समान नागरिक संहिता को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर राजनीतिक विचार-विमर्श करेगी।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATIONS OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

SHYAM STEEL

SHYAM STEEL INDUSTRIES LIMITED

Our Company was originally incorporated as Shyam Shree Steels Limited on March 8, 2002 at Kolkata as a public limited company under the Companies Act, 1956, and was issued a certificate of incorporation by the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata (**"RoC"**). Subsequently, the name of our Company was changed to Shyam Steel Industries Limited and a fresh certificate of incorporation consequent on change of name was issued by RoC on December 18, 2003. For details pertaining to the changes in our name and the address of our Registered Office, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 140 of the Draft Red Herring Prospectus.
Registered Office and Corporate Office: Shyam Tower, EN-32, Sector - V, Salt Lake City, Kolkata 700 091; **Tel:** 033-4007 4007; **Contact Person:** Prashant Damani, Company Secretary and Compliance Officer; **Email:** investor@shyamsteel.com; **Website:** www.shyamsteel.com; **Corporate Identity Number:** U27100WB2002PLC094339

PROMOTERS OF OUR COMPANY: PURUSHOTTAM BERIWALA, GOVIND BERIWAL, LALIT BERIWALA, RAVI BERIWALA, BRIJESH BERIWALA AND MANISH BERIWALA

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF SHYAM STEEL INDUSTRIES LIMITED (OUR "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "ISSUE") CONSISTING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,000 MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 6,670,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, COMPRISING UP TO 1,160,300 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS AND UP TO 5,509,700 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY OTHER SELLING SHAREHOLDERS (TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS") AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFERED SHARES") ("OFFER FOR SALE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [•] %OF THE POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•], [•] EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] AND [•] EDITIONS OF THE BENGALI DAILY NEWSPAPER [•] (BENGALI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF WEST BENGAL, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days following such revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholders in consultation with the Book Running Lead Managers may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Managers and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) and other Designated Intermediaries, as applicable.

This Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (**"SCRR"**) read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the **"SEBI ICDR Regulations"**). This Issue is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**, the **"QIB Portion"**), provided that our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the Book Running Lead Managers, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (**"Anchor Investor Portion"**). At least one-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion. 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders, other than Anchor Investors, shall only participate in the Issue through the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIBs using UPI Mechanism) wherein the Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA Process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 316 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, a public Issue of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus dated May 31, 2019 with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) on June 3, 2019. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations , the Draft Red Herring Prospectus filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI, at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges and where the Equity Shares are proposed to be listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and the websites of the Book Running Lead Managers, i.e., Axis Capital Ltd, Edelweiss Financial Services Ltd, IIFL Holdings Ltd and SBI Capital Markets Ltd at www.axiscapital.co.in, www.edelweiss.com, www.iiflcap.com and www.sbicaps.com respectively. The Company invites members of the public to give their comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with SEBI with respect to the disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus to SEBI and/or the Company Secretary and Compliance Officer of Company and/or Book Running Lead Managers. The members of the public are requested to send a copy of their comments sent to SEBI, to the Company or Company Secretary and Compliance Officer and the Book Running Lead Managers at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by the Company or Company Secretary and Compliance Officer and the Book Running Lead Managers in relation to the Issue on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus with the SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to**"Risk Factors"** beginning on page 23 of the Draft Red Herring Prospectus. Any decision whether to invest in Equity Shares described in the Draft Red Herring Prospectus may only be made after a Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospects, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

AXIS CAPITAL
Axis Capital Limited
1st Floor, Axis House C 2 Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400 025
Tel: +91 22 4325 2183
Email: ssl.ipo@axiscap.in
Investor grievance email: complaints@axiscap.in
Website: www.axiscapital.co.in;
Contact person: Mayuri Arya
SEBI registration number: INM000012029

Edelweiss
Edelweiss Financial Services Limited
14th Floor, Edelweiss House, Off C.S.T. Road, Kalina, Mumbai 400 098; **Tel:** +91 22 4009 4400
Email: shyamsteel.ipo@edelweissfin.com
Investor grievance email: customerservice.mb@edelweissfin.com
Website: www.edelweissfin.com
Contact person: Disha Doshi / Mohit Kapoor
SEBI registration number: INM0000010650

IIFL
IIFL Holdings Limited
10th Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013
Tel: +91 22 4646 4600
Email: ssl.ipo@iiflcap.com
Investor grievance email: ig.ib@iiflcap.com
Website: www.iiflcap.com
Contact person: Rajshekhar Swamy/Aditya Agarwal
SEBI registration number: INM000010940

SBI Capital Markets Limited
202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade, Mumbai 400 005
Tel: +91 22 2217 8300; **Email:** ssil.ipo@sbicaps.com
Investor grievance email: investor.relations@sbicaps.com
Website: www.sbicaps.com
Contact person: Karan Savardekar / Janardhan Wagle
SEBI registration number: INM000003531

REGISTRAR TO THE ISSUE

LINK Intime
Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bhadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083; **Tel:** +91 022 49186200; **Email:** shyamsteel.ipo.linkintime.co.in
Investor grievance email: shyamsteel.ipo@linkintime.co.in; **Website:** www.linkintime.co.in; **Contact person:** Shanti Gopalkrishnan; SEBI registration number: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus.

For **SHYAM STEEL INDUSTRIES LIMITED**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Kolkata
Date : June 3 2019

SHYAM STEEL INDUSTRIES LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus dated May 31, 2019 with SEBI on June 3, 2019. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Book Running Lead Managers at www.axiscapital.co.in, www.edelweissfin.com, www.iiflcap.com and www.sbicaps.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see "Risk Factors" beginning on page 23 of Draft Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus for making any investment decision.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such Issue and sales are made. There will be no public offering in the United States.

CONCEPT

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
जेडओएसएआरबी, 9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली'110001, भारत
फोन: +91 11 23448840, 23448841, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

सार्वजनिक सूचना
सदंर्भ: एनपीए खाता मेसर्स बांके बिहारी ट्रेडिंग कंपनी, शाखा: जेडओएसआरबी, नई दिल्ली
इरादतन चूककर्ता के फोटों का प्रकाशन

नितिन अरोड़ा

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है:
1. मैसर्स बांके बिहारी ट्रेडिंग कंपनी, IX-7198, महावीर गली, गांधी नगर, दिल्ली -110031
2. श्री नितिन अरोड़ा : एच -4/12, कृष्णा नगर, विजय चौक के पास, दिल्ली -110051
बैंक ने उक्त व्यक्तियों को इरादतन चूककर्ता घोषित करने के निर्णय के बारे में सूचित करने के लिए उपयुक्त सूचना भेजी थी।
जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के आज्ञानुसार जनसाधारण की सूचना के लिए बैंक इरादतन चूककर्ता की फोटो प्रकाशित करता है।

हस्ता/-
दिनांक: 03.06.2019 मुख्य प्रबंधक
स्थान: नई दिल्ली बैंक ऑफ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी, नई दिल्ली

फार्म नं. यूआरसी-2
अधिनियम के शीर्षक XXI के पार्ट 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिये विज्ञापन
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (ऑथोराइज्ड टू रजिस्टर) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में इस सूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के बाद किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के रजिस्ट्रार" के पास इस आशय के एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि मै. अरमानी ट्रैवल सर्विसेस, एक पार्टनरशिप फर्म को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के चैप्टर XXI के पार्ट 1 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाये।
2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य हैं: भारत तथा विदेश में ट्रैवल एजेन्ट, ट्रान्सपोर्ट एजेन्ट्स, पैसेज ब्रॉकर्स, एयरलाइनों के प्रतिनिधि, वैदेशिक ट्रैवल एजेन्ट्स तथा टूर ऑपरेटर्स का व्यवसाय करना। भारत तथा विदेश में पास्पोर्ट/वीसा/आयात/निर्यात/पंजीकरण प्रवासन के संदर्भ में कंसल्टैन्सी उपलब्ध कराने तथा संबंधित लॉजन सेवाओं के लिये यात्रियों के लिये जानकारी के संग्रहण एवं वितरण के लिये सूचना ब्यूरो की स्थापना तथा प्रबंधन करना।
3. प्रारूप मेमोरैण्डम तथा प्रस्तावित कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति का निरीक्षण 4525ए, 7/33, भूतल, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर जिला गुड़गाँव, (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास लिखित में अपनी आपत्ति भेजें।

आज, दिनांक 3 जून, 2019 को।
आवेदक का नाम
1. मनीश भल्ला
2. शिल्पी शर्मा
हस्ता./-

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के समक्ष, दिल्ली एंड हरियाणा
04 फ्लोर, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा(3) और सीमित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के मामले में और **सेफमेडट्रिप असिस्टेंस एलएलपी** जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, अंसल टॉवर, 38, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है, के मामले में

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली की रा.रा.क्षे."** से **"हरियाणा" राज्य"** में परिवर्तित करने में सक्षम बनाने के लिए सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, दिल्ली एंड हरियाणा के पास एक याचिका करने का प्रस्ताव करता है।

कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपनी आपत्ति या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ इसे पंजीकृत डाक द्वारा **रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, 04 फ्लोर, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019** के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक्कीस दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी के उपर्युक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए।

कृते और उनकी ओर से
सेफमेडट्रिप असिस्टेंस एलएलपी
हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली प्रदीप ठकराल
दिनांक: 04.06.2019 (पदनामित साझेदार)
दस्तूर 02600669
ए-501 सेन्ट्रल पार्क-1, सेक्टर-42, गुडगांव-122001

Form No.:5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007.
(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

Summons for filling Reply & Appearance by Publication
O.A. No. 1460 OF 2018

Summons to defendants under Section 19(4) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993)

Syndicate Bank, Modinagar Branch, Ghaziabad.....Applicant.
Versus
M/s Priya Industries and others.....Defendants
To,
1- M/s Priya Industries, Proprietorship Concern, Village Sikri Kala, Ram Nagar, Near Suman Cinema, Modinagar, District - Ghaziabad through its proprietor Mr. Ashok Kumar Kashyap.
2- Ashok Kumar Kashyap S/o Sri Mam Chand Kashyap R/o Village Sikri Kala, Ram Nagar, Near Suman Cinema, Modinagar, District - Ghaziabad.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **25/07/2019** at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my Hands and Seal of this Tribunal on 12th Day of April, 2019.
Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

सार्वजनिक सूचना

जैसा कि स्टैन्जा डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ("एसडीआईपीएल") जो भू-स्वामी है, को सेक्टर-19, पानीपत, हरियाणा में स्थित एक ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी माप 10.0125 एकड़ (यहां के बाद "उक्त परियोजना") को विकसित करने के लिये लाइसैन्स नं. 2006 का 997 तिथि 16.6.2006 (यहां के बाद "लाइसैंस") स्वीकृत किया गया था। तथा जैसा कि, उक्त परियोजना उप-रजिस्ट्रार, पानीपत, हरियाणा में विधिवत पंजीकृत विकास अनुबंध के अंतर्गत एस्ट्रम वैल्यु होम्स प्रा.लि. ("एवीएचपीएल") के सहयोग/संयुक्त विकास में विकसित की जा रही है।

तथा जैसा कि कई व्यक्तियों ने एवीएचपीएल एवं एसडीआईपीएल द्वारा उक्त परियोजना में फ्लैटों/यूनिटों के आवंटन के लिये बिक्री के लिये बुकिंग कराया है। अनुबंध किया है (यहां के बाद "एलॉटीज" वर्णित)। तथा जैसा कि एवीएचपीएल के पक्ष में विकास अधिकारों के एसाइन्मेन्ट के कारण उक्त लाइसैन्स में लाभभोगी हित में परिवर्तन की स्वीकृति के लिये निदेशक, टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय में 5.3.2019 को आवेदन दाखिल किया गया था। तथा जैसा कि, एवीएचपीएल ने 14.5.2019 को विभाग से उक्त आवेदन के लिये स्वीकृति प्राप्त की है।

तथा जैसा कि निदेशक, टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय ने एवीएचपीएल के पक्ष में विकास अधिकारों के एसाइन्मेन्ट के कारण लाभभोगी हित में परिवर्तन की अनुमति के विरुद्ध आपत्तियाँ मंगाई हैं।

तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा उक्त स्वीकृति पर उक्त परियोजना में किसी भी एलॉटीज से आपत्तियाँ आमंत्रित हैं। उक्त स्वीकृति जिसका मेमो नं. एलसी-826-वॉल-II-जेई (एमके) 2019/11912 तिथि 14.5.2019 है, की एक प्रति अवलोकन के लिये हमारी वेबसाईट http://www.astrumhomes.com/panipat/index.html पर उपलब्ध है। उक्त स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी के साइट कार्यालय: ला-रेजेन्शिया, सेक्टर-19, पानीपत-132103 में भी देखी जा सकती है। यदि किसी एलॉटी को इस स्वीकृति पर कोई आपत्ति हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर टाउन प्लानर, पानीपत, हरियाणा के कार्यालय में अपनी आपत्ति दाखिल करें अन्यथा यह माना जायेगा कि उक्त स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं है।

कृते एवं के लिये
स्थान: पानीपत एस्ट्रम वैल्यु होम्स प्रा. लि.
तिथि: 4.6.2019 प्राधिकृत प्रतिनिधि

नियुक्तियां

राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
राइट्स भवन, प्लॉट नं. 1, सेक्टर - 29, गुड़गांव - 122001

निम्नलिखित पद/स्थितियों के लिए योग्य पेशेवरों की आवश्यकता है वेतनमान अनुबंध के आधार पर:

रिक्ति सं.	पद	रिक्तियों की संख्या
37/19	इंजीनियर (सिविल)	16
38/19	जूनियर असिस्टेंट (एचआर)	22
39/19	इंजीनियर (एस एंड टी)	4
40/19	अतिरिक्त महाप्रबंधक (डिजाइन)	1
41/19	उप महाप्रबंधक (डिजाइन)	1
42/19	प्रबंधक (डिजाइन)	2

उम्मीदवार पद, वेतनमान, योग्यता, आयु, तिथि एवं स्थान, चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत सूचना के लिए, राइट्स की वेबसाइट **www.rites.com** के कैरियर सेक्शन में उपलब्ध पूर्ण विज्ञापन देख सकते हैं।

नियुक्तियां

SBI केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, क

जनसत्ता

4 जून, 2019

नापाक हरकत

पाकिस्तान ने बीते शनिवार को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी के दौरान जो अशिष्टतापूर्ण हरकत की है, वह हैरान करने वाली तो है ही, निंदनीय भी है। आज तक ऐसी घटना शायद ही किसी मुल्क में देखने-सुनने में आई होगी जब इफ्तार पार्टी में पहुंचे मेहमानों को जबरन वापस लौटा दिया गया हो। भारतीय उच्चायोग ने इस्लामाबाद के सेरेना होटल में इफ्तार की दावत रखी थी। इसमें पाकिस्तान के तीन सौ से ज्यादा राजनीतिकों, सांसदों, राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, मीडिया से जुड़े दिग्गजों, कारोबारियों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान ने भाईचारे और सौहार्द के इस आयोजन को एक अप्रिय घटना में बदल डाला। जो मेहमान सेरेना होटल पहुंचे थे, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा। ज्यादातर को तो होटल के भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया। सुरक्षा जांच के नाम पर सुरक्षाबलों, पुलिस और आइएसआइ के कारिंदों ने मेहमानों से धक्का-मुक्की की और उन्हें धमकाया भी गया। कई मेहमानों को सुरक्षाकर्मियों की गालियां सुननी पड़ीं, जांच के नाम पर कुछ के मोबाइल तक छीन लिए गए। पूरा होटल एक तरह से छावनी बना दिया गया था। इस घटना ने पाकिस्तान की मंशा और उसके चेहरे को उजागर करके रख दिया है। साफ है, वह इस आयोजन को किसी सूरत में नहीं होने देना चाहता था।

किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रमजान के पवित्र महीने में पड़ोसी देश भारत की ओर से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी एक दुखदायी घटना में बदल जाएगी। यह घटना बता रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत के साथ कैसे 'दोस्ताना' रिश्ते रखना चाहता है। जब-तब होती रहने वाली इस तरह की घटनाएं दोनों देशों के बीच रिश्तों में और कड़वाहट पैदा करती रही हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने यह किया हो। पिछले दो-तीन साल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। राजनयिकों के आवासीय परिसरों की जासूसी, बिजली-पानी की आपूर्ति बंद कर देने, संदिग्ध रूप से पीछा करने, राजनयिकों के यहां आने-जाने वालों को पूछताछ के नाम पर परेशान और प्रताड़ित करने जैसी घटनाएं अक्सर होती रही हैं। इन सारी घटनाओं के बावजूद भारत ने बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय दिया और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे तनाव भड़के और रिश्ते खराब हों। भारत ने हर ऐसी घटना पर राजनयिक प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के तहत ही विरोध दर्ज कराया। लेकिन पाकिस्तान ने तो राजनयिक आचरण और मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है!

इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर पाकिस्तान आखिर संदेश क्या देना चाहता है? क्या वह इस तरह भारत से अच्छे रिश्तों की उम्मीद करता है? पिछले साल पाकिस्तान की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने रिश्ते सुधारने की दिशा में बड़ी-बड़ी बातें की थीं। कहा था, अगर भारत एक कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान दो कदम बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस साल फरवरी में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हो गया। क्या ऐसा संभव है कि बिना पाकिस्तान सरकार या आइएसआइ के इशारे के इस तरह की घटना हो जाए? ताजा घटना से तो यही संकेत मिलता है कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में ऐसी हरकत की है। भारत की मजबूत सरकार के सख्त रवैए से उसकी नींद उड़ी हुई है और वह इस तरह की घटनाओं की आड़ में शांति की प्रक्रिया को बाधित करना चाहता है। अगर इरादे नेक हैं तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को क्या इस घटना की जांच करा कर हकीकत सामने नहीं लानी चाहिए!

मौत की चढ़ाई

एवरेस्ट की चढ़ाई दुनिया के सबसे साहसिक पर्वतारोहण अभियानों में से एक मानी जाती रही है। भौगोलिक स्थिति से लेकर मौसम तक को देखते हुए वहां जाने के पहले कई तरह की तैयारियां अनिवार्य होती हैं। साहस के साथ पहाड़ों की चढ़ाई का हौसला रखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान कई तरह के खतरों से भरे उस सफर को एक सामान्य खेल की तरह मान लिया गया है। यही वजह है कि जानलेवा जोखिम की अनदेखी करके ऐसे लोग भी एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकल पड़ते हैं, जिन्हें पर्वतारोहण की बुनियादी जानकारी तक नहीं होती। जबकि किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए विधिवत एक प्रशिक्षण से गुजरना और पूरी तरह प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। लेकिन महज शौक के साथ दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली चोटी पर चढ़ाई के लिए लोगों की भीड़ जिस तरह एवरेस्ट और उसके आसपास बढ़ रही है, वह न केवल कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है, बल्कि खुद एवरेस्ट और वहां के पर्यावरण तक के सामने कई तरह मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस साल हालत यह है कि कुछ दिनों पहले एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले रास्ते में भीड़ की वजह से जाम लग गया और लोगों को आगे बढ़ने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। सवाल है कि क्या यह किसी दुस्साहसिक अभियान की तस्वीर हो सकती है कि खतरे के सफर में इस कदर भीड़ हो जाए!

दरअसल, हाल के वर्षों में एवरेस्ट पर जाने के लिए जैसे-जैसे लोगों के बीच आकर्षण बढ़ा है, वैसे-वैसे इसने कारोबारी शक्ल अख्तियार कर ली है। दूसरी वजह यह है कि इस मौसम में एवरेस्ट पर जाने के लिए परमिट जारी करने से नेपाल को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा जमा करने का मौका होता है। गौरतलब है कि एक व्यक्ति को वहां जाने के लिए परमिट हासिल करने के बदले ग्यारह हजार डॉलर चुकाने पड़ते हैं। इस साल तीन सौ इक्यासी लोगों को एवरेस्ट चढ़ाई के लिए परमिट जारी किया गया। जबकि वहां जाने के लिहाज से मौसम की अवधि छोटी थी। नतीजतन, एक समय हालत यह हो गई कि एवरेस्ट की चढ़ाई के रास्ते पर ही लंबा जाम लग गया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ के बीच पंद्रह किलोमीटर की रफ्तार से बहती बर्फीली हवा और ऑक्सीजन की कमी के बीच खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए घंटों खड़े लोगों की हालत कैसी होती होगी।

एक बड़ी मुश्किल यह है कि जिन लोगों के पास पर्वतारोहण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होता है, वे भी स्थानीय गाइड के सहारे चोटी पर चढ़ाई की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के प्रशिक्षण के अभाव के बावजूद एवरेस्ट फतह करने के शौक और विपरीत मौसम के दबाव के चलते इस साल अब तक ग्यारह लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। सवाल है कि क्या पर्वतारोहण के शौक में इतनी संख्या में लोगों की जान जाने को सही माना जा सकता है? एवरेस्ट पर चढ़ाई के शौक के कारोबार बनते जाने ने न सिर्फ वहां जाने वाले लोगों की जान को जोखिम में डाला है, बल्कि वहां लगने वाले कचरे के ढेर की वजह से खुद एवरेस्ट का पारिस्थितिकीय संतुलन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में यह जरूरी है कि न केवल एवरेस्ट फतह करने की इच्छा रखने वाले लोगों, बल्कि खुद एवरेस्ट को प्राकृतिक रूप में बचाए रखने के लिए वक्त पर जरूरी कदम उठाए जाएं। महज शौक या कारोबारी मुनाफे के लिए एवरेस्ट को जानलेवा चोटी के रूप में तब्दील नहीं होने दिया जाना चाहिए।

कल्पमेधा

लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि साधारण लोगों में असाधारण प्रतिभाएं होती हैं।

-हेनरी एमर्शन फास्डिक

ट्रंप के निशाने पर भारत

संजीव पांडेय

ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर दिया। भारत ईरान से रोजाना साढ़े चार लाख बैरल तेल आयात करता था। ईरान भारत को तेल आयात के बिल भुगतान के लिए साठ दिन का समय देता था। यह छूट दूसरे तेल निर्यातक देश नहीं देते हैं। लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ भारतीय तेल बाजार पर नहीं है, वे भारत के रक्षा बाजार पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं।

पिछले कुछ समय में अमेरिकी प्रशासन का यह दूसरा झटका है। ट्रंप प्रशासन ने व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था के तहत भारत को मिलने वाले प्रशुल्क छूट के लाभ को समाप्त कर दिया है। भारत को यह छूट अमेरिका सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) के तहत विकासशील देशों को मिलने वाली छूट के तहत देता था। ट्रंप के इस फैसले से भारत का लगभग छह अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। अमेरिकी प्रशासन का यह फैसला भारतीय उद्योग जगत को झटका है। इससे भारत के कई उत्पाद अमेरिका में शुल्क लगने के कारण महंगे होंगे। इनकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता कम होगी। ट्रंप ने साफ किया है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी निर्यात के लिए खोले। अगर नहीं खोलेगा तो भविष्य में भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ट्रंप का कहना है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी सामान के लिए नहीं खोल रहा है। इसलिए पांच जून से भारत का लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा समाप्त करना उचित है। चीन के बाद अब भारत अमेरिका के निशाने पर है। वैसे तो अमेरिका भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपना सहयोगी बताता रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को और बढ़ाएगा। यह शुरुआत है। ईरान से तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं।

भारतीय निर्यात को हतोत्साहित करने की नीति अपनाए जाने के संकेत ट्रंप प्रशासन ने पहले ही दे दिए थे। चीन के साथ ही ट्रंप के निशाने पर यूरोपीए यूनियन, भारत, जापान, कनाडा जैसे देश हैं। ट्रंप ने जब चीन से व्यापार युद्ध शुरू किया तो यूरोपीय यूनियन और भारत जैसे मुल्क खुश थे। इन्हें लग रहा था कि अमेरिकी बाजारों में चीनी निर्यात कम होने पर उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। यूरोपीय यूनियन का निर्यात सत्तर अरब डॉलर और जापान और कनाडा का निर्यात बीस-बीस अरब डॉलर तक बढ़ने की संभावना थी। भारतीय निर्यात में भी साढ़े तीन फीसद के इजाफे की उम्मीद थी। लेकिन भारत की यह खुशी सामान्य तरजीही व्यवस्था से बाहर होने के साथ ही खत्म हो गई। इसके संकेत पिछले दिनों भारत दौरे पर आए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रोस ने दे दिए थे। उनका कहना था कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर उच्च शुल्क लगा रहा है। भारत में नई सरकार के गठन के बाद अमेरिका इस मुद्दे को उठाएगा। भारत में आयात होने वाले अमेरिकी सामान पर औसत शुल्क 13.8 फीसद है। जबकि ऑटोमोबाइल पर साठ फीसद और मोटरसाइकिल पर पचास फीसद शुल्क है। कुछ अमेरिकी उत्पादों पर डेढ़ सौ से तीन सौ फीसद तक शुल्क भी लगाया जाता है। इससे अमेरिका खासा नाराज है।

अमेरिकी दबाव भारत को परेशान करने वाला है। हालांकि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने अमेरिकी तेल उद्योग से सालाना पांच अरब डॉलर के तेल और गैस आयात करने का फैसला किया। अमेरिकी उड्डयन उद्योग से भी भारत ने विमान खरीद का फैसला किया है। भारत अगले कुछ वर्षों में चालीस अरब डॉलर के विमान की खरीद करेगा। ट्रंप दुनिया के कई देशों पर दबाव बना कर अमेरिकी रक्षा उद्योग के बाजार का विस्तार कर रहे हैं। वे इससे व्यापार संतुलन भी अमेरिका के पक्ष में करना चाहते हैं। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों से परेशान जापान ने अपनी सेना के लिए अगले पांच साल में पचास अरब डॉलर के हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने का फैसला किया है। इसका सबसे ज्यादा लाभ अमेरिकी रक्षा उद्योग को मिलेगा।

ट्रंप के दो फैसले भारतीय हितों के खिलाफ थे। ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर दिया। भारत ईरान से रोजाना साढ़े चार लाख बैरल तेल आयात करता था। ईरान भारत को तेल आयात के बिल भुगतान के लिए साठ दिन का समय देता था। यह छूट दूसरे तेल निर्यातक देश नहीं देते हैं। लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ भारतीय तेल बाजार पर नहीं है, वे भारत के रक्षा बाजार पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। एक बार फिर अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से खरीदी जा रही एस-400 मिसाइलों को लेकर विरोध जताया है। यह सौदा पांच अरब डॉलर का है। अमेरिका ने साफ धमकी दी है कि रूस से एस-400 मिसाइल खरीदने से भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका ने साफ किया है कि अंतराष्ट्रीय बाजार में उच्च रूसी तकनीक से युक्त

रक्षा उपकरणों की खरीद पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। अगर भारत इसे खरीदेगा तो अमेरिकी कानूनों के तहत उसे भी प्रतिबंध झेलना पड़ेगा।

अमेरिकी निर्यात के पांच बड़े बाजारों में कनाडा, मेक्सिको, चीन, जापान और ब्रिटेन हैं। आबादी के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। इसके बावजूद भारत अमेरिका के निर्यात बाजार की रैंकिंग में तेरहवें नबर है। अमेरिका कनाडा को सलाना तीन सौ अरब डॉलर, मेक्सिको को ढाई सौ अरब डॉलर, चीन को एक सौ तीस अरब डॉलर, जापान को सत्तर अरब डॉलर और ब्रिटेन को साठ अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है। जबकि भारत को सालाना तैंतीस अरब डॉलर का सामान बेचता है। अमेरिका की नजर भारत के मध्यवर्ग पर है। दरअसल, ट्रंप ने अमेरिकी निर्यात को बढ़ाने के लिए अमेरिका में आयात होने वाले स्टील, अल्युमीनियम सहित हजारों वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की है। इससे दुनिया भर के स्टील, अल्युमीनियम, कपड़ा उद्योग के अलावा कई उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिकी कारपोरेशन सस्ते श्रम के लोभ में दुनिया के दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं। इससे अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। ट्रंप की कोशिश है कि अमेरिकी पूंजी का निवेश अमेरिका में ही हो, ताकि ज्यादा रोजगार पैदा हो। अमेरिकी शिक्षा उद्योग की नजर भी भारत पर है। अमेरिकी विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों की पसंद बन रहे हैं। भारतीय छात्रों से अमेरिकी शिक्षा जगत को सालाना पांच अरब डॉलर की आय हो सकती है।

भारत पर ताजा अमेरिकी दबाव के कुछ कूटनीतिक कारण भी हैं। ट्रंप भारत से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सिर्फ सहयोग ही नहीं चाहते, बल्कि चीन और रूस से भारत की दूरी भी बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल, ट्रंप एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा कर वे चीन और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं। ईरान से तनाव बढ़ने की स्थिति में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। इससे दोनों मुल्कों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। भारत अपनी जरूरत का अस्सी फीसद तेल आयात करता है। इसके अतिरिक्त ट्रंप एशिया में मजबूत हो रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को भी कमजोर करना चाह रहे हैं।

एससीओ के पीछे चीन और रूस का दिमाग है। एससीओ बीते कुछ समय में काफी मजबूत बन कर उभरा है, इससे अमेरिका खासा परेशान है। यह संगठन मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि एशियाई देशों के ऊर्जा संकट को भी दूर करेगा। इसमें दुनिया के दो बड़े देश चीन और भारत आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं, इससे भी अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि कई मुद्दों पर चीन और भारत के बीच आपसी तनाव है, पर आर्थिक सहयोग को लेकर दोनों मुल्कों में एक सहमति बन रही है। ट्रंप की परेशानी यह भी है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं। तुर्की भी ईरान के साथ है। इसलिए वे इन कूटनीति संबंधों के बीच एससीओ की मजबूती को कम करना चाहते हैं। भारतीय निर्यात पर मिली शुल्क छूट को समाप्त करने के पीछे ट्रंप प्रशासन की एक मंशा एससीओ को कमजोर करना भी हो सकती है।

धारणाओं की धुरी

चंदन कुमार चौधरी

दुनिया मेरे आगे

कुछ समय पहले दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम सुर्खियों में रहे। इस तरह की परीक्षाओं में कुछ विद्यार्थी काफी अच्छे नंबरों से, कुछ साधारण नंबरों से पास होते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। परिणामों पर कुछ दिनों तक चर्चा-परिचर्चा होती है, फिर सब शांत हो जाता है। लेकिन सच यह है कि साधारण दिखने वाली ऐसी घटनाएं दरअसल, साधारण नहीं होती हैं, बल्कि इनका दूरगामी परिणाम होता है। आमतौर पर यहीं से लोगों के मन में धीरे-धीरे सफल और असफल विद्यार्थियों को लेकर एक मानसिकता तैयार होने लगती है। भले ही यह एक परीक्षा का परिणाम होता हो, लेकिन इसे लोग जीवन में सफलता और असफलता का प्रमाण-पत्र मान कर चलने लगते हैं और तब यह बहुत खतरनाक हो जाता है। इसका जो ठप्पा विद्यार्थियों पर एक बार लग जाता है तो इससे वह शायद ही जीवन में कभी उबर पाता है।

ऐसे विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई-लिखाई से इतर कोई दूसरा काम भी करें तो लोग सफल बच्चों को सफल और असफल को असफल मान कर ही चलने लगते हैं। हालांकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगर व्यक्ति पढ़ाई में सफल होता है तो वह जीवन की हर दौड़ में सफल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह जो व्यक्ति एक बार असफल हो गया, वह दूसरे काम में भी असफल ही होगा यह भी जरूरी नहीं है। एक साल अच्छा नंबर लाने वाला विद्यार्थी अगले साल अच्छा नंबर नहीं भी ला सकता है। जीवन में उतार-चढ़ाव लगा रहता है। सफलता और असफलता स्थायी नहीं होतीं। ऐसा लगता है कि अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों पर हमेशा बेहतर करने का दबाव बना रहता होगा। कई बार तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि अगर वह फिर अच्छा नंबर नहीं ला पाता है तो वह धीरे-धीरे अवसाद की दुनिया में भी चला जाता है। आए दिन विद्यार्थियों की खुदकुशी की खबरें आती ही रहती हैं।

वास्तव में समाज को खतरा प्रमाण-पत्र बांटने वाले ऐसे लोगों से है जो अपने निहित स्वार्थ और ईर्ष्या-द्वेष के कारण लोगों को निशाना बनाते हैं और उन्हें एक दायरे तक सीमित रखना चाहते हैं। ऐसे लोग अकेले या कई बार गुट में काम करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति की क्षमता असीम होती है और वह अगर चाहे तो अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसके लिए अगर एक कुशल प्रशिक्षक और मार्ग बताने वाला व्यक्ति मिल जाए तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आमतौर पर उसे मिलता है कुंठित व्यक्ति और समाज, जो उसे हतोत्साहित करने में लगा रहता है।

सच यह है कि हम लोग एक पूर्वधारणाओं या पूर्वाग्रहों से भरे समाज में जीते हैं। महिला है तो ऐसी होगी, दलित है तो ऐसा होगा, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है तो ऐसा ही होगा, दक्षिण भारत का है तो जरूर ऐसा होगा, पूर्वोत्तर का है तो ऐसा होगा आदि। समाज के लोग अपनी धारणा से सामने वालों के मनोभाव से खेलते हैं और जाने-अनजाने में उसे मानसिक पीड़ा दे जाते हैं। सामाजिक जागरूकता के लिए जरूरी है कि हमें हर स्तर पर इससे लड़ने के लिए तैयार होना होगा।

ज्यादातर लोग अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर एक धारणा बनाए रखते हैं। यह धारणा वे अपने अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि सुनी-सुनाई बातों के आधार पर बनाते हैं। धारणा बनाना और उससे निकलना आसान काम नहीं है, बल्कि धारणागत चीजों के कारण लोगों को कई बार अपने जीवन में खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में नुकसान उठाने से बचने के लिए लोगों को धारणा बनाने से बचना चाहिए। आमतौर पर गांव के चौक-चौराहों पर, शहर के नुक्कड़ों पर एक व्यक्ति किसी बात को लेकर अपनी धारणा पेश करता है और दूसरा व्यक्ति भी उसे उसी तरह स्वीकार कर लेता है और उसकी पुष्टि करना भी जरूरी नहीं समझता। ऐसे में हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को इसका खमियाजा भुगतना पड़े।

आखिर हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं और किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं? हमें कुंठित, विकृत, रुग्ण समाज चाहिए या फिर एक खुशहाल, समृद्ध और दुराग्रहों से मुक्त समाज चाहिए, जिसमें सभी लोग खुल कर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें और अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन कर सकें। प्रतिभा को निखार सकें। आखिर हम सभी दूसरे तरह के समाज को लेकर ही सहमत होंगे। अगर हम एक बेहतर समाज और परिवेश का निर्माण करना चाहते हैं तो हम लोगों को मिल कर विकृति, रुग्णता, कुंठा, मनोरोग फैलाने वाले लोगों की पहचान करनी होगी और ऐसे लोगों का एक सांकेतिक विरोध करना होगा। उन लोगों का मुंह बंद कराना होगा, ताकि वे अपने पूर्वाग्रहों को दूसरों तक नहीं पहुंचाएं और दुष्प्रचार न कर सकें। ऐसा होने से समाज में नित नई प्रतिभाएं सामने आएंगी और एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, जिसमें हम सभी खुल कर सांस ले सकेंगे।

खेती की खातिर

मई में किसान और उसका परिवार खेत जोतने से लेकर अन्य कृषि कार्यों में काफी व्यस्त रहता है। खरीफ फसलों के लिए इस महीने में खेत जोतना जरूरी होता है क्योंकि जून के मध्य में मानसून भारत में प्रवेश करता है जिसके बाद वह बुआई में जुट जाता है। खेत जोतने से लेकर बुआई तक किसान और उसके सहायक जम कर पसीना बहाते हैं लेकिन अधिकतर मामलों में किसान को उम्मीद के अनुसार अपने श्रम कीमत नहीं मिलती। इस वजह से वह अपने खेत बेचने या आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2015 में 8007 किसानों और 4595 खेतिहर मजदूरों ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की थी। वहीं 2014 में 5650 किसानों और 6710 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या कर ली थी मगर 2015 के बाद किसान आत्महत्या की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। आज भी किसान आत्महत्या देश के लिए गंभीर समस्या है। हमारे देश में जो मध्यम और छोटे किसान हैं उनके पास जरूरी संसाधनों की कमी रहती है। जहां बड़े किसान ट्रैक्टर के जरिए आसानी से अपने विशाल खेत जोत लेते हैं वहीं मध्यम और छोटे किसान बैलों की सहायता से खेत जोतते हैं या फिर ट्रैक्टर किराए पर लेकर खेत जुतवाते हैं जिससे खेत जोतना और भी महंगा हो जाता है। गर्मियों में चारे की समस्या भी होती है जिससे उसे अपने बैलों को महंगा चारा खिलाना पड़ता है। बीज कंपनियां अपने बीजों की उत्पादन क्षमता के बड़े-बड़े दावे करती हैं लेकिन अक्सर ये दावे खोखले सिद्ध होते हैं। कई मामलों में तो बीज बोने के बाद फसल ही नहीं उगती। मध्यम और छोटे किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था न होने से उन्हें अनिश्चित मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में खेती उनके लिए एक जुआ बन जाती है जहां वे हजारों रुपए के बीज बोकर मानसून पर निर्भर रहते हैं।

ग्रामीण इलाकों में सत्तर फीसद लोगों की जीविका खेती पर निर्भर है। उनकी आय बढ़ेगी तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चलेगी। इसके मद्देनजर सरकार को कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की बदहाली दूर करने वाली नीतियां बना कर उन्हें ईमानदारी से लागू करना चाहिए। मध्यम और छोटे किसानों के लिए सिंचाई, खाद, बीज, बीमा, मिट्टी की जांच आदि की सुगम व्यवस्था करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कई योजनाएं आज भी किसान तक नहीं पहुंच पातीं या उनका जमीनी क्रियान्वयन देखने को नहीं मिलता। कर्ज माफी केवल जरूरतमंद किसानों के लिए हो और खेती में तकनीकी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। जब देश का किसान खुशहाल होगा तभी सही मायने में देश की प्रगति होगी।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली, नागपुर*

सशक्त लोकतंत्र

प्रधानमंत्री बार-बार कहते रहे हैं कि सरकार तो बहुमत से बनती है, लेकिन देश सबकी सहमति से चलता है। उनके इस कथन पर विपक्षी दलों की राय जो भी हो, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में जब देश बदल रहा है और उसकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं तब राजनीति के तौर-तरीकों में बुनियादी बदलाव की सख्त जरूरत है। सबसे अधिक जरूरत संसदीय कामकाज में बदलाव लाने की है। इस बदलाव से राजनीति का भी भला होगा। पुराने, घिसे-पिटे और निष्प्रभावी तौर-तरीकों के कारण ही भारतीय लोकतंत्र श्रेष्ठ रूप नहीं ले पा रहा है। निस्संदेह भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जरूरत तो इसकी है कि वह श्रेष्ठ और सशक्त लोकतंत्र बने।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर, बिहार*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

अभद्र बोल

हमारी आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे बेहूदा शब्द शामिल होते जा रहे हैं जिन्हें कभी जबान पर लाने पर व्यक्ति को बुरा समझा जाता था। अनेक अभद्र शब्द फिल्मों, सोशल मीडिया और आम व्यवहार में इस्तेमाल हो रहे हैं। और भी हैरानी की बात है कि ये शब्द लड़कियों और महिलाओं द्वारा भी धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं। कई फिल्मों में जब ये शब्द बोले जाते हैं तब पूरे सिनेमा हॉल में हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं, लेकिन उस समय अनेक सभ्य व्यक्ति अपने परिवार की उपस्थिति में शर्मिंदगी से नजरें झुका लेते हैं। कैसी संस्कृति होती जा रही है हमारी? हम अपनी मां-बहन-बेटियों के सामने ऐसी भाषा कैसे कह-सुन सकते हैं? फिल्म सेंसर बोर्ड इन शब्दों को कैसे मान्यता दे सकता है?

आज कुछ लोगों को अपनी बहन-बेटी को सेक्सी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती बल्कि इसे गर्व से कहा जा रहा है, लेकिन जरा गंभीरता से सोचा जाए तो उन्हें इस शब्द से घिन्न होने लगे। इन अभद्र शब्दों की सूची बड़ी है और दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कुछ समय बाद हो सकता है सार्वजनिक मंचों, पत्र-पत्रिकाओं, फिल्मों, सोशल मीडिया आदि पर खुलेआम ऐसे शब्द, मां-बहन की गलियां और अश्लील शब्द कहे जाने लगें। समाज का निर्माण हम स्वयं करते हैं और उसे अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। अब यह फैसला सभी अभिभावकों, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों को करना है कि अपने बच्चों को इन भौंडे शब्दों से कैसे बचाए रखना है, बचाए रखना भी है या इन शब्दों पर चुप्पी साध लेनी है अथवा इन्हें प्रोत्साहन देना है!

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली*

गुस्से पर काबू

लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नई केंद्र सरकार ने अपना कार्य भी आरंभ कर दिया है पर लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी भी 'इलेक्शन मोड' में चल रही हैं। ममता बनर्जी के सामने जब भी जय श्रीराम का नारा लगता है तो वे भड़क जाती हैं। इस तरह की घटनाओं की खबर पश्चिम बंगाल से लगातार आ रही है। ममता बनर्जी ने नारा लगाने वालों की खाल उधेड़ने की धमकी भी दी। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में जय श्रीराम का नारा लगाना कानूनन अपराध है? ममता बनर्जी को संयम से काम लेते हुए अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इस तरह से तो वे अपना ही नुकसान कर रही हैं।

● *बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद*

जरा हट के

एल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में एक आयोजन के दौरान वहां के नए राष्ट्रपति नाइब बुकेले और उनकी पत्नी गैब्रिएला लोगों का अभिवादन करते हुए।

बोल

लोग अब भी यह क्यों कहते हैं कि चीन ने तियानानमेन चौक (चार जून, 1989 को लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे) को सही तरीके से नहीं संभाला। वह एक राजनीतिक अस्थिरता थी और चीन सरकार ने जो कदम उठाए वह सही थे। – *जनरल वेई फेंगहे, चीन के रक्षा मंत्री*

विवाद

ईरान 2015 के परमाणु समझौते के दायरे में है। इस महीने ईरान ने समझौता न मानने की घोषणा थी। इसके बाद उसने संवर्द्धित यूरेनियम और भारी जल का भंडार बढ़ाया है, लेकिन यह 2015 के समझौते के दायरे में ही है। – *युकिया अमानो, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी के महानिदेशक*

सम-सामयिक

माउंट एवरेस्ट : शिखर पर जाम में पर्वतारोहियों की मौतें

जनसत्ता संवाद

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने की चाहत रखने वाले पर्वतारोहियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। साथ ही 8,848 मीटर ऊंची इस चोटी पर चढ़ने के दौरान जान गंवाने वाले पर्वतारोहियों की खबरें भी बढ़ गई हैं। इस साल अब तक चार भारतीयों समेत 11 पर्वतारोहियों की जान जा चुकी है। पर्वतारोहियों और विशेषज्ञों का मानना है कि एवरेस्ट पर बढ़ती भीड़ के कारण इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी है। पर्वतारोहियों की मौतें थकान, माउंटेन सिकनेस और फ्रॉस्ट बाइट की वजह से हुई हैं।

इस साल नेपाल सरकार ने हिमालय पर चढ़ने के लिए रेकॉर्ड 381 परमिट दिए थे। हिलेरी स्टेप नाम के पड़ाव पर भी पर्वतारोहियों की लंबी कतार देखने को मिली।

जानकारों का कहना है कि सुरक्षा संबंधी कई शिकायतों के बावजूद नेपाल सरकार हर साल पर्वतारोहियों की संख्या बढ़ा रही है। इस साल मार्च के बाद से शुरू हुए पर्वतारोहण के सीजन के लिए 381 लोगों को परमिट जारी किया गया। नेपाल सरकार पर आरोप लग रहा है कि पैसा कमाने के लिए वह लोगों की जान से खेल रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है।

हालांकि, नेपाल सरकार ने पर्वतारोहियों की मौतों के लिए भीड़ को एकमात्र वजह मानने से इन्कार कर दिया है। वहां के पर्यटन विभाग के निदेशक जनरल दंदु राज घिमिरे ने कहा कि विपरीत मौसम और अधिक ऊंचाई पर बने दबाव को सहन नहीं कर पाने के कारण भी कई पर्वतारोहियों की जान गई है। उनका कहना है कि इस बार पवर्तारोहण का सीजन अपेक्षाकृत छोटा था और 381 लोगों को चढ़ाई करनी थी। इसी कारण कई बार एवरेस्ट पर जाम जैसी स्थिति बन गई। लेकिन केवल भीड़ बढ़ने से ही मौतें नहीं हुईं। एवरेस्ट पर भीड़ का आलम ऐसा है कि बमुश्किल टेबल टेनिस की दो टेबल के बराबर जगह में 15 से 20 पर्वतारोहियों को खड़े होना पड़ रहा है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बीते हफ्ते बुधवार को ऐसी ही स्थिति हुई, जब शिखर पर पहुंचे पर्वतारोहियों ने नीचे देखा तो सैकड़ों अन्य लोग कतार में थे। एक तरह से ट्रैफिक जाम की स्थिति दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर थी। इस तस्वीर को भेजने वाले निर्मल पुर्जा कहते हैं कि पर्वत को फतह करने की कतार में 250 से 300 लोग खड़े थे और इस जाम के चलते पूरे अभियान में तीन घंटे तक की देरी हुई। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।

एवरेस्ट पर भीड़ बढ़ने के कारण मौतें हो रही हैं। पर्वत पर लंबी कतार के चलते यहां लोगों को भीषण ठंड के अलावा ऑक्सीजन की कमी से भी जूझना पड़ता है। बुधवार को कम से कम दो ऐसे पर्वतारोही थे, जिनकी मौत एवरेस्ट को फतह करने के बाद हुई। माना जा रहा है कि इसकी वजह यही थी कि उनके अभियान में ट्रैफिक जाम के चलते देरी हुई। एवरेस्ट पर बचाव अभियान चलाने वाली संस्था पायनियर एडवेंचर्स के मुताबिक 54 साल के अमेरिकी नागरिक डॉनल्ड कैश की लंबे वक्त तक ठहरने के चलते पहाड़ से गिर गए थे। वह पायनियर एडवेंचर्स के शेरपा गाइड के साथ ट्रेकिंग कर रहे थे। एरिजोना के पर्वतारोही डॉक्टर एड ने अपनी आपबीती सुनाई, 'यह बेहद डरावना था। वहां चिड़ियाघर जैसे हालात थे। हर व्यक्ति सेल्फी लेने के चक्कर में एक-दूसरे को धक्का देने में लगा था।'

शोध-अनुसंधान

दवा महिलाओं की, परीक्षण नर पशुओं पर

जनसत्ता संवाद

मेडिकल शोध क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव का मुद्दा पहले भी उठाया जाता रहा है। हाल में बॉस्टन की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट रेबेका शेंकी अपने रिसर्च पेपर कई गंभीर खुलासे किए हैं। लैंगिक भेदभाव का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। महिलाओं की दवा बनाने में शोध के लिहाज से कम गंभीरता बरती जाती है। अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने दावा किया है कि नर पशुओं पर ही ज्यादातर दवाओं का परीक्षण किया जाता है। गंभीर बीमारियों और महिलाओं के लिए बनी दवाओं का परीक्षण भी नर पशुओं पर होता है। मादा पशुओं में हार्मोन असंतुलन का हवाला देकर ज्यादातर परीक्षण नर पशुओं पर किए जाते हैं।

बॉस्टन की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट रेबेका शेंकी का शोध : अधिकांश परीक्षण नर पशुओं पर। इसलिए दवा बेअसर या हार्मोन की गड़बड़ी

नर पशुओं पर छह गुना अधिक परीक्षण

रेबेका का कहना है कि कई बार स्त्रियों के लिए बनने वाली दवाओं को भी मादा जानवरों के स्थान पर नर पशुओं पर ही परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षण में इस भेदभाव का असर है कि महिलाओं पर प्रयोग होने वाली दवाएं उतनी प्रभावी नहीं रहती हैं। अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने दावा किया है कि नर पशुओं पर परीक्षण लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है और यह गंभीर क्षेत्र जैसे न्यूरो साइंस आदि में अधिक नजर आता है। रिसर्च पेपर के अनुसार, नर पशुओं पर होने वाले परीक्षण मादा जानवरों की तुलना में छह गुना अधिक होते हैं।

लंबे समय से मादा पशुओं के हार्मोन असंतुलन का तर्क देकर ऐसा किया जाता रहा है। नतीजा है कि महिलाओं के लिए बनने वाली विशेष दवाओं का कई बार ठीक परीक्षण नहीं हो पाता है। शेंस्की ने अपने रिसर्च पेपर में यह भी दावा किया है कि नर पशुओं में हार्मोन बदलाव और व्यावहारिक उतार-चढ़ाव मादा पशुओं की तुलना में अधिक होते हैं। दवा के परीक्षण के दौरान प्रभाव तेजी से दिखने लगता है। दूसरी ओर, मादा पशुओं में हार्मोन असंतुलन का तर्क दिया जाता है।

वैज्ञानिकों ने इस पर उठाया है सवाल

शेंस्की कोई पहली शोधकर्ता नहीं हैं, जिन्होंने इस समस्या को उठाया है। 2017 के एक अध्ययन के अनुसार, बहुत से वैज्ञानिकों ने परीक्षण में लैंगिक भेदभाव का सवाल उठाया है, लेकिन इसके बावजूद दवाओं का परीक्षण अमूमन नर पशुओं पर ही किया जाता है। ज्यादातर दवाओं का परीक्षण नर पशुओं पर भी किया जाता है और दवाओं का स्त्री और पुरुष पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है, इसे नजरअंदाज ही किया जाता है। एक अन्य रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि मार्केट में मौजूद ज्यादातर दर्द निवारक दवाओं (पेन-किलर्स) का परीक्षण नर पशुओं पर ही किया जाता है। हालांकि, यह एक ज्ञात हकीकत है कि महिलाओं और पुरुषों को होने वाले दर्द के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। हाई ब्लडप्रेशर के लिए आम तौर पर एक जैसी दवाएं ही मरीजों को दी जाती हैं। हाई ब्लडप्रेशर और हार्ट अटैक से होने वाली मौत पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। हालांकि मेडिकल की दुनिया में परीक्षण में ही लैंगिक भेदभाव हो, ऐसा नहीं है। लैंगिक भेदभाव पर कैरौलिन क्रिआडो-पेरेज ने एक पूरी किताब ही लिखी है।

विश्व परिक्रमा

इमरान की मिलकर काम करने की इच्छा

रविवार, 26 मई : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और दोनों देशों के लोगों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

काठमांडू में तीन धमाके, चार मरे

सोमवार, 27 मई : नेपाल की राजधानी काठमांडू में तीन धमाकों में चार लोगों की मौत हो गई। इन धमाकों में नौ लोग घायल हुए हैं। काठमांडू पुलिस के मुताबिक ये धमाके काठमांडू के सुकेधरा, घट्टेकुलो और नागधुंगा क्षेत्र में किए गए। नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

जापान में चाकूबाजी, दो लोगों की मौत

मंगलवार, 28 मई : जापान के कावासाकी शहर में मंगलवार को चाकूबाजी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक एक पुरुष और एक बच्ची के जीवित रहने के संकेत नहीं हैं।

किम जोंग

अमेरिका ने रुपए को निगरानी सूची से हटाया

बुधवार, 29 मई : अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारतीय मुद्रा को अपनी निगरानी सूची से हटा दिया। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और विनिमय दर नीतियों पर तैयार रिपोर्ट को अमेरिकी संसद के निचले सदन (कांग्रेस) में पेश किया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने हाल ही भारत और स्विट्जरलैंड को निगरानी सूची से हटा लिया है।

नेतन्याहू गठबंधन बनाने में नाकाम

गुरुवार, 30 मई : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आधी रात की समयसीमा से पहले गठबंधन सरकार गठित करने में नाकाम रहे। इसके बाद इजरायली सांसदों ने संसद को भंग करने के पक्ष में मतदान किया। अब 17 सितंबर को इजरायल में फिर से आम चुनाव कराए जाएंगे।

किम ने पांच को मौत की सजा दी

शुक्रवार, 31 मई : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दूसरी शिखर वार्ता असफल रहने के बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने पांच वरिष्ठ अधिकारियों को मौत की सजा दे दी। इनमें अमेरिका में उसके विशेष दूत किम ह्योक चोल भी शामिल है।

अमेरिका : गोलीबारी में 11 लोगों की मौत

शनिवार, 01 जून : अमेरिका में गोलीबारी की एक नई घटना में 11 लोग मारे गए। यह घटना वर्जीनिया में एक सरकारी इमारत के भीतर हुई। इसमें पांच लोग घायल हुए, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है।

जानें-समझें

जीडीपी और बेरोजगारी

अर्थव्यवस्था पर आगे की राह

दीपक रस्तोगी

मजबूत जनादेश हासिल कर केंद्र में सत्ता में आई भाजपा नीत राजग सरकार के सामने सकल घरेलू उत्पाद और बेरोजगारी के ताजा आंकड़ों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट इतनी तेज क्यों रही है। यह अप्रैल 2019 में 8.2 फीसद थी, लेकिन अप्रैल-जून 2019 में गिरकर 6.2 फीसद हो गई।

हाल के वर्षों में हमने कुछ तिमाहियों के भीतर जीडीपी में दो फीसद की गिरावट नहीं देखी थी। ताजा आंकड़ों का माजरा क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले पांच साल में सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से यह बात साफ होती है। 2017-18 के दौरान नोटबंदी और जीएसटी के खराब क्रियान्वयन की दोहरी मार झेलने के बाद अर्थशास्त्रियों ने अप्रैल-जून 2018 में उपभोग आधारित हल्की उछाल आने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस ली थी, जब जीडीपी बढ़कर 8.2 फीसद हो गई थी।

मौजूदा हाल

पिछले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक आर्थिक वृद्धि दर 6.8 फीसद रही। वहीं जनवरी से मार्च तक की तिमाही में ये दर 5.8 फीसद तक ही रही। यह दर पिछले दो साल में पहली बार चीन की वृद्धि की दर से भी पीछे रह गई है। इसका मतलब है कि भारत अब सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है। सरकार के सामने मौजूदा चुनौती है कि वह अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों का यकीन वापस ला सके। सरकार की पहली चुनौती रोजगार होगी।

कृषि और विनिर्माण का असर

आर्थिक विकास दर में गिरावट का अहम कारण कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों का खराब प्रदर्शन है। कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्रों का जीवीए 2018-19 की चौथी तिमाही में 0.1 फीसद घटा, जबकि 2017-18 की चौथी तिमाही में इसमें 6.5 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस बार विनिर्माण क्षेत्र में मंदी ज्यादा रही। वहीं, वित्तीय, रीयल एस्टेट और पेशेवर सेवा में सुधार दिखा। इसमें 2018-19 की अंतिम तिमाही में 9.5 फीसद की वृद्धि रही, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 5.5 फीसद थी।

रोजगार का हाल

मोदी सरकार को उसके पहले कार्यकाल में सबसे ज्यादा रोजगार के मुद्दे पर घेरा गया। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 के बीच बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा रही। घटता निर्यात भी रोजगार के रास्ते में बड़ी रुकावट पैदा करता है। अर्थशास्त्री सरकार से ऐसी नीतियों को प्राथमिकता देने की उम्मीद जता रहे हैं, जो छोटे और मध्यम व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाएंगी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय मार्च 2019 के आखिर में 10 फीसद बढ़कर 10,534 रुपए महीना यानी एक लाख 26 हजार 406 रुपए सालाना पहुंच जाने का अनुमान है। इससे पूर्व वित्त वर्ष में यह नौ हजार 580 रुपए महीना यानी एक लाख 14 हजार 958 रुपए सालाना था।

उपभोक्ताओं की मांग

नई जीडीपी दर से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे की ओर गिर रही है। चीन के अलग भारत की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा कारक यहां की घरेलू खपत है। पिछले 15 साल से घरेलू खपत ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाता रहा है। उपभोक्ताओं की खरीदने की क्षमता में कमी आई है। कारों-एसयूवी की बिक्री पिछले सात साल के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्कूटर की बिक्री में भी कमी हुई है।

किसानों का हाल

भाजपा ने अपनी पहली सरकार में चुनिंदा किसानों को 6000 रुपए सालाना देने का फैसला किया था। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सभी किसानों के लिए ये स्कीम लागू कर दी है। जानकारों की राय में इस योजना से कुछ वक्त के लिए राहत मिलेगी, लेकिन लंबे वक्त में यह काम नहीं आएगी। कृषि क्षेत्र की संरचना को सुधारने की जरूरत बताई जा रही है।

क्या कहते हैं जानकार

लंबे समय तक चलने वाले चुनाव अर्थव्यवस्था की गति को कम कर देते हैं। बीते दो महीनों में सार्वजनिक कार्यों के लिए टेंडर तक निकालने के लिए सरकार को चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी पड़ी। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं रहा।

– अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ

आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट एनबीएफसी क्षेत्र में दबाव जैसे अस्थाई कारकों की वजह से आई है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक विकास दर धीमी रह सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें तेजी आएगी।

– सुभाष चंद्र गर्ग, आर्थिक मामलों के सचिव

निजी निवेश

बीते पांच सालों में निजी निवेश में कोई तेजी नहीं देखी गई, जो निवेश-जीडीपी अनुपात में गिरावट के आंकड़े से साफतौर पर जाहिर होता है। इस दौरान सिर्फ उपभोग ने विकास को जिलाए रखा, लेकिन अब उपभोग में भी तेजी से गिरावट आ रही है। सबसे खराब यह है कि यह ऐसे समय में हुआ, जब आर्थिक नीतिगत फैसलों पर दो महीने का विराम लग गया था। इस दौरान सरकार के नेतृत्व वाले सार्वजनिक निवेशों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। इसलिए सरकार को अर्थव्यवस्था की सामान्य चाल को सबसे पहले बहाल करना होगा। इसके बाद बजट के जरिए निवेश और खपत में कमी की समस्या से निपटना होगा।

व्यक्तित्व

सिरिल रामाफोसा : मंत्रिमंडल में 50 फीसद जगह महिलाओं को

जनसत्ता संवाद

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की कैबिनेट में 50 फीसद महिलाएं शामिल की गई हैं। इनमें एक महिला विपक्षी पार्टी की भी है। रामाफोसा ने विपक्षी पार्टी की अनुभवी राजनेता पेट्रीसिया डे लिली को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। वह गुड पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ी थीं। उन्हें ढांचागत विकास मंत्रालय का काम सौंपा गया है। रामाफोसा के मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दो नेता भी शामिल हैं।

कैबिनेट में 50 फीसद महिलाओं के शामिल होने से अफ्रीका की सरकार लैंगिक समानता के मामले में दुनिया के गिने-चुने देशों में शुमार हो गई है। रामाफोसा ने कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 36 से घटा कर 28 कर दी है। पिछले प्रशासन में कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोपों को लेकर व्यापक स्तर पर जताई गई चिंता के मद्देनजर रामाफोसा ने ज्यादातर दागी नेताओं को मंत्री नहीं बनाया है, लेकिन कुछ को बरकरार रखा है। उनके मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दो मंत्री- प्रवीण गोवर्धन और इब्राहिम पटेल- शामिल किए गए हैं। प्रवीण गोर्धन को सार्वजनिक उद्यम मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया है। वे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी संघर्ष के जाने-माने नेता रहे हैं। हालांकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं।

रामाफोसा ने सत्तारूढ़ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (एएनसी) पार्टी को इस महीने की शुरूआत में हुए चुनावों में 57.5 फीसद बहुमत के साथ जीत दिलाई। भ्रष्टाचार के आरोपी जैकब जुमा के पिछले साल अपदस्थ होने के बाद रामाफोसा राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे और उन्होंने मंत्री पदों की संख्या बढ़ाई थी। उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने आठ मई को आम चुनाव में जीत हासिल की थी।

अपने कैबिनेट के मौजूदा स्वरूप की घोषणा करते हुए रामाफोसा (66) ने बीते हफ्ते कहा, यदि हमें इस जनादेश को प्रभावी बनाना है तो हमें एक सक्षम, प्रभावी और नैतिकता के साथ काम करने वाली सरकार की जरूरत होगी। उनकी इस घोषणा का प्रसारण राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर किया गया। रामाफोसा ने भ्रष्टाचार से लड़ने और देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का संकल्प लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने कैबिनेट में लैंगिक समानता का स्वागत किया है। बिजनेस यूनिटी साउथ अफ्रीका (बुसा) की तान्या कोहन कहती हैं, 'यह अच्छे संकेत हैं कि हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए डॉ. नालेदी पांदोर जैसी योग्य मंत्री हैं।' हालांकि विपक्षी दल इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर पार्टी ने कैबिनेट को छोटा करने के कदम को बेईमानी भरा फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या कम करके उप-मंत्रियों की संख्या को बढ़ाया गया है।

प्रधानमंत्री 8 जून से मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर 8-9 जून को मालदीव जाएंगे। वे 9 जून को श्रीलंका भी जाएंगे। प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों व आपसी हितों से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, ' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-9 जून को मालदीव की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। वे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं।' प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार पदभार ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला विदेश दौरा होगा।

मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान में नई गति को परिलक्षित करती है। इससे पहले राष्ट्रपति सोलिह दिसंबर 2018 में भारत के सरकारी दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी की आसन्न मालदीव यात्रा के दौरान दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, दोनों देश अपने खास संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के मकसद से साझा हितों से जुड़े विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को श्रीलंका की यात्रा पर भी जाएंगे। वे श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार, मालदीव और श्रीलंका की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 'पड़ोस प्रथम नीति' और सागर सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। गौरतलब है कि सागर सिद्धांत का आशय 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व विकास' है। यह सागर के जरिए आर्थिक समृद्धि हासिल करने के भारत के वृहद प्रयास का हिस्सा है।

राज्यसभा सत्र 20 से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

राष्ट्रपति द्वारा आहूत संसद के आगामी सत्र के दौरान राज्यसभा की बैठक 20 जून से शुरु होगी। वहीं 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरु होगा। लोकसभा सचिवालय के सोमवार को जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 20 जून को पूर्वाह्न 11 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में संबोधित करेंगे। दोनों सदनों की बैठक 26 जुलाई तक चलेगी। इस बीच राज्यसभा सचिवालय की ओर से भी जारी बयान में बताया गया कि उच्च सदन की बैठक 20 जून से शुरू होगी।

राज्यसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया कि सत्र शुरू होने के शुरुआती तीन दिनों तक लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ होगी। इस वजह से आगामी सत्र में राज्यसभा की बैठक 20 जून से शुरु होगी। बयान के अनुसार राष्ट्रपति ने राज्यसभा की बैठक 20 जून, गुरुवार से आहूत की है। यह सत्र 26 जुलाई, शुक्रवार तक चलेगा।

कश्मीर पर ओआइसी का बयान अस्वीकार्य

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

ओआइसी ने अपने अंतिम बयान में कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित हनन का मुद्दा उठाया और भारत से वहां संयुक्त राष्ट्र आयोग और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को जाने देने की अनुमति देने को कहा था।

भारत ने इस्लामी देशों के संगठन ओआइसी के कश्मीर संबंधी उल्लेख को सोमवार को एक बार फिर अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर ओआइसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और यह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'हम 31 मई को सऊदी अरब के मक्का में ओआइसी की 14वीं बैठक में मंजूर अंतिम बयान में भारत के अभिन्न हिस्से के बारे में अस्वीकार्य उल्लेख को एक बार फिर खारिज करते हैं।' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इससे जुड़ा मामला ओआइसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत यह बात दोहराता है कि ओआइसी को ऐसे अवांछित उल्लेखों से बचना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय संगठन ओआइसी में 57 सदस्य देश हैं और इनमें से 53 मुसलिम बहुल देश हैं। पिछले शुक्रवार को सऊदी अरब के शहर मक्का में ओआइसी की 14वीं बैठक आयोजित हुई और मुसलिम देशों के कई नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में कश्मीर के संदर्भ में मानवाधिकारों के कथित हनन का विषय उठाया गया और भारत से वहां संयुक्त राष्ट्र आयोग और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को जाने देने की अनुमति देने को कहा गया। इससे पहले भी मार्च में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत के लिए यह पूरी तरह से आंतरिक मामला है।

इससे पहले मार्च में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की अबू धाबी में बैठक हुई थी। उस बैठक के सत्र का समापन कश्मीर से संबंधित इसी आशय प्रस्ताव के साथ हुआ। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत कश्मीरियों के खिलाफ अंधाधुंध बल का इस्तेमाल कर रहा है। तब भी विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर पर प्रस्ताव के बारे में हमारी स्थिति अडिग और पूर्व परिचित है। हमारा जोर देकर कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और यह मुद्दा भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है।

उस बैठक में जम्मू-कश्मीर को लेकर पास किए गए प्रस्ताव के एक दिन पहले ही भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस संगठन की बैठक को संबोधित किया था। भारत की विदेश मंत्री को दिए गए सम्मान का पाकिस्तान ने विरोध भी किया था। उस बैठक में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का मुद्दा उठाया था।

मायावती ने दिए गठबंधन से तौबा करने के संकेत

पेज 1 का बाकी

अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। समीक्षा बैठक में मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए गठित की गई भाईचारा समितियों को आगे भी काम करते रहने को कहा है। बसपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज और पिछड़े वर्गों को चुनाव में एकजुट करने के लिए इन समितियों का गठन किया था। बसपा अध्यक्ष ने पार्टी के संगठन में पिछड़े वर्गों की भागीदारी और जिम्मेदारी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। पार्टी प्रमुख ने मंडल स्तर पर कुछ बसपा समन्वयकों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है।

समझा जाता है कि मायावती ने लोकसभा चुनाव में कुछ विधायकों के सांसद बनने के कारण रिक्त हुई विधानसभा सीटों पर आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव भी अपने बलबूते लड़ने का पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है। उन्होंने इस बाबत पार्टी पदाधिकारियों से उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 11 विधायकों के चुनाव जीतने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। बैठक में शामिल पार्टी के एक नेता ने बताया कि बसपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कुशवाहा सहित किसी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके उलट कुशवाहा को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है।

चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन से नाराज मायावती ने शनिवार की बैठक में मध्य प्रदेश और दिल्ली के बसपा अध्यक्षों सहित छह राज्यों के पार्टी प्रभारियों को पद से हटा दिया था। इनमें कुशवाहा भी शामिल थे। उन्हें उत्तराखंड के प्रभारी पद से हटा कर मायावती ने एमएल तोमर को राज्य का नया प्रभारी बनाया था। बसपा प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव परिणाम की पिछले तीन दिनों से राज्यवार समीक्षा कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बावजूद पार्टी को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल सके।

पहले पीटा, फिर राखी बंधवाई विधायक जी ने

पेज 1 का बाकी

कर दिया। विधायक ने कहा, 'यह बिना किसी इरादे के हुआ था। मैं किसी का अपमान करना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था।' हालांकि इससे पहले विधायक महिला और उसके पति पर आरोप लगा रहे थे कि वह पहले से योजना बनाकर हमला करने आए थे।

वहीं कांग्रेस ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने और भाजपा तथा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को माफी मांगने को कहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भारत पांड्या ने इस घटना को 'शर्मनाक' बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी इसकी निंदा करती है।

अजित डोभाल फिर बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

पेज 1 का बाकी

नियुक्ति की जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डोभाल को इस पद पर दोबारा नियुक्त किए जाने के संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है और यह व्यवस्था 31 मई 2019 से प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ-साथ उनकी नियुक्ति भी खुद समाप्त हो जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि इस पद पर नियुक्ति के दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया है। डोभाल को पहली बार मई 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था।

इससे पहले सोमवार सुबह देश के नए गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजित डोभाल के साथ बैठक कर आंतरिक सुरक्षा का जायजा लिया। बैठक में आईबी चीफ राजीव जैन, गृह सचिव राजीवा गौबा भी मौजूद थे। गृह मंत्री को देश की आतंरिक सुरक्षा की स्थिति से अवगत कराया गया। एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा की स्थिति की जानकारी भी ली।

डोभाल 1968 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं। वह 2005 में गुप्तचर ब्यूरो के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के 30 मई को प्रभाव में आने के बाद से किसी महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की यह पहली घोषणा है। डोभाल (74) पहले ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिन्हें लगातार दूसरा कार्यकाल दिया गया है। पहली बार मई 2014 में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था और चीनी पक्ष की तरफ से मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए जोर देने के बाद उन्हें उसी साल सितंबर में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था।

माना जाता है कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोभाल ने उरी हमलों के बाद पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए किए गए लक्षित हमले में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हुए हवाई हमले समेत राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उनके योगदान के लिए उनकी चौतरफा सराहना हुई। 'कीर्ति चक्र' जैसा सैन्य सम्मान पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी डोभाल देश के भीतर और बाहर के खतरों के बारे में अपनी गहरी जानकारी प्रदान करेंगे।

रक्षा मंत्री ने किया सियाचिन का दौरा

पेज 1 का बाकी

कर रहे जवानों से बातचीत की।

सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत और उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिग-इन-चीफ रणबीर सिंह के साथ सियाचिन पहुंचे सिंह ने जवानों की बहादुरी को सलाम किया और कहा कि वह देश की रक्षा कर रहे इन जवानों के माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर उनके बेटों को देश सेवा में भेजने के लिए धन्यवाद देंगे। रक्षा मंत्री के तौर पर दिल्ली के बाहर अपने पहले दौरे में सिंह ने क्षेत्र के शीर्ष फील्ड कमांडरों के साथ सियाचिन में सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लिया। बाद में वह बदामीबाग कैंट में चिनार कोर के मुख्यालय पहुंचे।

रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, 'सियाचिन में हमारे जवान प्रतिकूल परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्र में पूरे साहस और धैर्य के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं उनके जोश और पराक्रम को सलाम करता हूं।' सिंह ने सियाचिन युद्ध स्मारक पर पुष्पमाला भी चढ़ाई।

उन्होंने कहा, 'मुझे सियाचिन में सेवारत अपने सभी सैनिकों पर गर्व है जो हमारी मातृभूमि की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।' रक्षा मंत्री ने कहा, 'मुझे उनके माता-पिता पर भी गर्व है जिन्होंने अपने बच्चों को सशस्त्र बलों में देश सेवा के लिए भेजा।' काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र है, जहां जवानों को अत्यधिक सर्दी और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है।

सर्दियों में ग्लेशियर पर भूस्खलन और हिमस्खलन आम बात है। यहां तापमान शून्य से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 1,100 से अधिक जवान सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। उन्होंने कहा, 'राष्ट्र सदैव उनकी सेवा और बलिदान का ऋणी रहेगा।'

खुफिया एजंसियों से मंगाई और जानकारी

पेज 1 का बाकी

जांच का काम फिर से देखेंगे। उन्होंने कहा, 'तीनों...सीबीआइ, आइबी और दिल्ली पुलिस आयुक्त से मुझे कुछ और सामग्री मंगानी होगी क्योंकि उनसे मिली सामग्री के बाद कुछ और सामग्रियों की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि मुझे देखना होगा कि क्या सुराग मिलता है। इस बारे में कुछ पुख्ता है या नहीं। अगर पुष्टि नहीं होती है तो मुझे अलग विचार अपनाना होगा। अगर और सामग्री आती है तो मुझे उसे पढ़ना होगा। बहरहाल, आरोपों पर उन्होंने प्रथमदृष्ट्या अपने विचार प्रकट करने से इनकार कर दिया।

महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा

पेज 1 का बाकी

संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस समय केवल 11 फीसद महिलाएं ही कार्य क्षेत्र में सक्रिय तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसके लिए सरकार ने सीसीटीवी लगाने व सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा का फैसला लिया है। अभी महिलाएं ज्यादा किराए की वजह से मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक सप्ताह में विस्तृत प्रस्ताव लेकर आएंगे जिसमें बताया जाएगा कि कैसे और कब से इस योजना को लागू किया जाएगा। इस मामले में आम जनता दिल्लीवमूनसेफ्टीऐटजीमेलडॉटकॉम व डीडीसी, कार्यालय 33 शामनाथ मार्ग पर अपने सुझाव भेज सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरा चरण पूरा होने के बाद रोजाना 40 लाख लोग मेट्रो में सफर करेंगे। मार्च 2017 में 28 लाख लोग सफर करते थे। किराया बढ़ने के बाद 25 लाख लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। इनमें 30 फीसद लें तो आज आठ लाख महिलाएं रोजाना सफर करती हैं। अगर मेट्रो सवारियों की संख्या 10 फीसद भी बढ़ती है तो एक लाख महिलाएं बढ़ जाएंगी। इसके बाद भी अधिक बोझ नहीं होने वाला है। देश में 27 फीसद व दिल्ली में 11 फीसद कामकाजी महिलाएं हैं। मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने पर कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी।

चीन की सीमा के पास वायुसेना का विमान लापता

पेज 1 का बाकी

की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं।' वायुसेना का कहना है कि अभी तक इस लापता विमान का कोई मलबा नहीं मिला है। वायु सेना ने उन क्षेत्रों में अपनी तलाश शुरू कर दी है जहां रडार से संपर्क टूट जाने के बाद विमान जा सकता है। विमान जिस इलाके में लापता हुआ है वह पहाड़ियों से घिरा एवं घने जंगल वाला इलाका है। भारतीय वायुसेना ने ग्राउंड फोर्स को भी खोजी अभियान में लगाया है।

सोवियत संघ के दौर का यह विमान 1980 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इसका लगातार उन्नयन व सुधार किया गया। हालांकि लापता विमान एएन-32 इन अपग्रेडेड वायुयानों का हिस्सा नहीं है। वायुसेना बड़ी संख्या में इन विमानों का इस्तेमाल करती है।

यह दो इंजन वाला टर्बो प्रॉपेलर वाला परिवहन विमान है। बताते चलें कि जुलाई 2016 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा एएन-32 वायुयान हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 29 लोगों की जान गई थी।

सूचकांक और निफ्टी रेकार्ड ऊंचाई पर

पेज 1 का बाकी

राजग की नई सरकार सुधारों की दिशा में मजबूत फैसले लेना जारी रखेगी।

एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों के चढ़ने के कारण सूचकांक में उछाल देखने को मिला। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इंड्सइंड बैंक, एशियन पेंट्स, एचयूएल और मारुति के शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली। आइसीआइसीआइ बैंक, एनटीपीसी और आइटीसी को छोड़कर सूचकांक में शामिल सभी प्रमुख कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। सूचकांक की 30 में से 27 कंपनियां लाभ में रहीं। क्षेत्रवार बात करें तो वाहन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, टिकाऊ उपभोग की वस्तु बनाने वाली कंपनियों व धातु क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में 1.93 फीसद तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सभी 19 क्षेत्रों के संकेतक उछाल लिए रहे।

केंद्रीय बैंक ने पिछले दो बार में रेपो दर में 0.25-0.25 फीसद की कटौती की है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुरुवार को लगातार तीसरी बार आरबीआइ नीतिगत दरों में कटौती कर सकता है। इसी उम्मीद में निवेशकों ने भारी लिवाली की। मार्च तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने के कारण निवेशकों को दरों में कटौती की गुंजाइश बढ़ती दिख रही है। कृषि व विनिर्माण क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहने के कारण देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। रुपए के मजबूत होने का सकारात्मक असर भी निवेशकों की धारणा पर देखने को मिला। रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 38 पैसे मजबूत होकर 69.32 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।

दो युवतियों से बलात्कार मामले की जांच में पुलिस पर लापरवाही का आरोप

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 3 जून।

राजस्थान के नागौर में दिल्ली की दो युवतियों से हुए बलात्कार का मामला अब गरमा गया है। इस मामले में युवतियों की शिकायत को नागौर पुलिस ने अनसुना कर उन्हें दिल्ली भेज दिया था। युवतियों ने इस मामले में जब ऑनलाइन शिकायत भेजी तो सामने आया कि पुलिस ने इस प्रकरण को टरकाने का काम किया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में पुलिस के दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर आंदोलन शुरू किया जाएगा।

नागौर पुलिस के डीएसपी श्रवणदास संत का कहना है कि पीड़ित युवतियों ने घटना 25-26 मई की होना बताया है। इस मामले में युवतियों ने देरी से रिपोर्ट दी है और प्रकरण 30 मई को दर्ज किया गया है। पीड़ित युवतियां 27 मई को नागौर के सदर थाने पहुंची और थानाधिकारी को घटना की जानकारी दी। इस पर पीड़िताओं को बलात्कार की रिपोर्ट देने को कहा गया। इस पर युवतियों ने इस मामले में परिजनों से सलाह करके रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कही। उन्होंने दिल्ली जाने की बात कही और उन्हें ट्रेन में बैठाया गया था। युवतियों को कुछ युवकों ने नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली से नागौर बुलाया था।

युवतियों की शिकायत है कि उन्हें धोखे में रख कर बुलाया और बलात्कार कर डरा धमका कर वापस दिल्ली जाने को कहा गया। इसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय पुलिस को समय पर दी पर पुलिस ने कोई मदद नहीं की।

निरस्त्रीकरण व अप्रसार पर भारत-चीन में बातचीत

पेज 1 का बाकी

(निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले) इंद्रमणि पांडेय ने किया वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्त्व विदेश मंत्रालय के हथियार नियंत्रण विभाग के महानिदेशक राजदूत फू कांग ने किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने निरस्त्रीकरण, अप्रसार और हथियार नियंत्रण से संबंधित परस्पर हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने भविष्य में नियमित अंतराल पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया। राजदूत फू कांग ने अगले दौर की बातचीत के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को परस्पर सुविधाजनक समय पर बेजिंग आने का आमंत्रण दिया।

इस बीच राजनयिक सूत्रों ने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर सितंबर में बेजिंग का दौरा कर सकते हैं।

कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए पाकिस्तान को भी शामिल करने की जरूरत : महबूबा

श्रीनगर, 3 जून (भाषा)।

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान को भी एक पक्ष बताया और मुद्दे को सुलझाने के लिए पड़ोसी देश को भी शामिल करने की वकालत की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर समस्या के त्वरित हल के लिए 'बर्बर बल' का सहारा लेने का आरोप लगाया और कहा कि यह बेतुकी भरी नासमझी होगी।

उन्होंने कहा, '1947 से विभिन्न सरकारें कश्मीर को सुरक्षा के नजरिए से देखती रही हैं। यह एक राजनीतिक समस्या है और पाकिस्तान सहित सभी पक्षों को शामिल करते हुए इसके राजनीतिक हल की जरूरत है।'

इससे पहले शाह ने नई दिल्ली में देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जहां उन्हें जम्मू कश्मीर की स्थिति से भी अवगत कराया गया।

नई शिक्षा नीति का संशोधित मसविदा हुआ जारी

पेज 1 का बाकी

रकिया गया। अच्छा हल।

बहरहाल, नई शिक्षा नीति के संशोधित मसविदे में कहा गया है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई जाने वाली तीन भाषाओं में से एक या अधिक भाषा बदलना चाहते हैं, वे ग्रेड 6 या ग्रेड 7 में ऐसा कर सकते हैं, जब वे तीन भाषाओं (एक भाषा साहित्य के स्तर पर) में माध्यमिक स्कूल के दौरान बोर्ड परीक्षा में अपनी दक्षता प्रदर्शित कर पाते हैं। पहले के मसविदे में समिति ने गैर हिंदी प्रदेशों में हिंदी की शिक्षा को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था। इस मुद्दे पर तमिलनाडु में द्रमुक सहित कई अन्य दलों ने भारी विरोध शुरू कर दिया था। द्रमुक के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा और मक्कल नीधि मैयम नेता कमल हासन ने इसे लेकर विरोध जाहिर किया है। तिरुचि शिवा ने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा था कि हिंदी को तमिलनाडु में लागू करने की कोशिश कर केंद्र सरकार आग से खेलने का काम कर रही है। वहीं, कमल हासन ने कहा था कि उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है और उनके विचार से, हिंसी भाषा को किसी पर भी थोपा नहीं जाना चाहिए।

भाजपा के 'जय श्रीराम' अभियान के जवाब में ममता का 'जय बांग्ला'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

भारतीय जनता पार्टी के 'जय श्रीराम' अभियान के जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'जय बांग्ला' अभियान शुरू किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) बदल दी। अब उनकी डीपी में बंगाल के कई मनीषियों की तस्वीरों के साथ 'जय हिंद', 'जय बांग्ला' लिखा नजर आ रहा है। ममता के साथ ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भी अपनी डीपी बदल दी है।

इससे पहले एक विस्तृत फेसबुक पोस्ट में ममता बनर्जी ने भाजपा पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोगों से किसी भी तरह की अराजकता और अशांति को रोकने का आग्रह किया। इसके बाद ट्विटर और फेसबुक पर डीपी बदलते हुए ममता ने अब महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मातंगिनी हाजरा, नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर और कवि काजी नजरूल इस्लाम की तस्वीरों के साथ जय हिंद, जय बांग्ला लिखे तस्वीर को जगह दी है। तृणमूल के आधिकारिक ट्विटर और फेसबुक अकाउंट की डीपी भी इससे बदल दी गई है।

ममता ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'जय सिया राम, जय राम जी की, राम नाम सत्य है...आदि धार्मिक और सामाजिक धारणाएं हैं। हम इन भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन भाजपा धर्म को राजनीति के साथ मिलाकर धार्मिक नारे जय श्री राम का अपने पार्टी के नारे के रूप में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है।'

उन्होंने लिखा कि प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना नारा होता है। मेरी पार्टी के पास जय हिंद, वंदे मातरम का नारा है।

ईवीएम पर सवाल उठाए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

ममता बनर्जी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल को लेकर सोमवार को सवाल उठाए और विपक्षी दलों से अपील की कि वे संयुक्त रूप से मतपत्रों के जरिए चुनाव करवाने की मांग करें। बनर्जी ने कहा कि एक तथ्यान्वेषी समिति बननी चाहिए ताकि वह ईवीएम का ब्योरा तैयार कर सके।

उन्होंने कहा, 'हमें लोकतंत्र बचाना है। हम मशीन नहीं चाहते, हमारी मांग है कि कागज के मतपत्र वाले युग की वापसी हो। हम एक आंदोलन प्रारंभ करेंगे और यह बंगाल से शुरू होगा।'

ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर ट्रंप, मेयर सादिक खान से विवाद सामने आया

लंदन, 3 जून (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया के साथ सोमवार को ब्रिटेन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लंदन के पाकिस्तान मूल के मेयर सादिक खान को 'दुष्ट' करार दिया। ट्रंप और उनका परिवार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का मेहमान बनकर तीन दिन की राजकीय यात्रा पर यहां आया है। ट्रंप इस दौरान ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और निवर्तमान प्रधानमंत्री टेरेसा मे के साथ जलवायु परिवर्तन तथा चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी हुआवेई को लेकर बातचीत कर सकते हैं।

राष्ट्रपति का एअर फोर्स वन विमान स्टैन्स्टेड हवाईअड्डे पर उतरने से कुछ ही क्षण पहले ट्रंप ने अपने अंदाज में ट्वीट किया और लंदन के मेयर खान पर निशाना साधा। दोनों के बीच पहले भी विवाद सामने आता रहा है। ट्रंप ने खान को 'दुष्ट' तक कह डाला।

ट्रंप ने लिखा, 'लंदन के मेयर के तौर पर बहुत खराब काम करने वाले सादिक खान ब्रिटेन यात्रा पर आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से दुष्टता कर रहे हैं। वे असंवेदनशील किस्म के असफल व्यक्ति हैं, जिन्हें लंदन में अपराध पर ध्यान देना चाहिए, मुझ पर नहीं।'

ट्रंप ने 48 वर्षीय खान की तुलना न्यूयॉर्क के मेयर ब्लासियो से की और कहा कि उन्होंने भी ऐसा ही खराब काम किया है। खान ने हाल ही में ट्रंप को फासीवादी और विभाजनकारी शख्स करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप का ब्रिटेन में भव्य स्वागत नहीं होना चाहिए।

ट्रंप की यात्रा के दौरान लंदन, मैनचेस्टर, बेलफास्ट और बर्मिंघम समेत पूरे ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन की योजनाएं हैं। इस बार भी लंदन के आसमान में ट्रंप को बच्चे की तरह दर्शाने वाला गुब्बारा उड़ता देखा जा सकता है, जैसा 2018 में उनकी पिछली ब्रिटेन यात्रा के दौरान देखा गया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सोमवार को बकिंघम पैलेस में ट्रंप और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया के सम्मान में रात्रिभोज देंगी।

ट्रंप की यात्रा के एजंडे में लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ मुलाकात, इंग्लिश चैनल के दोनों ओर डी-डे स्मृति समारोह और राष्ट्रपति के रूप में आयरलैंड की उनकी पहली यात्रा शामिल हैं। ट्रंप की यात्रा के कुछ दिन बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे पद छोड़ सकती हैं। ब्रिटेन के कई नेता ट्रंप के सम्मान में दिये जाने वाले रात्रिभोज का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे पहले केवल जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा ने ब्रिटेन की राजकीय यात्रा की थी।

कनाडा ने वेनेजुएला में अपने दूतावास का कामकाज बंद किया

ओटावा, 3 जून (एएफपी)।

कनाडा ने रविवार को वेनेजुएला स्थित अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपने शासन की आलोचना करने वाले राजनयिकों को मान्यता प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही कनाडा देश में मादुरो के राजदूतों की स्थिति की भी समीक्षा कर रहा है।

विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि मादुरो सरकार ने वेनेजुएला में कामकाज करने की विदेशी दूतावासों की क्षमता को सीमित कर दिया है।

यूएई में इमारत से गिरी भारतीय बच्ची की हालत गंभीर

दुबई, 3 जून (भाषा)।

शारजाह में एक इमारत की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद छह वर्षीय एक भारतीय लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही है। घटना शनिवार को उस समय हुई जब साफा एसए के तौर पर पहचानी गई लड़की अपने घर में खेलते खेलते बालकनी में चली गई जहां से वह नीचे गिर गई।

साका लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 21, आशियाना रेजीडेन्सी, चौधरी धरमवीर मार्केट
सेबेल सिनेमा के निकट, बदरपुर, नई दिल्ली-110044
CIN NO: L32101DL1981PLC012700

31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. हजारों में)

विवरण	स्टैंडएलॉन तथा समेकित				
	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2019	समाप्त तिमाही 31 दिसम्बर, 2018	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2019	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018
	अनंकेक्षित			अंकेक्षित	
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0	0	0	1435	0
कर के बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि)	-203	-91	-489	-462	-640
कर के बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	-203	-91	-489	-462	-640
इक्विटी शेयर पूंजी					
आरिक्षत (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	0	0	0	0	0
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10/- प्रति का)					
मूल	0	0	0	0	0
तरल	0	0	0	0	0
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद)(रु. 10/- प्रति का)					
मूल	0	0	0	0	0
तरल	0	0	0	0	0

टिप्पणीः

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईटः bseindia.com पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों की 31.5.2019 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा उसी दिन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

साका लिमिटेड के लिए
राजीव सक्सेना
निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 31.5.2019

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड-380009
शाखा कार्यालयः एचडीएफसी बैंक, 1ला तल, 3रा पार्क स्ट्रीट, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, एमआईरोड, जयपुर, राजस्थान-302006

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक तथा गारन्टर ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सुविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय-वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

1. **ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नामः** कूपा राम चौधरी एवं झीमा चौधरी, प्लॉट नं. 21, विवेकानंद कॉलोनी, ग्राम चोपासनी, खसरा नं. 146, पाल रोड, जोधपुर-342001, ऋण खाता सं. 638436,, 435644 एवं 1417116; ऋण राशिः रु. 10947115 (रुपए एक करोड़ नौ लाख सैंतालिस हजार एक सौ पंद्रह मात्र) ऋण खाता सं. 638436 द्वारा तथा रु. 3857926 (रुपए अड़तीस लाख सत्तावन हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) ऋण खाता संख्या 1417116 द्वारा **मांग सूचना तिथिः** 23.5.2019, मांग की गई राशि दोनों खाताओं में रु. 13846852 (रुपए एक करोड़ अड़तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ बावन मात्र) 10 मई, 2019 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज; एनपीए तिथिः 5.4.2019, प्रतिभूति का विवरणः सम्पत्ति सं. 1ः भूमि रूपांतरण कार्यालय- जोधपुर में 24.1.2013 को क्रम सं. 1027 में पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से कूपा राम के नाम में दर्ज प्लॉट नं. 21, विवेकानंद कॉलोनी, ग्राम चोपासिनी, खसरा नं. 146, पाल रोड, जोधपुर-342001 का सभी भाग तथा हिस्सा, माप 266.66 वर्ग यार्ड्स अर्थात 222.96 वर्ग मी., सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉटनं. 22, पश्चिमः प्लॉट नं. 20, उत्तरः रोड 25, दक्षिणः प्लॉट नं. 30. सम्पत्ति सं. 2.: श्रीमती झीमा चौधरी के पक्ष में यूआईटी जोधपुर द्वारा निष्पादित पंजीकृत पट्टा प्रलेख सं. 2141 तिथि 6 नवंबर, 2002 के माध्यम से प्लॉट नं. 803/16, खसरा नं. 773, ग्रेम खेमा का कुआ, जोधपुर का सभी भाग तथा हिस्सा। माप 210.41 वर्ग यार्ड्स।

अतएव, आप ऋणधारकों, सह-ऋणधारक तथा मार्टगैजर को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

(ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)

कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करें:
श्री प्रशांत राठोर, फोनः 9928818000

हस्ता./-
स्थानः मुम्बई
तिथिः 3.6.2019
एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए
(प्राधिकृत अधिकारी)

PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF

WEIZMANN FOREX LIMITED

Registered Office: Empire House (Basement), 214, Dr. D. N. Road, Ent. A K Nayak Marg, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400 001; **Tel:** +91 22 2207 1501; **Fax:** +91 22 2207 1514; **Website:** www.weizmannforex.com; **CIN:** L65990MH1985PLC037697.

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 27,99,350 (TWENTY SEVEN LAKHS NINETY NINE THOUSAND THREE HUNDRED AND FIFTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 25.16% OF THE FULLY DILUTED VOTING EQUITY SHARE CAPITAL OF WEIZMANN FOREX LIMITED ("TARGET COMPANY"), FROM THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY EBIXCASH WORLD MONEY LIMITED ("ACQUIRER") ALONG WITH EBIX ASIA HOLDINGS INC. ("PAC 1") AND EBIX, INC. ("PAC 2", ALONG WITH 'PAC 1' COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PACS"), IN THEIR CAPACITY AS THE PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER ("OPEN OFFER" OR "OFFER").

This advertisement cum corrigendum ("**Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum**") is being issued by Centrum Capital Limited, the Manager to the Offer ("**Manager**"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs, in compliance with Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended from time to time ("**SEBI (SAST) Regulations**"), in respect of the Open Offer. The Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum is to be read together with: (a) the Public Announcement dated December 31, 2018 ("**Public Announcement**" or "**PA**"); (b) the Detailed Public Statement dated January 05, 2019 that was published in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) ("**DPS**"); and (c) the letter of offer dated May 25, 2019 ("**LOF**").

Capitalised terms used herein but not specifically defined shall have the same meaning ascribed to such terms in the LOF.

1. **Offer Price**

The Offer Price is ₹ 528/- per Equity Share. There has been no revision in the Offer Price.

2. **Recommendations of the Committee of Independent Directors of Weizmann Forex Limited**

The recommendations of the committee of independent directors ("**IDC**") constituted by the board of directors of the Target Company was published on January 22, 2019 in the Newspapers where the DPS was published. Summary of the IDC's recommendations is provided below:

Members of the IDC	i. Shri Kishore Madhavsinh Vussonji (DIN: 00444408) – Chairman ii. Shri Balkrishna Laxman Patwardhan (DIN: 00147084) – Member iii. Shri Nakul Manmohan Chopra (DIN: 00062369) – Member
Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC members believe that the Offer is fair and reasonable.
Summary of reasons for recommendation	IDC has reviewed the: i. PA; ii. DPS; and iii. DLOF. Based on the review of PA, DPS and DLOF, the IDC is of the view that the Offer Price of ₹ 528/- per share offered by the Acquirer is in line with the Regulation prescribed by SEBI under the SEBI (SAST) Regulations and appears to be justified. Keeping in view the above facts, IDC is of the view that the price of this Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.

3. **Other details of the Offer**

a. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. Further, there has been no competing offer to this Open Offer.

b. Dispatch of the LOF to all Eligible Equity Shareholders of the Target Company was completed on May 28, 2019. It is clarified that all the public shareholders of the Target Company (even if they acquire Equity Shares and become shareholders of the Target Company after the Identified Date) are eligible to participate in the Open Offer, subject to the Equity Shares held by them being in dematerialized form.

c. Please note that a copy of the LOF alongwith the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment will be available on the SEBI's website (www.sebi.gov.in). The Eligible Equity Shareholders can download/ print a copy of the LOF (including the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) to tender their Equity Shares in the Open Offer.

d. A summary of the procedure of tendering Equity Shares in the Open Offer is set out below. The Eligible Equity Shareholders are required to refer to paragraph 8 - "*Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer*" of the LOF in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

i. Eligible Equity Shareholder who desire to tender their Equity Shares in the electronic/dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Broker by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer in accordance with paragraph 8 - "*Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer*" of the LOF. Such Eligible Equity Shareholders must ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by the BSE before the closure of the Offer.

ii. As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI Listing Regulations read with the press release dated December 3, 2018 issued by the SEBI, with effect from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Therefore, the Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form shall not be eligible to tender such Equity Shares in the Open Offer. The Eligible Equity Shareholders desirous of tendering their Equity Shares held in physical form during the tendering period can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

iii. In case of non-receipt of the LOF, the application can be made on plain paper in writing signed by all Eligible Equity Shareholder(s) stating their name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered, and other relevant documents as mentioned in paragraphs 8.13, 8.14 and 8.15 of the LOF, during the Tendering Period.

4. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the DLOF was submitted to the SEBI on January 14, 2019. Thereafter, the SEBI vide its letter dated May 20, 2019 provided its comments on the DLOF ("**Observation Letter**"). These comments have been suitably incorporated in the LOF. This Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum is also a corrigendum to the DPS as required in terms of the Observation Letter. Apart from the comments set out in the Observation Letter, as suggested by the SEBI, details of the actions initiated or taken by the Directorate of Enforcement against the Target Company during the last 5 years i.e. for the period beginning April 1, 2014 till the date of the LOF have been suitably disclosed on pages 32 and 33 of the LOF.

5. All material changes since the date of the PA in relation to the Open Offer have been incorporated in the LOF. Eligible Equity Shareholders are requested to take note of the following material changes since the date of the PA:

a. In accordance with the terms and conditions of the SPA, on February 6, 2019, the Acquirer has acquired the entire shareholding of the Sellers in the Target Company aggregating 83,28,540 Equity Shares constituting 74.84% of the fully paid-up Equity Share Capital of the Target Company through open market (block deal) and off-market transactions. Pursuant to the acquisition of the entire shareholding of the Sellers in the Target Company, the Acquirer has assumed control of the Target Company and has become the promoter of the Target Company. Consequently, the Sellers do not hold any Equity Shares of the Target Company;

b. In accordance with the terms and conditions of the SPA, Dharmendra Siraj, Chetan D Mehra, Neelkamal V Siraj, Hitesh V Siraj and Smita Davda who were the directors on the Board have resigned from the Board. Further, B. Karthikeyan, Upkar Singh Kohli, Balkrishna Laxman Patwardhan, Kishore Madhavsinh Vussonji and Nakul Chopra who were the non-executive independent directors on the Board have also resigned from the Board; and

c. Satya Bushan Kotru, Guruprasad Tiruvanamalai Chandrashekaran and Vikas Verma who are the directors of the Acquirer have been appointed as directors on the Board as representatives of the Acquirer. Further, Deepak Bhan, Jyoti Kachroo and Sanjay Malhotra have also been appointed as the non-executive independent additional directors on the Board.

6. **Details regarding the status of statutory and other approvals**

a. To the best of the knowledge of the Acquirer and the PACs, there are no statutory approvals required by the Acquirer to complete this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the closure of the Tendering Period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals. In the event the statutory approvals (the grant or satisfaction of which are considered to be outside the reasonable control of the Acquirer) are not granted or satisfied, the Acquirer shall have the right to withdraw this Offer in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

b. If the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and FPIs) had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares in the Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in the Offer. If the Equity Shares are held under general permission of the RBI, then the non-resident Eligible Equity Shareholder must state that the Equity Shares are held under general permission and clarify whether the Equity Shares are held on repatriable or non-repatriable basis.

7. **Revised Schedule of Activities**

The schedule of key activities on page 3 of the DLOF (see also Part VII of the DPS) has been amended and the revised schedule of activities pertaining to the Offer as mentioned in the LOF is set forth below:

Activity	Original schedule of activities (Day & Date)	Revised schedule of activities (Day & Date)#
Date of Public Announcement	Monday, December 31, 2018	Monday, December 31, 2018
Publication of Detailed Public Statement in Newspapers	Monday, January 7, 2019	Monday, January 7, 2019
Last date of filing Draft Letter of Offer with the SEBI	Monday, January 14, 2019	Monday, January 14, 2019
Last date for public announcement of a competing offer(s)*	Monday, January 28, 2019	Monday, January 28, 2019
Last date for receipt of comments from the SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event the SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	Monday, February 4, 2019	Monday, May 20, 2019
Identified Date**	Wednesday, February 6, 2019	Wednesday, May 22, 2019
Last date by which the Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Wednesday, February 13, 2019	Wednesday, May 29, 2019
Last date by which a committee of independent directors of the Target Company shall give its recommendation to the shareholders of the Target Company***	Friday, February 15, 2019	Tuesday, January 22, 2019
Last date of upward revision of Offer Price and, or, the Offer Size	Tuesday, February 19, 2019	Monday, June 3, 2019
Publication of advertisement containing announcement of the schedule of activities of this Offer, status of statutory and other approvals, if any, and procedure for tendering acceptances, in the newspapers where the Detailed Public Statement for the Offer ("DPS") was published and notified to the SEBI, the BSE, the NSE and the Target Company at its registered office	Wednesday, February 20, 2019	Tuesday, June 4, 2019
Date of commencement of Tendering Period (Offer opening date)	Thursday, February 21, 2019	Thursday, June 6, 2019
Date of closure of Tendering Period (Offer closing date)	Thursday, March 7, 2019	Wednesday, June 19, 2019
Last date of communicating of rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/ return of unaccepted shares	Friday, March 22, 2019	Wednesday, July 3, 2019
Last date for publication of post Offer advertisement	Friday, March 29, 2019	Wednesday, July 10, 2019
Date by which the underlying transaction which triggered open offer will be completed****	-	February 6, 2019

 # The comments on the Draft Letter of Offer from the SEBI were received on May 20, 2019. Accordingly, the revised dates for the above-mentioned activities are set out in the revised schedule.

** There has been no competing offer as of the date of the Letter of Offer.*

*** Identified Date is the 10th Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purpose of determining the Eligible Equity Shareholders to whom the Letter of Offer shall be sent. The Identified Date is only for the purpose of determining the shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be dispatched. It is clarified that all Eligible Equity Shareholders, whether registered or unregistered, are eligible to participate in this Offer at any time during the Tendering Period.*

**** The recommendations of the committee of the independent directors of the Target Company were published in the Newspapers on January 22, 2019.*

***** On February 6, 2019, the Acquirer has acquired the entire shareholding of the Sellers in the Target Company aggregating 83,28,540 Equity Shares constituting 74.84% of the fully paid-up Equity Share Capital of the Target Company through open market (block deal) and off-market transactions.*

The Acquirer, the PACs and their respective directors accept, jointly and severally, full responsibility for the information contained in this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum and also for the obligations of the Acquirer and the PACs as laid down in the SEBI (SAST) Regulations. In relation to the information pertaining to the Sellers and Target Company, the Acquirer along with the PACs have relied on the information provided / confirmed by the Target Company and, or, the Sellers, any published information and publicly available sources and have not independently verified the accuracy of such information. The Acquirer and the PACs do not accept any responsibility with respect to any misstatement by the Target Company and, or, the Sellers in relation to such information.

A copy of this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum will be available on the SEBI's website (www.sebi.gov.in).

Issued on behalf of the Acquirer and the PACs by the Manager to the Offer

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
CENTRUM **CENTRUM CAPITAL LIMITED** Centrum House, CST Road, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai, Maharashtra - 400098 **Tel:** +91 22 4215 9000 **Fax:** +91 22 4215 9444 **E-mail:** wfl.openoffer@centrum.co.in **Website:** www.centrum.co.in **Contact Person:** Mr. Bhavin Ranawat / Ms. Sugandha Kaushik **SEBI Registration Number:** INM000010445	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis Makwana Road, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400 059 **Tel:** +91 22 6263 8200 **Fax:** +91 22 6263 8299 **E-mail:** openoffer@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Contact Person:** Arvind Tandel **SEBI Registration Number:** INR000001385

Date: June 03, 2019 **Place:** Mumbai, India

PRESSMAN

5जी और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी इसी साल : प्रसाद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जून।

5जी और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल की जाएगी। इसके अलावा 100 दिन के अंदर 5जी सेवाओं का परीक्षण शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये बातें सोमवार को संचार मंत्रालय का पदभार संभालने पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने कहीं।

मंत्रालय की योजनाओं के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने देश में स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर चीजें साफ कीं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि चालू साल में हम स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे। हमारे पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि ट्राई ने स्पेक्ट्रम पर अपनी सिफारिशें दे दी है। हमारे पास स्थायी समिति, वित्त समिति की व्यवस्था है। वे इस पर गौर कर रहे हैं। एक बार वे अपनी सिफारिशें दे देते हैं और अगर ट्राई के साथ और परामर्श की जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे।

प्रसाद ने कहा कि जहां तक 5जी नेटवर्क का सवाल है, हम 100 दिनों में परीक्षण करेंगे। हम 5जी के लिए स्पेक्ट्रम निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। यह हमारा प्रयास होगा कि 5जी प्रौद्योगिक का उपयोग वंचित तबकों, सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा और स्वास्थ्य और गांवों के लोगों तक प्रौद्योगिक लाने के भी हो। यह पूछे जाने पर कि चीनी दूरसंचार कंपनी हुवावेई को 5जी परीक्षण में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, मंत्री ने कहा कि सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस जटिल मुद्दे पर गौर किया जाएगा। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने हुवावेई और उसकी सहयोगी इकाइयों को काली सूची में डाल दिया। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली चीनी कंपनी को अमेरिकी कंपनियों से उपकरणों की खरीद पर पाबंदी लगा दी। हालांकि बाद में ग्राहकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ पाबंदियों पर छूट दी है। मंत्री ने संकट में घिरी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का पुनरुद्धार उनकी प्राथमिकता में ऊपर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन दोनों कंपनियों को भी पेशेवर रुख अपनाना होगा। ये दोनों कंपनियां नकदी संकट से जूझ रही है और हाल में वेतन भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ा है।

ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक होगा तैयार

मंत्री के एजंडे में ब्राडबैंड तैयारी सूचकांक तैयार करना है। यह भारतीय बाजार की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा 5 लाख वाईफाई हॉट स्पाट्स के लिए तेजी से काम करना और देश में दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देना है। सूचकांक बुनियादी ढांचा, मंजूरी प्रक्रिया और उच्च गति इंटरनेट जैसे मानदंडों पर आधारित होगा।

डब्लूएचओ के लेखा परीक्षक चुने गए राजीव महर्षि

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

देश के महालेखा नियंत्रक व परीक्षक (कैग) राजीव महर्षि को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) में बाहरी लेखा परीक्षक के तौर पर चुना गया है।

महर्षि का कार्यकाल वहां 2020 से 2023 तक रहेगा। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। उनको पिछले महीने जेनेवा में हुई 72वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में बहुमत से चुना गया। भारत के अलावा इस पद के लिए कांगो, फ्रांस, घाना, ट्यूनिशिया, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के महालेखा परीक्षक भी दौड़ में शामिल थे।

कैग ने एक बयान में कहा कि राजीव महर्षि मौजूदा डब्लूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक यानी फिलीपींस के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का स्थान लेंगे। कैग के लिए यह इस साल दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षण का काम है। इससे पहले मार्च 2019 में कैग को रोम में खाद्य व कृषि संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया था।

सोलह करोड़ अतिरिक्त परिवारों को सस्ती दर पर चीनी देने की तैयारी

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ती दरों पर 16.3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एक किलो चीनी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। इससे सरकारी खजाने पर 4,727 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार मानसून से पहले भंडारण को कम करने के मकसद से अतिरिक्त अनाज उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सबसिडी दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के खाद्यान्न मंत्रालय के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। मंत्रिमंडल ने मंत्रालय से प्रस्ताव पर फिर से काम करने और अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल या गेहूं) वितरण पर विचार करने को कहा। अभी अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2.5 करोड़ परिवारों को 13.5 रुपए किलो चीनी आपूर्ति की जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त 16.29 करोड़ लाभार्थी परिवारों को एक किलो चीनी मिलने से सरकारी खजाने पर 4,727 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय एक या दो किलो अतिरिक्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है। लेकिन इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने काफी सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है। इसके तहत गेहूं 2 रुपए किलो जबकि चावल 3 रुपए किलो दिया जा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के गोदामों में गेहूं और चावल के भंडार अटे पड़े हैं। ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अतिरिक्त अनाज का वितरण करने पर विचार किया जा रहा है। कुछ भंडार खुले में रखे हैं, इसलिए एफसीआइ पर मानसून शुरू होने से पहले इसके निपटान का दबाव है।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून के पांच जून तक केरल पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा बंपर पैदावार के साथ गेहूं और चावल की खरीद के कारण सरकार के पास बफर भंडार काफी अधिक मात्रा हो गया है। एफसीआइ ने थोक ग्राहकों को गेहूं बेचना शुरू किया है लेकिन ऊंची दर होने के कारण कारोबारी इसे खरीदने को लेकर गंभीर नहीं हैं क्योंकि अनाज कम दर पर खुले बाजार में पहले से उपलब्ध है।

कापीराइट नियमों में बदलाव का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है, जिससे संगीत और वीडियो को उचित मूल्य पर अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसमें किसी विवाद की स्थिति में मामले का हल अर्द्ध न्यायिक निकाय बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आइपीएबी) के जरिए किया जाए। इन बदलावों का प्रस्ताव कापीराइट (संशोधन) नियम, 2019 में किया गया है। इसके मसौदे को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक किया है।

इस पर अंशधारकों के विचार और टिप्पणियां 29 जून तक मांगी गई है। एक बार इन बदलावों को मंजूरी के बाद वेबसाइट, पोर्टल और म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनियों के लिए सामग्री (संगीत और वीडियो) को खरीदना और उसे अपलोड करना आसान हो जाएगा।

इस साल दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

भारत इस साल ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आइएचएस मार्केट की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में भाजपा की जीत पर रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक नजर आता है। 2019-23 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वृद्धि दर सात फीसद के आसपास रहने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है कि 2019 में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और देश की जीडीपी का आकार 3,000 अरब डॉलर के पार निकल जाएगा। भारत इस तरह से ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा। इसी तरह 2025 तक भारत का जीडीपी का आकार जापान से अधिक हो जाएगा। ऐसे में भारत एशिया-प्रशांत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में भारत लगातार आगे बढ़ेगा। वैश्विक जीडीपी वृद्धि में भारत का योगदान भी बढ़ेगा। भारत एशिया-प्रशांत की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख इंजन होगा। एशियाई क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के प्रवाह में भारत का प्रमुख योगदान होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा अभी 18 फीसद है जबकि लक्ष्य 25 फीसद का है। अगले दो दशक के दौरान भारतीय श्रम बल में हर साल औसत 75 लाख लोग जुड़ेंगे। आइएचएस ने कहा कि इससे मोदी सरकार पर विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों दोनों में रोजगार सृजन के लिए दबाव रहेगा।

बैंक धोखाधड़ी के 2018-19 में 71,500 करोड़ रुपए के मामले सामने आए

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2018-19 में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के 71,500 करोड़ रुपए के 6,800 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। 2017-18 में 41,167.03 करोड़ रुपए के ऐसे 5,916 मामले प्रकाश में आए थे।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं ने 71,542.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 6,801 मामलों की सूचना दी है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि धोखाधड़ी वाली राशि में 73 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआइ के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 11 वित्त वर्षों में 2.05 लाख करोड़ रुपए की भारी धनराशि की बैंकिंग धोखाधड़ी के कुल 53,334 मामले दर्ज किए गए।

इससे पहले 2008-09 में 1,860.09 करोड़ रुपए के 4,372 मामले सामने आए। 2009-10 में 1,998.94 करोड़ रुपए के 4,669 मामले दर्ज किए गए। 2015-16 और 2016-17 में क्रम से 18,698.82 करोड़ और 23,933.85 करोड़ रुपए के 4,693 और 5,076 मामले सामने आए।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआइ को धोखाधड़ी के बारे में मिली जानकारी को लेकर बैंकों द्वारा कानून प्रवर्तन एजंसियों के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है। कार्रवाई के बारे में किसी तरह की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। ये आंकड़े उल्लेखनीय हैं क्योंकि बैंक धोखाधड़ी के कई बड़े मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें भगोड़ा आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (परियोजना) डब्ल्यू-VI
चन्द्रावल डब्ल्यूडब्ल्यू-II, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054,
फोन: 011-23814133, ई-मेल: eecpw6.djb@nic.in
एनआईटी सं. 02 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा शुल्क (रु.)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	वजीराबाद बैराज के निकट 1200 एमएम डाया एमएस वाटर लाइन के साथ पुराने 1200 एमएम डाया सी आई वाटर लाइन का परिणामी स्थानांतरण के साथ इस ब्रिज का निर्माण। निविदा आईडी: 2019_DJB_173179_1	4444743/-	89000/-	500/-	30.5.2019 4 बजे अप.	18.6.2019 3 बजे अप. तक

सम्पूर्ण निविदा का विवरण वेबसाइट https//govtprocurement.delhi.gov.in पर देखी जा सकती है। यह निविदा वेबसाईट पर अपलोड की गई है।
पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी) हस्ता./- (एस.पी. सिंह)
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/50 कार्यपालक अभियंता (परियोजना) डब्ल्यू-VI, 9650291594

कंपनी कर की दर घटाकर 25 फीसद की जाए : एसोचेम

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

उद्योग मंडल एसोचेम ने कंपनी कर की दर घटाकर 25 फीसद पर लाने, लाभांश वितरण कर (डीडीटी) समाप्त करने और भत्तों व व्यक्तिगत आयकर के तहत कटौती को मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग की है।

पिछले सप्ताह राजस्व सचिव के साथ बजट पूर्व बैठक में एसोचेम ने विमान ईंधन (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क और घरेलू विनिर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क दरों में कटौती की भी मांग की। उद्योग मंडल ने यह भी सुझाव दिया है कि 48.55 फीसद की दर से लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) समाप्त किया जाना चाहिए और स्टार्टअप के लिए नियमों में ढील की मांग की।

एसोचेम ने कहा कि वितरित लाभ पर प्रभावी कंपनी कर दर 48 फीसद से अधिक है। इसे कम कर 25 फीसद और बाद में धीरे-धीरे घटाकर 20 फीसद पर लाने की जरूरत है। उसने कहा कि 20.55 फीसद लाभांश वितरण कर (डीडीटी) कष्टदायक है और कटौती (चकित्सा/परिवहन भत्ता आदि) में मुद्रास्फीति प्रभाव को शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कदम से भत्ते अधिक वास्तविक होंगे और करदाताओं के लिए मुद्रास्फीति के प्रभाव को तटस्थ बनाने में मदद मिलेगी।

एटीएफ पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के संदर्भ में उद्योग मंडल ने कहा कि माल व सेवा कर (जीएसटी) क्रियान्वयन के बाद एटीएफ की खरीद पर उत्पाद शुल्क क्रेडिट का भुगतान अब पात्र नहीं है। इससे एअरलाइन उद्योग की लागत बढ़ रही है। उसने कहा कि सरकार को विमानन उद्योग की मदद के लिए एटीएफ पर उत्पाद शुल्क में कटौती पर विचार करना चाहिए। एसोचेम ने विनिर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती की भी मांग की। सरकार 2019-20 का पूर्ण बजट पांच जुलाई को पेश करेगी।

राजमार्गों के लिए तय लक्ष्य पूरा करना प्राथमिकता : वीके सिंह

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

राजमार्गों के विकास के लिए पहले से चुने गए रास्ते पर कायम रहना और लक्ष्यों को पूरा करना पूर्व सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह की प्राथमिकता होगी। सिंह ने सोमवार को सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्यमंत्री का पदभार संभाल लिया।

पदभार संभालने के बाद एक बातचीत में सिंह ने कहा कि यह मंत्रालय ऐसा है जिसकी पहले से अपनी प्राथमिकताएं हैं और उसने पिछले पांच साल के दौरान इन प्राथमिकताओं को पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल में सिंह को फिर से मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। जनरल सिंह 2012 में सेना प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पिछली सरकार में वह विदेश राज्यमंत्री थे। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उनको 'आपरेशन राहत' को सफल बनाने का श्रेय जाता है। इस आपरेशन के दौरान 2015 में युद्ध प्रभावित यमन से 4,800 भारतीयों और 1,972 अन्य देशों के लोगों को बचाकर निकाला गया था। सिंह ने कहा कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ चीजें तय की हुई हैं। मैं देखूंगा कि हम उन पर और क्या कर सकते हैं, कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं और जो रास्ता हमने चुना है उसमें कैसे बेहतर योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा- वह समझने का प्रयास करेंगे कि अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होगा। इनमें वह कैसे अपना योगदान कर सकते हैं।

जनरल सिंह एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका, कैरेबियाई क्षेत्र और यूरोप में कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते थे। इस बार भी वह गाजियाबाद से ही चुनाव जीते हैं।

Bank of India
Relationships beyond banking.

नई दिल्ली आंचलिक कार्यालय, स्टार हाउस एच -2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110001

विलफुल डिफॉल्टर्स, डायरेक्टर्स /गारंटर्स के लिए सार्वजनिक सूचना

इस नोटिस द्वारा जनता को बड़े पैमाने पर सूचना दी जाती है कि "बैंक ऑफ इंडिया" ने निम्नलिखित व्यक्तियों को **"विलफुल डिफॉल्टर्स"** घोषित किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड द्वारा द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद किए गए हैं।

निम्नलिखित व्यक्ति ने **12.07.2011** को **पश्चिम विहार** शाखा से कैश क्रेडिट ऋण और सावधि ऋण प्राप्त किया है और भुगतान में चूक की है।

ओम प्रकाश शर्मा

उधारकर्ता का नाम : श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री महेश चंद शर्मा
निवासी : ए -25, महेन्द्रू एन्क्लेव, दिल्ली -110009
नौकरी : व्यापार
कार्यालय का पता : डी21 / 1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस- I, नई दिल्ली -110049
खाते का नाम : मैसर्स कृष्णा एक्सपोर्ट
ऋण खाता संख्या : 605430110000004 और 605465410000001
मुख्य राशि : रु 50.00 लाख
संविदात्मक ब्याज के साथ बकाया राशि 30.06.2012 तक : रु 249.72 लाख

निम्नलिखित व्यक्ति ने **13.01.2009** को **झंडेवालान शाखा** से कैश क्रेडिट और पैकिंग क्रेडिट ऋण प्राप्त किया है और भुगतान में चूक की है।

जय प्रकाश गुप्ता

उधारकर्ता का नाम : श्री जय प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता
निवासी : पीयू - ब्लॉक 97, द्वितीय तल, पीतमपुरा, नई दिल्ली
नौकरी : व्यापार
कार्यालय का पता : 5581, द्वितीय तल, लाहौरी गेट, नया बाजार, नई दिल्ली -110006
खाते का नाम : मैसर्स प्रिंस इंटरनेशनल
ऋण खाता संख्या : 602430110000025 और 602482610000004
मुख्य राशि : रु 550.00 लाख
संविदात्मक ब्याज के साथ बकाया राशि 29.09.2011 तक : रु 563.18 लाख

निम्नलिखित व्यक्ति ने **21.12.2007** को **सफदरजंग एन्क्लेव शाखा** से ओवर ड्राफ्ट ऋण प्राप्त किया है और भुगतान में चूक की है।

विनोद शशिपाल

उधारकर्ता का नाम : श्री विनोद शशिपाल पुत्र श्री शशिपाल (स्वामी मेसर्स बीएचपी कंस्ट्रक्शन)
निवासी : 52/62, ए1, नई बस्ती, आनंद पर्वत, नई दिल्ली
नौकरी : नहीं
कार्यालय का पता : उपलब्ध नहीं
खाते का नाम : मेसर्स बीएचपी कंस्ट्रक्शन कंपनी
ऋण खाता संख्या : 603625110000033
मुख्य राशि : रु 45.00 लाख
संविदात्मक ब्याज के साथ बकाया राशि 28.03.2010 तक : रु 25.41 लाख

निम्नलिखित व्यक्ति ने **09.06.2009 और 26.03.2009** को **सफदरजंग एन्क्लेव शाखा** से सीसी लिमिट/वाहन ऋण प्राप्त किया है और भुगतान में चूक की है।

राम नारायण

उधारकर्ता का नाम : श्री राम नारायण पुत्र श्री विजय कुमार (स्वामी मेसर्स ओम इंटरनेशनल)
निवासी : 12 सी केडी ब्लॉक अशोक विहार नई दिल्ली
नौकरी : नहीं
कार्यालय का पता : 1186/201, जैम्स प्लाजा, छत्ता मदन गोपाल, चांदनी चौक नई दिल्ली
खाते का नाम : मेसर्स ओम इंटरनेशनल
ऋण खाता संख्या : 603630110000047 और 603660510000046
मुख्य राशि : रु 95.00 लाख और रु 12.00 लाख
संविदात्मक ब्याज के साथ बकाया राशि 29.12.2009 तक : रु 92.01 लाख और **29-01-2010 तक** : रु 09.51 लाख

निम्नलिखित व्यक्ति ने **21-05-2007 और 17-08-2007** को **सफदरजंग एन्क्लेव** शाखा से संपत्ति (लैप) / ओवरड्रॉफ्ट ऋण प्राप्त किया है और भुगतान में चूक की है।

राजकुमार सामंत

उधारकर्ता का नाम : श्री राजकुमार सामंत पुत्र स्वर्गीय श्री रघु नाथ एवं अन्य और मैसर्स रघुनाथ एंड संस ज्वैलर्स
निवासी : 25/3876, रायगरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 **अन्य पता** : 25/3870, रायगरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
नौकरी : नहीं,
कार्यालय का पता : डब्लूजेड-256/बी, इंद्रपुरी, नई दिल्ली - 110012
ऋण खाता संख्या : 603662610000029 और 603625110000029
मुख्य राशि : रु 38.00 लाख और रु 15.00 लाख
संविदात्मक ब्याज के साथ बकाया राशि 30.01.2010 तक : रु 40.17 लाख और **25.01.2010 तक** : रु 17.48 लाख

निम्नलिखित व्यक्ति ने **15.09.2009** को **बैंक ऑफ इंडिया, आसफ अली रोड** शाखा से कैश क्रेडिट और सावधि ऋण प्राप्त किया है और भुगतान में चूक की है।

सरवन कुमार

उधारकर्ता का नाम : मेसर्स शिवा अपेरल्स स्वामी श्री सरवन कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री जपमाल सिंह
निवासी : सरवन बिल्डिंग, नानक नगर, निलोठी एक्स्टेंशन दिल्ली 110041
नौकरी : स्वामी
कार्यालय का पता : ए32, गुरु नानक नगर, निलोठी एक्स्टेंशन दिल्ली 110041
खाते का नाम : मेसर्स शिवा अपेरल्स
ऋण खाता संख्या : 600130110000008
मुख्य राशि : रु 45.00 लाख
संविदात्मक ब्याज के साथ बकाया राशि 26.07.2010 तक : रु 49.05 लाख

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ क्रेडिट सूचना कंपनियों को उपर्युक्त व्यक्तियों को विलफुल डिफॉल्टरों के रूप में सूचित करने के लिए उपयुक्त संचार भेजा है। इसके तहत हम बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए विलफुल डिफॉल्टर्स की तस्वीरें प्रकाशित करते हैं।

दिनांक : 04-06-2019
स्थान : नई दिल्ली
बैंक ऑफ इंडिया

विनिर्माण क्षेत्र ने मई में पकड़ी रफ्तार

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

मांग बढ़ने के साथ कंपनियों के उत्पादन बढ़ाने से इस साल मई में देश में विनिर्माण गतिविधियों की रफ्तार में वृद्धि दर्ज की गई। इससे क्षेत्र में रोजगार भी बढ़े हैं। सोमवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई।

निक्की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) मई में वृद्धि के साथ 52.7 अंक पर आ गया जो अप्रैल में 51.8 अंक पर था। यह पिछले तीन महीने में इस क्षेत्र में सबसे बेहतर वृद्धि को दर्शाता है। यह लगातार 22वां महीना है जब विनिर्माण पीएमआइ 50 अंक से ऊपर रहा है। पीएमआइ का 50 अंक से ऊपर रहना विनिर्माण गतिविधियों में विस्तार और इससे नीचे रहना संकुचन को दर्शाता है।

आइएचएस मार्केट की प्रधान अर्थशास्त्री और इस सर्वेक्षण रपट की लेखिका पॉलियाना डि लीमा ने कहा कि मांग बढ़ने के साथ मई में खाली हुई इन्वेंटरी को फिर से भरने के लिए भारतीय कंपनियों ने उत्पादन में बढ़ोतरी की है। इससे विनिर्माण गतिविधियां बढ़ी हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक सामानों के उत्पादकों की धारणा मजबूत होने, नए ऑर्डर में ठोस बढ़ोतरी के दम पर क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि अप्रैल, 2018 में नौकरियों में इजाफा दर्ज किया गया है। फरवरी के बाद यह वृद्धि सबसे अधिक है।

अमेरिका के कर छूट खत्म करने के फैसले से निर्यातक होंगे प्रभावित : सीआइआइ

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

अमेरिका द्वारा भारत से निर्यात प्रोत्साहन सुविधा को वापस लेने का फैसला जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इससे घरेलू निर्यातक प्रभावित होंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने सोमवार को यह बात कही।

सीआइआइ के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका दोनों इस मसले पर बातचीत करेंगे और इसका कुछ उचित समाधान निकालेंगे। अमेरिका ने भारतीय निर्यातकों को सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को पांच जून से वापस लेने की घोषणा की है। किर्लोस्कर ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसपी का मुद्दा कुछ जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इससे विशेष रूप से छोटे उत्पादों के निर्यातकों को नुकसान होगा।

उन्होंने कहा कि इन लाभों को वापस लिए जाने से भारतीय और अमेरिकी कंपनियां दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। इससे सिर्फ हमारे ऊपर असर नहीं होगा बल्कि इससे दोनों पक्ष प्रभावित होंगे।

यह अमेरिकी विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाएगा क्योंकि उनकी लागत कम होगी। जीएसपी कार्यक्रम के तहत अमेरिका का दो-तिहाई आयात होता है। इसमें उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल और कलपुर्जे शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कई महंगे सामान पर शुल्क खत्म हो जाता है। किर्लोस्कर ने कहा कि 2016 और 2017 में जीएसपी कार्यक्रम के तहत अमेरिकी आयातकों को 73 करोड़ डॉलर की बचत हुई।

इस मुद्दे पर भारतीय व्यापार संवर्द्धन परिषद (टीपीसीआइ) ने कहा कि अमेरिका द्वारा जीएसपी वापस लेने के फैसले का भारत जवाब देगा। आगामी महीनों में जवाबी शुल्क लगाया जाएगा।

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और
श्री जी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U51909DL1996PTC076046)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **253, सुरेंद्र कॉलोनी विलेज झड़ोदा, नई दिल्ली-110009 में हैं, के मामले में**
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **23 अप्रैल, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"मध्य प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हो, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में **253, सुरेंद्र कॉलोनी विलेज झड़ोदा, नई दिल्ली-110009** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते **श्री जी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड**
पुष्पलता खंडेलवाल (निदेशक)
दिनांक: 03 जून, 2019 डीआईएन: 01796042
स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और
ऑप्टिमम इस्ट्रकचर्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U51909DL2006PTC157104)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **सविराज एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड** C/O **रामदेव शर्मा, 26/43, गली नं. 12, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 में हैं, के मामले में**
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्र

त्रिपुरा के डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेजा

अगरतला, 3 जून (भाषा)।

त्रिपुरा की सरकार ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अखिल कुमार शुक्ला को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है और इस पद की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) राजीब सिंह को दी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना कहती है कि शुक्ला को अन्यत्र जाने की इजाजत के साथ उनके एक जून से नौ अगस्त तक, 70 दिनों के, अर्जित अवकाश को मंजूरी दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार, डीजीपी के छुट्टी खत्म होने के बाद पद और पदस्थापना की जगह वापस आने की संभावना है। बहरहाल, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के शुक्ला के प्रदर्शन से खुश नहीं है और उनसे छुट्टी पर जाने को कहा गया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने 28 मई को सभी पार्टियों से राज्य में राजनीतिक हिंसा बंद करने की अपील की थी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, भले ही उनकी राजनीतिक पहचान कुछ भी हो। देब ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की तारीखों का एलान करने के बाद राज्य में हिंसा के 186 मामले दर्ज हुए थे।

जलवायु संकट से लड़ने की जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की : वेंकैया

तिरूपति, 3 जून (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे वैश्विक तापमान में इजाफे के मुद्दों का समाधान करें जिसके कारण चरम मौसम और सूखे जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं और जनजीवन, पौधे और जानवर प्रभावित हो रहे हैं। नायडू ने यहां राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) में वैज्ञानिकों, युवा अनुसंधानकर्ताओं और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, 'जैसा हम सब जानते हैं हर दिन मौसम और जलवायु नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं और परिणामस्वरूप हम वैश्विक तापमान और विषम मौसम, चक्रवाती तूफान, झंझावात, मूसलाधार बारिश और सूखे जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं।' बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन से कृषि के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी असर हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा, 'यहां की प्रमुख प्रयोगशालाओं का दौरा करने के बाद मुझे चल रहे कार्य और भविष्य के कार्यों के बारे में पता चला।'

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय,
15, एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
फोन: 011-26164817 / 26197769; टेलिफैक्स: 26171554, ईमेल आईडी : recovery_del@mahabank.co.in

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के अन्तर्गत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सरफैसी अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा यहां नीचे वर्णित उधारकर्ताओं / गिरवीदारों की प्रतिभुति परिसंपत्ति के कब्जे के अनुपालन में संबंधित उधारकर्ताओं / बंधक सहित सभी संबंधित, उनके कानूनी उत्तराधिकारी / प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, सहित आम जनता तथा सभी संबधितों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन बोली नीचे सूचीबद्ध संपत्तियों की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं.	ऋणधारकों / गारन्टरों का नाम एवं पता	लॉट नं.	सम्पत्ति का विवरण	धरोहर राशि रुपये	आरक्षित मुल्य रुपये
1.	(1) श्री गुरप्रीत सिंह (प्रोपराइटर मैसर्स इंटेच इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर) दूसरी मंजिल, डब्ल्यूजेड –51, प्लॉट नंबर 11सी, पृथ्वी पार्क, एमबीएस नगर, नई दिल्ली – 110018 (2) श्रीमती परमिंदर कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह, दूसरी मंजिल, डब्ल्यूजेड –51, प्लॉट नंबर 11सी, पृथ्वी पार्क, एमबीएस नगर, नई दिल्ली – 110018	1.	संपत्ति नंबर 17/45 एबी की दूसरी मंजिल, तिलक नगर, नई दिल्ली –110018 (बिना छत के अधिकार)	रु 5.91 लाख	रु 59.13 लाख
				(सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	10.07.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार
		2.	संपत्ति नंबर 17/45 एबी की तीसरी मंजिल, तिलक नगर, नई दिल्ली –110018 (बिना छत के अधिकार)	रु 6.19 लाख	रु 61.92 लाख
				(सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	10.07.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 108,71,904/– (रुपए एक करोड़ आठ लाख इकहत्तर हजार नौ सौ चार मात्र) तथा 01.01.2019 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 01.01.2019 से उस पर आगे का ब्याज।

2.	1) मैसर्स आई एस सी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड टीए–327, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, दूसरी मंजिल, नई दिल्ली –110019 2) श्री गोपाल दास राठी, सी –2/56, एसडीए, हौजखास, नई दिल्ली –110016 3) श्री सुनील राठी सी – 2/56, एसडीए, हौजखास, नई दिल्ली –110016 4) श्रीमती शांति देवी राठी पत्नी श्री गोपालदास राठी सी –2/ 56, एसडीए, हौजखास, नई दिल्ली –110016	3.	प्रॉपर्टी दुकान नंबर 12 चौकी हवेली, सहार गरबेल, प्लोलो विक्टरी के सामने, स्टेशन रोड, न्यू महारानी प्लेस होटल (रावत होटल के सामने), कांति नगर जयपुर –302006 जोकि श्रीमती शांति देवी राठी पत्नी श्री गोपाल दास राठी के नाम पर है। मापक्षेत्र 43.50 वर्गमीटर	रु 7.05 लाख	रु 70.55 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 1,91,70,156 /– (रुपए एक करोड़ इक्यानवे लाख सत्तर हजार एक सौ छप्पन मात्र) तथा 25.04.2017 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 25.04.2017 से उस पर आगे का ब्याज।

3.	1) मैसर्स लव जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड 2705 गली नंबर 24 बीडोन पुरा करोल बाग नई दिल्ली–110005 2) श्री विकास वर्मा 5909/3, प्रथम तल, ब्लॉक नंबर 4, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 3) श्री सूरज प्रकाश 5909/3 दूसरी मंजिल, ब्लॉक नंबर 4, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 4) मेसर्स जीसस बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड 3314, गली नंबर 2, क्रिसिटैन कॉलोनी, करोल बाग, नई दिल्ली–110005	4.	यह संपत्ति पहली मंजिल पर प्राइवेट नंबर 1 और 10 पर बेसमेंट प्लस ग्राउंड और तीन मंजिला इमारत में एक फ्रीहोल्ड प्लॉट पर मापक्षेत्र 139.61 वर्ग मीटर पर वाणिज्यिक स्थान है। प्राइवेट नंबर 1 और 10, एमपीएल नंबर 2728, पहली मंजिल, प्लॉट नं. 25 वार्ड नं. XVI, गली नं. 23–24, ब्लॉक पी, नाईवाला एस्टेट, बीडोनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 जोकि मेसर्स जीसस बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। नोट – हम यह भी बताना चाहते हैं कि उक्त संपत्ति को एमसीडी द्वारा वर्ष 2012 में अनाधिकृत निर्माण के तहत बुक किया गया है, और इसलिए मूल्यांकनकर्ता अंदर से संपत्तियों का निरीक्षण करने में सक्षम नहीं था। नीलामी क्रेता को बिक्री मूल्य के अतिरिक्त एमसीडी के प्रभार वहन करना चाहिए।	रु 4.33 लाख	रु 43.34 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 4,73,45,666/– (रुपए चार करोड़ तिहत्तर लाख पैंतालीस हजार छः सौ छियासठ मात्र) तथा 06.01.2015 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 06.01.2015 से उस पर आगे का ब्याज।

4.	1) मैसर्स बॉस ऑप्टिकल प्रोपराइटर श्री मोहम्मद अजीम 4574/15, दूसरी मंजिल, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली–110002 इसके अलावा: मैसर्स बॉस ऑप्टिकल 1246, कटरा मिर्जा हुसैन बेग, फराश खाना दिल्ली–110006 2) श्री अजीम अहमद 2367, दूसरी मंजिल, गली नवाब वाली, तिलक बाजार, दिल्ली–110006	5.	तीन मंजिला इमारत 48.49 वर्गमीटर (58 वर्ग यार्ड) की माप वाला, VII–1246, कुचा मिर्जा हुसैन, फराश खाना, दिल्ली में फ्रीहोल्ड प्लॉट पर निर्मित है जोकि श्री अजीम अहमद के नाम पर है।	रु 6.85 लाख	रु 68.50 लाख
				(सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 2,31,25,023/– (रुपए दो करोड़ इक्कतीस लाख पच्चीस हजार तेईस रुपए मात्र) तथा 26.02.2015 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 26.02.2015 से उस पर आगे का ब्याज।

5.	1) मैसर्स बीनस डायमंड्स प्रोपराइटर श्रीमती सिम्मी डिंगरा, गोल्ड प्लाजा, शॉप नं. 104, गुरुद्वारा रोड, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 इसके अलावा: श्रीमती सिम्मी ढींगरा, बी –32, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली –110092 2) श्री ध्रुव ढींगरा, बी –32, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली –110092 3) श्रीमती बीना ढींगरा बी –32, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली –110092	6.	एलजीएफ+जीएफ+तीन मंजिला इमारत में एलजीएफ पर वाणिज्यिक स्थान, जिसमें 118.72 वर्ग फीट का आवृत प्रवेश है। भाग असर प्राइवेट नंबर एलजीएफ –14, संपत्ति नंबर 2529–2531, गली नंबर 6–7, करोल बाग, नई दिल्ली – 05	रु 2.23 लाख	रु 22.26 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) –रु. 1,06,61,168.79 (रुपए एक करोड़ छह लाख इकसठ हजार एक सौ अड़सठ और उन्यासी पैसे मात्र) तथा 22.12.2016 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 22.12.2016 से उस पर आगे का ब्याज।

6.	1) मैसर्स बीनास जेम्स इंटरनेशनल गोल्ड प्लाजा शॉप नं. 104, पहली मंजिल गुरुद्वारा रोड नाईवाला करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 इसके अलावा: ए–117, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, दिल्ली– 110092 2) श्रीमती बीना ढींगरा यूनिट नं. एस –3, दूसरी मंजिल, क्रॉस रिवर मॉल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट शाहदरा, दिल्ली – 110092 इसके अलावा: बी –32, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग दिल्ली –110092 3) श्री ध्रुव ढींगरा बी –32, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, दिल्ली – 110092	7.	सुपर एरिया मापक्षेत्र 382.48 वर्ग फीट में 2बी, जीएफ+3 मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर वाणिज्यिक स्थान। शॉप नंबर सी –3, एसएफ, क्रॉस रिवर मॉल, कमर्शियल प्लॉट नंबर 9–बी – 9–सी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, शाहदरा, दिल्ली – 110092 जोकि श्रीमती बीना ढींगरा पत्नी श्री सुभाष ढींगरा के नाम पर है।	रु 2.41 लाख	रु 24.10 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार
		8.	मापक्षेत्र 178.50 वर्ग फीट में बी+जी+3 मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर वाणिज्यिक स्थान, प्राइवेट नंबर 104, पहली मंजिल, असर सं. 2058/39, गली नंबर 38 एवं 39 करोल बाग, नई दिल्ली –05 जोकि श्री ध्रुव ढींगरा पुत्र श्री सुभाष ढींगरा के नाम पर है।	रु 5.06 लाख	रु 50.62 लाख
				(सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) –रु 4,99,49,140.57/ – (रुपए चार करोड़ निन्यानवे लाख उन्नचास हजार एक सौ चालीस और सत्तावन पैसे मात्र) तथा 18.10.2016 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 18.10.2016 से उस पर आगे का ब्याज।

7.	1) मेसर्स स्पेक्टुमफॉएब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बी –1, मसूदपुर, वसंत कुंज, दिल्ली – 110070 2) श्री अनुज यादव, 4, दुर्गा विहार, बल्लीवाला चौक, देहरादून – 248001 3) श्री अनुराग गुप्ता 18, संगम विहार, जीएमएस रोड, देहरादून उत्तराखंड – 248002 4) श्री धीरज शर्मा मानव केंद्र देहरादून –248002 5) श्री सैयद नसीम अब्बास फ्लैट नं. 1103, ब्लॉक बी 2, लोटस पॉन्ड 2 ए वैभव खंड इंदिरापुरम गाजियाबाद	9.	संपत्ति 394.20 वर्गमीटर के भूखंड पर निर्मित अर्ध–सुसज्जित स्थिति में जी + 2 मंजिला में एक आवासीय इमारत है। संपत्ति मकान नंबर 48, ब्लॉक–ई, सेक्टर 55, नोएडा, जिला – गौतम बुद्धनगर, यू.पी. जोकि श्री सैयद नदीम अब्बास पुत्र श्री सैयद सरकार के नाम पर है।	रु 25.20 लाख	रु 252.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 4,20,59,353/– (रुपए चार करोड़ बीस लाख उनसठ हजार तीन सौ तिरेपन मात्र) तथा 22.04.2014 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 22.04.2014 से उस पर आगे का ब्याज।

शाखा कार्यालय: (लॉट नंबर 01 से 09 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसेट रिकवरी शाखा, करोल बाग, नई दिल्ली फोन – 011–28753728य ईमेल: bomb1933@mahabank.co.in; brmgr1933@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी– श्री राजेश गुप्ता फोन: 9818753710

8.	1) मैसर्स एस के प्रिसिजन इंजी. कंपनी उधारकर्ता प्रोपराइटर श्री नीरज बाजपई– प्लॉट नंबर ई–51–52, संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, फरीदाबाद –121005 2) श्री नीरज बाजपई – मकान नंबर ई –89 डबुआ कॉलोनी, बिजली शिकायत केंद्र के पास, एनआईटी फरीदाबाद 3) श्रीमती उषा बाजपई (गारंटर) – मकान नंबर ई –89 डबुआ कॉलोनी, बिजली शिकायत केंद्र के पास, एनआईटी फरीदाबाद	10.	प्लॉट नंबर ई –51 और 52, गली नंबर 28, वका मौजा गौची, संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद के पास श्री श्रीकांत बाजपेई के स्वामित्व में 326 वर्ग गज है।	रु 7.35 लाख	रु 73.50 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 1,98,07,523 /– (रुपए एक करोड़ अठानवे लाख सात हजार पांच सौ तेईस मात्र) तथा 04.07.2016 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 04.07.2016 से उस पर आगे का ब्याज।

9.	1) मैसर्स शनि इंटरनेशनल उधारकर्ता प्रोपराइटर श्री नीरज वाजपेयी पुत्र श्री श्रीकांत वाजपेयी मकान नंबर 889, डबुआ कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद–121001 2) श्री नीरज वाजपेयी पुत्र श्री श्रीकांत वाजपेयी गारंटर प्लॉट नंबर 122–123, खसरा नंबर 44/3/2,4,5 संजय कॉलोनी फरीदाबाद–121001	11.	इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर 122–123, गली नंबर 28, सेक्टर 23, संजय कॉलोनी तहसील बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। संपत्ति 235 वर्ग गज में एक आवासीय भूखंड पर निर्मित जमीन प्लस मेजेनाइन प्लस आधा मंजिला इमारत में एक इंडस्ट्रियल इकाई है जोकि नीरज भारद्वाज के नाम पर है।	रु 7.00 लाख	रु 70.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 1,61,59,821 /– (रुपए एक करोड़ इक्सठ लाख उन्नहत्तर हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) तथा 04.07.2016 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 04.07.2016 से उस पर आगे का ब्याज।

10.	1) श्री अंकित भांबरी (प्रोपराइटर) मैसर्स अंकित एंटरप्राइजेज – मकान नंबर 1419, सेक्टर 16, फरीदाबाद–121001 इसके अलावा: गांव बादशाहपुर, फरीदाबाद (उधारकर्ता) 2) श्री राजेश भांबरी मकान नंबर 1419, सेक्टर 16 फरीदाबाद (गारंटर) 3) श्रीमती दीपिका मलिक (निदेशक) मैसर्स संत पाइप्स (प्रा.) लिमिटेड मकान नंबर 223, अवतार एन्क्लेव, पश्चिम विहार, दिल्ली –110063 (गारंटर) 4) श्री सुदर्शन मलिक (निदेशक) मैसर्स संत पाइप्स (प्रा.) लिमिटेड मकान नंबर 223, अवतार एन्क्लेव, पश्चिम विहार, दिल्ली –110063 (गारंटर)	12.	यह संपत्ति हुडा द्वारा आवंटित 5118 वर्ग गज के एक फ्रीहोल्ड खाली औद्योगिक भूखंड की है। प्लाट नंबर 05, इंडस्ट्रियल इस्टेट, हथीन, जिला पलवल, हरियाणा मैसर्स संत पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, इसके निदेशक श्री राजेश भांबरी पुत्र श्री आरसी भांबरी के माध्यम से है	रु 9.60 लाख	रु 96.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 2,06,83,572/ – (रुपए दो करोड़ छः लाख तिरासी हजार पाँच सौ बहत्तर मात्र) तथा 03.06.2016 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 03.06.2016 से उस पर आगे का ब्याज।

शाखा कार्यालय: (लॉट नंबर 10 से 12 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फरीदाबाद शाखा, हरियाणा फोन – 0129–4020575 ईमेल – bomb365@mahabank.co.in, प्राधिकृत अधिकारी – श्री डी. वी. खट्टर – 09968316731

11.	श्रीमती प्रियंका शुक्ला पत्नी स्वर्गीय कुशाल कुमार शुक्ला – फ्लैट नंबर 7, तीसरी मंजिल, बैक साइड प्लॉट नंबर 215 और 216, डी ब्लॉक, महेंद्र एन्क्लेव, खसरा नंबर 2036, ग्राम राजापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	13.	फ्लैट नंबर 7, तीसरी मंजिल, बैक साइड प्लॉट नंबर 215 और 216, डी ब्लॉक, महेंद्र एन्क्लेव, खसरा नंबर 2036, ग्राम राजापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	रु 1.50 लाख	रु 15.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 14,02,000 / – (रुपए चौदह लाख दो हजार केवल) तथा 25.04.2017 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 25.04.2017 से उस पर आगे का ब्याज।

शाखा कार्यालय: (लॉट नंबर 13 के लिए) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंदिरापुरम शाखा, फोन – 0120–2605474 ईमेल – bomb1332@mahabank.co.in, प्राधिकृत अधिकारी – श्री दर्शन सिंह – 09561400726

12.	1) मैसर्स शर्मा कल्पसो प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) 16–सी, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057 2) श्री रमेश शर्मा पता 19 पूर्वी मार्ग वसंत कुंज, नई दिल्ली– 110057 3) श्रीमती उषा शर्मा पता 19 पूर्वी मार्ग वसंत कुंज, नई दिल्ली–110057 4) श्रीमती रक्षा शर्मा पता 19 पूर्वी मार्ग वसंत कुंज, नई दिल्ली–110057 5) श्री मेहर चंद अग्निहोत्री, 16–सी, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057	14.	संपत्ति असर प्लॉट नंबर 40, खसरा नंबर 31/7, ब्लॉक–डी, ग्राम सैफीपुर रनहौला, मीरा एन्क्लेव, नांगलोई, दिल्ली –110041	रु 31.50 लाख	रु 315.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 42,29,00,000 / – (रुपए बयालीस करोड़ उन्नतीस लाख केवल) तथा 17.02.2018 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 17.02.2018 से उस पर आगे का ब्याज।

13.	1. मैसर्स शुभम स्टार्च केमिकल प्राइवेट लिमिटेड 59/17, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 इसके अलावा: 287–सी, एचएसआईडीसी, सेक्टर– 59, फरीदाबाद, हरियाणा 2. श्री आनंद अग्रवाल (गारंटर) 414, सेक्टर 8, फरीदाबाद, हरियाणा 121006 3. श्रीमती नीता अग्रवाल (गारंटर) 414, सेक्टर 8, फरीदाबाद, हरियाणा 121006 4. श्री आकाश अग्रवाल 414, सेक्टर 8, फरीदाबाद, हरियाणा 121006 5. श्री राकेश कुमार गुप्ता, मकान नं. 213, सेक्टर –7 ए, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद 6. मैसर्स आकाश इंटरनेशनल (एचयूएफ) 414, सेक्टर –8, फरीदाबाद, हरियाणा –121006 7. मैसर्स तिरुपति इंडस्ट्रियल केमिकल प्राइवेट लिमिटेड 287–सी, एचएसआईडीसी, सेक्टर –59, फरीदाबाद, हरियाणा 8. मैसर्स कार्तिक इंडस्ट्रीज 414, सेक्टर 8, फरीदाबाद, हरियाणा	15.	डेढ़ मंजिला के रूप में निर्मित आवासीय भवन प्लॉट नं 414, सेक्टर –8, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा में मापक्षेत्र 258.33 वर्ग गज जोकि श्री आनंद अग्रवाल पुत्र श्री एम के अग्रवाल के नाम पर है।	रु 13.14 लाख	रु 131.40 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार
		16.	डेढ़ मंजिला निर्माण के रूप में निर्मित औद्योगिक इकाई, कार्नर प्लाट नंबर 287– सी, एचएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेक्टर –59, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में मापक्षेत्र 564 वर्ग गज जोकि मैसर्स शुभम स्टार्च केम (प्राइवेट) लिमिटेड के नाम पर है।	रु 16.00 लाख	रु 160.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु. 10,28,65,900 / – (रुपए दस करोड़ अठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ मात्र) तथा 04.07.2014 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 04.07.2014 से उस पर आगे का ब्याज।

लॉट नंबर 14 से 16 के लिए शाखा कार्यालय: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तनाव परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा, फोन: 011–23389879, ई–मेल: bomb1456@mahabank.co.in; Recovery_del@mahabank.co.in प्राधिकृत अधिकारी – श्री राधेश्याम बंसल, मोबाइल नं. 9650566766

14.	1) मैसर्स एस वी एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्री विजेंद्र अलावत पुत्र श्री सतपाल अहलावत, प्लॉट नंबर 253, सेक्टर – 6, आईएमटी मानेसर गुडगाँव 2) मैसेस टीएसएस एक्सपोर्ट्स प्रोपराइटर श्रीमती अंजू खन्ना पत्नी श्री पी एन खन्ना, डी –45, नारायणा विहार, नई दिल्ली –110028 3) श्री विजेंद्र अलावत सी–202, चित्रकूट अपार्टमेंट सेक्टर– 22, द्वारका नई दिल्ली	17.	ए) यह संपत्ति एक खुली भूमि है, जिसमें प्लॉट नंबर एफ– 835, गारमेंट जोन, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, गांव पैथ्रेडी, भिवाड़ी, राजस्थान, मापक्षेत्र 2000 वर्गमीटर है जोकि मैसर्स टीएसएस एक्सपोर्ट्स के नाम पर है।	रु 4.40 लाख	रु 44.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार
		18.	ए) यह संपत्ति एक खुली भूमि है, जिसमें प्लॉट नंबर एफ– 836, गारमेंट जोन, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, गांव पैथ्रेडी, भिवाड़ी, राजस्थान, मापक्षेत्र 2000 वर्गमीटर है जोकि मैसर्स टीएसएस एक्सपोर्ट्स के नाम पर है।	रु 4.40 लाख	रु 44.00 लाख
				(सम्पत्ति हमारे वास्तविक कब्जे में है)	
				ई–नीलामी की तिथि	20.06.2019
				इस तिथि को ई–नीलामी का समय	सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार

बकाया राशि (रुपये में) – रु 10,82,95,481/ – (रुपए दस करोड़ बयासी लाख पन्चानवे हजार चार सौ इक्यासी मात्र) तथा 21.02.2014 के बाद वसूली यदि कोई हो को घटाकर 20.02.2014 से उस पर आगे का ब्याज।

लॉट नंबर 17 और 18 के लिए शाखा कार्यालय: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सुशांत लोक शाखा, फोन –0124–4047136, 4047137, 2573714, 2386201, ई–मेल: bomb1295@mahabank.co.in; recovery_del@mahabank.co.in, प्राधिकृत अधिकारी – श्री एस.एन.अलुवाला फोन – 9110782620

यह बिक्री पूरी तरह से निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन तथा "जैसा है जहाँ है आधार" तथा "जो भी वहाँ है आधार" पर आयोजित होगी।

1. नीलामी / बिक्री / बोली वेबसाईट https://bom.auctiontiger.net के माध्यम से ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया में होगी।
2. क) इच्छुक बोलीदाता को पोर्टल https://bom.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा मै. ई–प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (ईटीएल) से निःशुल्क यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जिसके बाद उन्हें ऑन लाईन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
   ख) लॉट नं. 1 एवं 2 में संपत्तियों के लिए बोलीदाता द्वारा ईएमडी राशि के साथ केवाईसी दस्तावेज सहित ऑफ लाइन की अंतिम तिथि 09.07.2019 के 3:00 बजे अप. तक है। व लॉट नं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

महात्मा गांधी पर विवादित ट्वीट करने वाली आइएएस अधिकारी का तबादला

मुंबई, 3 जून (भाषा)।

अपने ट्वीट में दुनिया भर से महात्मा गांधी की प्रतिमाएं और भारतीय नोटों से उनके चित्र हटाने का आह्वान करने और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को धन्यवाद देने वाली महाराष्ट्र की आइएएस अधिकारी निधि चौधरी का तबादला कर दिया गया है। यह जानकारी सोमवार को यहां एक अधिकारी ने दी।

मुंबई नगर निगम से चौधरी का तबादला मंत्रालय में जल आपूर्ति विभाग में हुआ है। अधिकारी ने बताया कि 'व्यंगपूर्ण' ट्वीट पर महाराष्ट्र सरकार ने नौकरशाह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। चौधरी के खिलाफ कार्रवाई राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की मांग पर हुई जिन्होंने रविवार को गांधी के खिलाफ विवादित ट्वीट के सिलसिले में आइएएस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में पवार ने कहा- अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो माना जाएगा कि इसकी नीतियां और मंशा निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। मुंबई के उप-निगमायुक्त चौधरी ने दुनिया भर से महात्मा गांधी की प्रतिमाएं और भारतीय नोटों से उनके चित्र हटाने का आह्वान किया था और 30 जनवरी 1948 के लिए महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को धन्यवाद दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में कहा

मेहुल चोकसी भगोड़ा और फरार

हलफनामे में चोकसी की दो याचिकाओं को खारिज करने की मांग की

मुंबई, 3 जून (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बंबई हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी 'भगोड़ा और फरार' है।

ईडी ने अपने हलफनामे में चोकसी की दो याचिकाओं को खारिज करने की मांग की जिनमें एक उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की अर्जी के खिलाफ है और दूसरी उसे उन लोगों से जिरह करने की अनुमति देने के लिए है, जिनके बयानों को आधार बनाकर ईडी उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करवाने की कोशिश कर रही है।

ईडी ने न्यायमूर्ति आइए मोहंती की अध्यक्षता वाले खंडपीठ को सोमवार को दिए हलफनामे में कहा कि चोकसी पीएनबी घोटाले में 6097 करोड़ रुपए के गबन और धन शोधन का आरोपी है और एजंसी के समक्ष पेश होने के लिए सम्मन भेजे जाने के बावजूद उसने कहा है कि वह जांच में सहयोग नहीं करना चाहता।

हलफनामे में कहा गया, 'वह भगोड़ा और फरार है। वह जानबूझकर और इरादतन जांच एजंसी के समक्ष पेश होने से बच रहा है जबकि एक विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह दर्शाता है कि उसके मन में देश के कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है।' एजंसी ने कहा कि चोकसी एंटिगुआ की नागरिकता ले चुका है, जो स्पष्ट दिखाता है कि उसका जांच में सहयोग के लिए भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।

ईडी ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत यदि कोई भगोड़ा खुद अदालत में पेश होता है, तो कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। हालांकि, अगर व्यक्ति पेश नहीं हुआ तो अदालत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकती है और उसकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है।

हलफनामे में कहा गया, 'कानून का एकमात्र उद्देश्य भगोड़े अपराधी को भारत लौटने के लिए तथा उसे कार्यवाही का सामना करने के लिए बाध्य करना है।' हाई कोर्ट मंगलवार को याचिकाओं पर विचार करेगा। चोकसी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह सेहत संबंधी दिक्कतों के कारण भारत लौटने में असमर्थ है। इस पर ईडी ने कहा कि यह केवल बहाना है और चोकसी भारत में अपना इलाज करा सकता है।

मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा को पेशी से छूट नहीं

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

भोपाल की नवनिर्वाचित सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में सोमवार को यहां की एक विशेष अदालत में पेश होने से छूट नहीं मिल पाई। प्रज्ञा इस मामले में आरोपी हैं। राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) के विशेष न्यायाधीश वीएस पडालकर ने अदालत में पेश होने से छूट के लिए दिए गए प्रज्ञा के आवेदन को ठुकरा दिया। आवेदन में प्रज्ञा ने कहा था कि उन्हें संसद से जुड़ी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। लेकिन पडालकर ने उनका आवेदन अस्वीकृत करते हुए कहा कि मामले में फिलहाल जो स्थिति है, उसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है।अदालत ने प्रज्ञा को इस सप्ताह पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि छूट के लिए आवेदन में बताए गए, चुनाव प्रक्रिया पूरी करने संबंधी, नामांकन और अन्य कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत के अनुसार, आरोपी (प्रज्ञा) ने अदालत में मौजूद रहने की बात कही लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहीं। अदालत ने कहा कि शुरू में पेश होने से छूट दी गई थी। अब अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूत पुख्ता करने की खातिर गवाहों को बुला रहा है। इसलिए आरोपी की मौजूदगी आवश्यक है। अदालत ने कहा कि अतीत के कई आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करने की जरूरत पर जोर दिया है जिनमें राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं।

एम एस टी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) MSTC LIMITED (A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)
जीवन विकास बिल्डिंग, 30/31 ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोन : 23214201, 23213945, फैक्स : 23216713
ई-नीलामी प्रोग्राम
एमएसटीसी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की ओर से लीज के आधार पर प्लॉट सं. 136-A में भवन तथा खड़े ढांचे के लिए 26.06.2019 को ई-नीलामी आयोजित करेगा। जानकारी के लिए कृपया श्री सौरभ कुमार (एमएसटीसी). टेली. नं. 9811146516, श्री आर. पी. वर्मा (एनएसईजेड) टेली. नं. 0120-2567270 पर संपर्क करें।
विस्तृत जानकारी www.mstcecommerce.com एवं www.mstcindia.co.in

विक्रय सूचना
जे.वी. स्ट्रिप्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 1बी1, दिवन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, 8वीं मंजिल, किंग्स मॉल, सेक्टर-10, रोहिणी, दिल्ली
परिसमापक : देबाशीष नंदा
परिसमापक का पता : एस-7, मनीष प्लाजा, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
ई-मेल आईडी : liquidatorjvstrips@gmail.com; dnanda.cma@gmail.com | सम्पर्क नं. : (0120) 4333860
मोबाइल नं. : +91-9711813299 (श्री रवि चौधरी)

ई-नीलामी
ऋण शोधन तथा दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसम्पत्तियों का विक्रय
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 5 जुलाई, 2019 को 03:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक भा.मा.स.
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-कोर्ट-II, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा निर्मित परिसमापन सम्पत्ति का भाग निर्मित करने वाले जे.वी. स्ट्रिप्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का विक्रय। विक्रय अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी कम्पनी लिंकस्टार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से प्लेटफॉर्म : https://www.eauctions.co.in पर सम्पन्न की जायेगी।

परिसम्पत्ति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ज.ध.रा. की राशि
भूमि तथा भवन औद्योगिक प्लॉट जिसकी माप 18936 वर्ग गज तथा कुल बिल्ट-अप अरिया 5916.5 वर्ग मीटर, हस्तान्तरण विलेख सं. 1989 तथा 1900 दिनांक 20.10.1995 के माध्यम से ग्राम रोहद, 44 किमी दिल्ली-रोहतक राजमार्ग, जिला झज्जर, हरियाणा में पंजीकृत।	ब्लॉक-1	रु. 8,01,43,282	रु. 80,14,328
संयन्त्र तथा मशीनरी ग्राम रोहद, 44 किमी दिल्ली-रोहतक राजमार्ग, जिला झज्जर, हरियाणा पर फैक्ट्री में संस्थापित।	ब्लॉक-2	रु. 1,77,49,672	रु. 17,74,672

ई-नीलामी के नियम एवं एवं शर्तें निम्नवत हैं :
1. ई-नीलामी 'जहाँ है जैसे है', 'जो भी वहाँ है आधार' पर संचालित तथा अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स लिंकस्टार इंफोसिस प्रा.लि. के माध्यम से किया जायेगा।
2. विक्रय सूचना सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के साथ पढ़ा जायेगा जिसमें परिसम्पत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं शपथ-पत्र, ई-निविदा विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें शामिल होंगी और वेबसाइट https://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध हैं। सम्पर्क : श्री दीप्ति प्रजापति 7874138237 ई-मेल आईडी : admin@eauctions.co.in
3. इच्छुक संविदाकार अपनी संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के स्वामित्व, स्थानीय बकाया कर, बिजली तथा पानी के प्रभार, रखरखाव प्रभार, यदि कोई हो, से सम्बद्ध जानकारी अपनी स्वतन्त्र पूछताछ के माध्यम से अपने निजी व्यय पर कर लें और स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। उपर्युक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण सम्भावित संविदाकार द्वारा पहले श्री रवि चौधरी से +91 9711813299 पर सम्पर्क करके समय निर्धारित करके किया जा सकता है।
4. इच्छुक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.) या तो एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से "जे.वी. स्ट्रिप्स लिमिटेड लिक्विडेशन", खाता सं. 0107633000013280, यस बैंक, शाखा : शाकरपुर, नई दिल्ली, आईएफएससी कोड : YESB0000107 के माध्यम से अथवा किसी अनुसूचित बैंक से आहरित डीडी जे.वी.स्ट्रिप्स लिमिटेड लिक्विडेशन के नाम से अथवा ज.ध.रा. की धनराशि बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करनी होगी।
5. इच्छुक संविदाकारों को अग्रलिखित की स्व-प्रमाणित प्रति (1) पहचान का प्रमाण, (2) वर्तमान पते का प्रमाण, (3) पैन कार्ड, (4) वैध ई-मेल आईडी, (5) लैण्डलाइन या मोबाइल नम्बर, (6) शपथ-पत्र या घोषणा-पत्र, (7) संविदा आवेदन प्रपत्र, (8) संविदाकार की घोषणा सहित ज.ध.रा. जमा अथवा बैंक गारंटी तथा ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन परिशिष्टियों के प्रारूप सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिए जा सकते हैं। ये दस्तावेज 10 जून, 2019 को 05:00 बजे अपराह्न तक या इससे पूर्व निम्नलिखित पते पर परिसमापक के कार्यालय पर भौतिक रूप से अथवा ई-मेल द्वारा पहुँच जाने चाहिए।
6. पात्र संविदाकारों के नाम पोर्टल https://www.eauctions.co.in पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए परिसमापक द्वारा विहित किये जायेंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता पात्र संविदाकारों को ई-मेल के माध्यम से यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करायेगा।
7. ई-नीलामी में भाग लेने वाले पात्र संविदाकारों को कम से कम आरक्षित मूल्य पर संविदा करनी होगी और ब्लॉक 1 हेतु क्रमिक रूप से न्यूनतम रु. 5 लाख, ब्लॉक 2 हेतु 2.5 लाख अथवा इन राशियों के गुणकों में संविदा की वृद्धि करनी होगी।
8. यदि ई-नीलामी के बन्द होने के समय अन्तिम 5 मिनट में संविदा प्रस्तुत कर दी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही असीमित विस्तार के साथ 5 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। जो संविदाकार ई-नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम संविदा राशि (आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं) जमा करेंगे उन्हें सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा और इस प्रभाव से ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक सम्पर्क निर्गत किया जायेगा जो परिसमापक के अनुमोदन की शर्त पर होगा।
9. सफल संविदाकार की ज.ध.रा. विक्रय विचारार्थ के अंग के रूप में रख ली जायेगी और असफल संविदाकारों की ज.ध.रा. वापस लौटा दी जायेगी। ज.ध.रा. पर कोई ब्याज नहीं देय होगा। परिसमापक सफल संविदाकार को एक आशय-पत्र (एलओआई) निर्गत करेगा और सफल संविदाकार को शेष राशि (सफल संविदा राशि - ज.ध.रा.) परिसमापक के एलओआई निर्गमन के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सफल संविदाकार द्वारा एलओआई में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर शेष राशि जमा करने में असफल रहने पर सफल संविदाकार द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण राशि (ज.ध.रा. और कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जायेगी।
10. सफल संविदाकार को ई-नीलामी के लिए प्रयुक्त सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रयोज्य स्टैम्प शुल्क/अन्तरण प्रभार, शुल्क आदि तथा समस्त विधिक/गैर-विधिक शुल्क, कर, दरें, आकलन प्रभार, शुल्क आदि का वहन करना होगा।
11. सम्पूर्ण विक्रय विचार के भुगतान के उपरान्त केवल सफल संविदाकार के नाम से विक्रय प्रमाणपत्र/समझौता-पत्र जारी किया जायेगा और किसी अन्य नाम से नहीं जारी किया जायेगा।
12. परिसमापक को कोई या सभी संविदाएँ स्वीकार करने या निरस्त करने अथवा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी स्थगित करने/विलम्बित करने/निरस्त करने या ई-नीलामी से कोई सम्पत्ति या उसका भाग आहरित करने का पूर्ण अधिकार है।
13. विक्रय ऋणशोधन तथा दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों तथा उसके तहत विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

देबाशीष नंदा
परिसमापक
जे.वी. स्ट्रिप्स लिमिटेड
आईबीबीआई पंजी. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316
पता : S-7, मनीष प्लाजा, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
ई-मेल आईडी : liquidatorjvstrips@gmail.com, dnanda.cma@gmail.com
दिनांक : 4 जून, 2019
स्थान : नई दिल्ली

टीआरएस को विधान परिषद उपचुनाव में मिली जीत

हैदराबाद, 3 जून (भाषा)।

तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस ने नलगोंडा, वारंगल और रंगारेड्डी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचक मंडल के विधान परिषद उपचुनावों में जीत हासिल की है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टीआरएस के प्रत्याशी टी चिनप्पा रेड्डी (नलगोंडा), पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी (वारंगल) और पी महेंद्र रेड्डी (रंगारेड्डी) ने 31 मई को हुए उपचुनाव में कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंद्वियों को शिकस्त दी।

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
जेडओएसएआरबी, 9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली'110001, भारत
फोन: +91 11 23448840, 23448841, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com
सार्वजनिक सूचना
सदर्भः एनपीए खाता मेसर्स सूर्य लक्ष्मी ट्रेडर्स, शाखाः जेडओएसआरबी, नई दिल्ली
इरादतन चूककर्ता के फोटों का प्रकाशन
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है:
1. सूर्य लक्ष्मी ट्रेडर्स, पताः एच-4/12, कृष्णा नगर, विजय चौक के पास, दिल्ली-110051
2. श्रीमती ईशमा अरोड़ा : पताः एच-4/12, कृष्णा नगर, विजय चौक के पास, दिल्ली-110051
ईशमा अरोड़ा
बैंक ने उक्त व्यक्तियों को इरादतन चूककर्ता घोषित करने के निर्णय के बारे में सूचित करने के लिए उपयुक्त सूचना भेजी थी।
जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के आज्ञानुसार जनसाधारण की सूचना के लिए बैंक इरादतन चूककर्ता की फोटो प्रकाशित करता है।
दिनांकः 03.06.2019
स्थानः नई दिल्ली
हस्ता/-
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी, नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः आई. टी. पार्क (उस्मानपुर), दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)
जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.टी. पार्क (उस्मानपुर) दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 19/02/2019 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदारः श्री दीपक तिवारी, पुत्र श्री गणेश तिवारी, ए-77, गली नं.1, चमन विहार, परगना लोनी, गाज़ियाबाद, उ0प्र0-201102, को सूचना में उल्लिखित राशि रु.12,90,350/- (बारह लाख नब्बे हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 30.05.2019 को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.12,90,350/- (बारह लाख नब्बे हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.टी. पार्क (उस्मानपुर) दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
श्री दीपक तिवारी के नाम पर फ्लैट नं. एसएफ-1, दूसरा तल, छत के साथ अग्रभाग, एलआईजी प्लॉट नं. ए-113, ब्लॉक-ए, खसरा नं. 392-393 का भाग, एसएलएफ, वेद विहार, गांव सादुल्लाबाद, परगना-लोनी, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, यू.पी.-202201 के सभी भाग एवं हिस्से, सम्पत्ति का एरिया 400 वर्ग फीट (37.16 वर्ग मीटर) जो घिरा है:
उत्तरः प्लॉट नं. ए-100
दक्षिणः रोड 9 फीट चौड़ी
पूर्वः प्लॉट नं. ए-112
पश्चिमः प्लॉट नं. ए-114
स्थानः दिल्ली
तिथिः 30.05.2019
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और
ऑप्टिमम डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U45400DL2008PTC172437)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ऑप्टिमम डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड C/O रामदेव शर्मा, 26/43, गली नं. 12, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 08 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करे या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय मे ऑप्टिमम डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड C/O रामदेव शर्मा, 26/43, गली नं. 12, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे।
कृते ऑप्टिमम डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड
दिनांकः 03 जून, 2019
स्थानः दिल्ली
विष्णु दत्त शर्मा (निदेशक)
डीआईएनः 01881122

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और
एक्सजकता मेकानिका लिमिटेड
(CIN: U29263DL2002PLC118001)
जिसका पंजीकृत कार्यालय :
769/777, देश बंधू गुप्ता रोड़, करोल बाग, दिल्ली-110005 में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 06 मई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "गुजरात राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करे या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय मे 769/777, देश बंधू गुप्ता रोड़, करोल बाग, दिल्ली-110005 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे।
कृते एक्सजकता मेकानिका लिमिटेड
दिनांकः 03 जून, 2019
स्थानः दिल्ली
मनसुखलाल विश्वम्भे पटेल (निदेशक)
डीआईएनः 02099290

लोकसभा अध्यक्ष पद की दौड़ में मेनका, राधामोहन, वीरेंद्र कुमार का नाम भी

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहा है और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधामोहन सिंह व वीरेंद्र कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को इस पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभावित उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम व एसएस अहलुवालिया के भी नाम शामिल हैं।

आठ बार सांसद बन चुकी मेनका गांधी भाजपा की सबसे अनुभवी लोकसभा सदस्य हैं और वह अध्यक्ष पद के लिए एक स्वाभाविक विकल्प हैं। सत्रहवीं लोकसभा में सबसे अनुभवी सांसद होने के कारण उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जा सकता है। राधामोहन सिंह भी छह बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और उन्हें भी अध्यक्ष पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सिंह की संगठन पर गहरी पकड़ है और उनकी छवि विनम्र व सबको साथ लेकर चलने वाले नेता की है।

सूत्रों ने कहा कि वीरेंद्र कुमार भी छह बार से सांसद हैं और उनकी दलित छवि उनके पक्ष में काम कर सकती है। अहलुवालिया पिछली सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे और विधायी मामलों में उनकी जानकारी के कारण वह विख्यात हैं। भाजपा नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि पार्टी नेतृत्व दक्षिण भारत से किसी नेता का चयन कर सबको हैरत में डाल सकता है।

सूत्रों ने बताया कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद बीजू जनता दल (बीजद) को इस बार दिया जा सकता है तथा कटक से सांसद भर्तृहरि महताब का नाम इस पद के लिए विचार किया जा रहा है। महताब को 2017 में सर्वोत्तम सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोलहवीं लोकसभा में उपाध्यक्ष पद पर अन्नाद्रमुक के एम थम्बी दुरै को आसीन किया गया था। सत्रहवीं लोकसभा की पहली बैठक 17 जून को होगी। अध्यक्ष पद के लिए 19 जून को चुनाव होगा। निचले सदन में भाजपा नीत राजग के पास करीब दो तिहाई बहुमत होने के कारण लोकसभा अध्यक्ष पद इसी के पास जाना तय है।

पूर्व सैनिक को विदेशी घोषित करने वाले दस्तावेजों की पुष्टि की थी

सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के खिलाफ तीन प्राथमिकियां दर्ज

रंगिया (असम), 3 जून (भाषा)।

असम में उस सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के खिलाफ तीन अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई है जिसने पूर्व सेना अधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह को विदेशी घोषित करने वाले दस्तावेजों की पुष्टि की थी और उनका बयान दर्ज किया था। पूर्व सैन्य अधिकारी को असम में एक हिरासत केंद्र में बंद करके रखा गया था। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तीन लोगों ने बोको पुलिस थाने में असम सीमा पुलिस के सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर चंद्रामल दास के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई।

इन तीन लोगों के नाम सनाउल्लाह के बयान में गवाह के तौर पर सामने आए थे। बोको पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी जोगेन बर्मन ने बताया कि मोहम्मद कुरान अली, सुवाहन अली और अजमल अली ने प्राथमिकियों में आरोप लगाया कि सनाउल्लाह के मामले की जांच कर रहे दास ने उन्हें गवाह के तौर पर किसी बयान या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए नहीं बुलाया था। बर्मन ने बताया कि पुलिस ने बर्मन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में तीन मामले में दर्ज किए।

राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सनाउल्लाह को विदेशी न्यायाधिकरण, कामरूप ने विदेशी घोषित किया था जिसके बाद उनका नाम संदेहात्मक मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद 2008 में एक मामला दर्ज किया गया। न्यायाधिकरण के फैसले के बाद सनाउल्लाह को गोलपाड़ा के एक हिरासत केंद्र में बंद कर दिया गया।

तीनों व्यक्तियों ने अपनी शिकायतों में यह भी कहा कि सनाउल्लाह असली भारतीय नागरिक हैं और उन्हें असम सीमा पुलिस ने प्रताड़ित किया जिसने उन्हें संदेहात्मक मतदाता घोषित करने के लिए साजिश रची। करगिल युद्ध के पूर्व सैन्य अधिकारी के परिवार के सदस्यों ने सनाउल्लाह को विदेशी घोषित करने की कथित साजिश को लेकर असम सीमा पुलिस और दास के खिलाफ गोहाटी हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने का फैसला किया है।

परिवार में आत्महत्या की 'रजामंदी' के बाद बेटे की हत्या

बंगलुरु, 3 जून (भाषा)।

कर्ज से त्रस्त एक व्यक्ति ने अपने 12 वर्षीय बेटे की कथित तौर पर यहां हत्या कर दी। संदेह है कि उसने परिवार के साथ आत्महत्या की रजामंदी के तहत यह कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि घटना का वीडियो उसकी बेटी ने बनाया। घटना के कुछ घंटे के अंदर ही लगभग 40 वर्ष उम्र के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पत्नी ने भी अपनी इहलीला समाप्त कर ली। वीडियो में दिख रहा है कि वह अपने घर में बेटे को पंखे से लटका रहा है।

पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों द्वारा कर्ज लौटाने का दबाव बनाने के बाद उसने अपनी पत्नी, 17 वर्षीय बेटी और बेटे के साथ जीवन खत्म करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति ने जब अपने बेटे को फंदे से लटका दिया तो उसके बाद उसकी पत्नी ने भी उसी तरह से आत्महत्या कर ली।

विहिप सम्मेलन में संतों ने कहा, राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे

फैजाबाद, 3 जून (भाषा)।

हिंदू संतों के एक समूह ने सोमवार को फैसला किया कि वे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 'हिंदुओं' ने उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए भारी बहुमत से फिर से चुना है। इस बैठक का आयोजन विश्व ह

सलेम-चेन्नई हरित गलियारा परियोजना : न्यायालय का आदेश पर रोक से इनकार

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने दस हजार करोड़ रूपए की सलेम-चेन्नई हरित गलियारा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया निरस्त करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर तमिलनाडु सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, 'हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं।' राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 31 मई को याचिका दायर की थी जिस पर शीर्ष अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी।

गोवा में रहने के लिए पोलिश महिला की प्रधानमंत्री से गुहार

पणजी, 3 जून (भाषा)।

एक पोलिश महिला ने अपनी 11 साल की बेटी का खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ट्वीट करके गोवा में रहने में मदद करने की गुहार लगाई है।

एलिक्जा वानात्को और उसकी मां मार्ता कोत्लार्स्का गोवा में रह रहे थे। एलिक्जा यहां के एक स्कूल में भी पढ़ती थी। पर उनके वीजा का नवीनीकरण न हो पाने की वजह वे भारत में और अधिक नहीं रूक सकती थीं। इसलिए उन्हें वापस भेज दिया गया था। वे दोनों इस समय कंबोडिया में हैं।

मार्ता ने ट्वीट करके लिखा, 'कृपया मदद करें नरेंद्र मोदी। मेरी पुत्री बहुत परेशान है और उसकी उम्र महज 11 साल की है।' मां ने बेटी का एक हस्तलिखित पत्र भी ट्वीट किया। मार्ता ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि उनकी बेटी के लिए 'भारत एक ऐसी जगह है जिसे वह घर कह सकती है।' एलिक्जा ने हाथ से लिखे इस पत्र में गोवा के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है।

एलिक्जा ने इस खत में लिखा, 'मुझे गोवा के अपने स्कूल से बहुत प्यार है, सुंदर प्रकृति और मुझे पशु बचाव केंद्र में स्वैच्छिक कार्य बहुत याद आ रहा है जहां मैं गायों की देखभाल करती थी। मेरी मां एक छोटी-सी यात्रा के बाद 24 मार्च, 2019 के बाद से भारत में प्रवेश नहीं कर सकी और मुझे बताया गया है कि तय समय सीमा से अधिक समय तक रुकने के कारण हमें काली सूची में डाल दिया गया है।'

उसने आगे लिखा कि वह अब मां के साथ है लेकिन उसे अपने बहुत ही प्यारे देश की याद आ रही है। उसे अकेलापन महसूस हो रहा है।

जुलूस में हथियार दिखाने पर विहिप कार्यकर्ता पर मामला दर्ज

पुणे, 3 जून (भाषा)।

पिंपरी-चिंचवड इलाके के निगडी में रविवार को एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एयरगन और तलवारें दिखाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के करीब 250 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि जिन लोगों के खिलाफ शस्त्र कानून की संबंधित धाराओं और बॉम्बे पुलिस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनमें विहिप के स्थानीय अध्यक्ष शरद इनामदार, जिला अध्यक्ष धनजी शिंदे शामिल हैं।

निगडी थाना के अधिकारी ने सूचना दी है, 'पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद रविवार की शाम को यमुनानगर इलाके में संगठन ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं शामिल हुईं। हमने चार लड़कियों के हाथों में एयर राइफल और पांच लड़कियों को तलवारें लहराते हुए देखा।'

उन्होंने बताया, 'हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए निगडी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। हमें यह पता लगाना है कि जुलूस के दौरान किस तरह की एयर राइफलें प्रदर्शित की गईं। जब उनका ट्रिगर दबाया जाता था, तो तेज आवाज होती थी।' अधिकारी ने बताया कि विहिप का जुलूस बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत 21 मई से 3 जून तक प्रभावी पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त क्षेत्र के लिए जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन था। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

महिला ने ली नवजात की जान, बेटी के जन्म से थी परेशान

नाशिक, 3 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक महिला को अपनी 10 दिन की बच्ची पर धारधार हथियार से वार करने और गला दबाकर उसकी हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना नासिक के अदगांव के वृंदावन नगर इलाके में 31 मई को हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इस बात से परेशान थी कि उसने तीसरी बार बेटी को जन्म दिया है।

पुलवामा के सेना बैरक में आग लगी

श्रीनगर, 3 जून (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सेना की एक बैरक में सोमवार को आग लग गई।

आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग से हुए नुकसान का अब तक पता नहीं चल पाया है। आग के कारणों की जांच की जा रही है।

प्रपत्र सं. आइएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
स्पेशलकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ए-5/2, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली – 110007 में स्थित है
.....आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए बुधवार, 01 मई, 2019 को सुबह 11:30 बजे कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ए-5/2, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली – 110007 में आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संघम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर वी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपूर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
ए-5/2, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली – 110007 इंडिया

कृते एवं हित
स्पेशलकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
सोनिया विज
(निदेशक)
डीआईएन : 00906640
पता : पी-316, जलवायु विहार, सेक्टर-21, नोएडा यू.पी. – 201301

तिथि : 04.06.2019
स्थान : नई दिल्ली

रिलीफ बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
1, पटेल नगर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर-251001, उत्तर प्रदेश, इंडिया
CIN: U24232UP2005PTC030124
ईमेल : reliefatul.biotech@gmail.com

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में
और
रिलीफ बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1, पटेल नगर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर-251001, उत्तर प्रदेश, इंडिया में है, के मामले में
...आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी सोमवार, 25 मार्च, 2019 को सुबह 11:00 बजे आयोजित पंजीकृत कार्यालय 1, पटेल नगर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर-251001, उत्तर प्रदेश, इंडिया असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय वी-विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:
पंजीकृत कार्यालय : 1, पटेल नगर, नई मंडी, मुज़फ्फरनगर-251001, उत्तर प्रदेश, इंडिया

उनके के लिए या उसकी ओर से
रिलीफ बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
गौरव जैन
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 00370275

तिथि : 04.06.2019
स्थान : मुजफ्फरनगर

ओरो औरा संगम इन्फ्राटेक लिमिटेड

कंपनी सूचना
क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष,
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामलें में तथा
ओरो औरा संगम इन्फ्राटेक लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 103, महावीर श्री हाउस, 4771/23, भारत राम रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 110007 में है के मामलें में
.....आवेदक

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत **30.04.2019** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरण से प्रभावित होता है तो वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार पर, एक शपत्र पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ, सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर अपने हित की प्रकृति और याचिका के प्रति अपने विरोध का आधार, बताते हुए, बैंच अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को सूचित करें, और इसकी एक प्रति मूलरूप में क्षेत्रीय निदेशक के साथ आवेदक कंपनी को भी उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में भेजें।

कृते **ओरो औरा संगम इन्फ्राटेक लिमिटेड**
स्थानः दिल्ली **हस्ता/-**
तिथिः 04.06.2019 **निदेशक**

जलापूर्ति प्रभाग, नागरिक अभियांत्रिक विभाग
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
कमरा सं. 231, शहीद भगत सिंह प्लेस, नई दिल्ली

ई-प्रापण निविदा सूचना

निविदा आईडी सं.: 2019_NDMC_173349_1
कार्य का नामः मरम्मत एवं रखरखाव-व्हीकल्स
उप शीर्षः जलापूर्ति नियंत्रण कक्ष में वाटर टैंकर्स (अशोक लैलैण्ड मैक) का तत्काल/आकस्मिक मरम्मत।
अनुमानित लागत : रु. 6,42,137.00
ई-प्रापण सॉल्यूशन में निविदा जारी की तिथिः 31.5.2019
ई-प्रापण सॉल्यूशन के द्वारा निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि/समयः 12.6.2019 के 3.00 बजे अप. तक
विस्तृत विवरण **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखें।
टिप्पणीः न दि न प में ई-निविदा में भाग लेने के लिये रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई-निविदा प्रणाली में पंजीकरण अनिवार्य है।

हस्ता./- कार्यपालक अभियंता (डब्ल्यू/एस)

राजधानी नगर के लिए ग्लोबल बेंचमार्क होगी

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

निविदा आमंत्रण सूचना

एमटीएनएल, नई दिल्ली की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:

1. सं. ईई(ई) केबीएन/सीई (ई)/एमटीएनएल/2019-20/07 एई (ई) पीआर, एमटीएनएल, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सबस्टेशनों पर स्थित एचटी ओसीबी/वीसीबी एवं ट्रांसफॉर्मरों के आवश्यक कार्य हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 37,52,239/-)।

2. सं. ईई(ई) केबीएन/सीई (ई)/एमटीएनएल/19-20/08 ईई (ई) केबीएन, एमटीएनएल, नई दिल्ली के अन्तर्गत विभिन्न आरएसयू बिल्डिंगों में स्थित 100 केवीए तक के डीईए सैट के आवश्यक कार्य हेतु ऑनलाईन मद दर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 29,96,400/-)।

3. सं. ईई(ईडब्ल्यू) एमटीएनएल/प्रैस/19-20/06 टी.ई. बिल्डिंग, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली स्थित उपकरण कक्ष के उन्नयन हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 58,19,964/-)।

4. सं. ईई(ईडब्ल्यू) एमटीएनएल/प्रैस/19-20/07 एई (ई) राजौरी गार्डन, एमटीएनएल, नई दिल्ली के अन्तर्गत एसी यूनिट के प्रावधान एवं संस्थापना हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 25,50,950/-)।

5. सं. 01/ईई(सी) दक्षिण/एमटीएनएल/एनआईटी/2019-20 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली स्थित टी.ई. बिल्डिंग के प्रशासनिक ब्लॉक के सामने व पीछे की ओर तथा तकनीकी ब्लॉक के आवश्यक स्थानों का स्ट्रक्चरल रिहैबिलिटेशन एवं मरम्मत हेतु ऑनलाईन मद दर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 28,54,389/-)।

अधिक जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट : **http://www.eprocure.gov.in/, http://www.etender.mtnl.net.in** एवं **http://tenders.gov.in** पर लॉग ऑन करें।

पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!

फार्म ए
सार्वजनिक उदघोषणा
(इन्सॉल्वैंसी एंड बैंकक्रप्सी (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया संकल्प प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के तहत)
"अनुश फिनलीज एण्ड कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड" के लेदारों के ध्यानार्थ
प्रासांगिक विवरण

1.	कारपोरेट देनदार का नाम	अनुश फिनलीज एण्ड कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट देनदार की निगमन की तिथि	28/01/1997
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कारपोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी पंजीयक, दिल्ली
4.	कारपोरेट देनदार की कारपोरेट पहवान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	CIN: U65910DL1997PTC084696
5.	कारपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	प्लॉट न०-11, सीबीडी सेन्टर, शाहदरा दिल्ली-110044
6.	कारपोरेट देनदार का दिवालियानप शुरू होने की तिथि	30/05/2019 (03/06/2019 को आदेश प्राप्त हुआ)
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया की बंद हाने की अनुमानित तिथि	26/11/2019
8.	दिवालियापन पेशेवर जो इन्टरिम रजूलोसन प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नाम : आशीष गुप्ता पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00 687/2017- 18/11164
9.	बोर्ड में पंजीकृत इन्टरिम रजूलोसन प्रोफेशनल का पता एवं ई-मेल	21/4852, गली न० 10, बलवीर नगर एक्सटेन्सन, शाहदरा, नई दिल्ली- 110032 ई-मेल: aashish_ca@rediffmail.com
10.	पत्राचार के लिए इन्टरिम रजूलोसन प्रोफेशनल का पता एवं ई-मेल	पताः टीआरसी कारपोरेट कन्सलटिंग प्राईवेट लिमिटेड, 359 उद्योग विहार, फेस -II, गुड़गाँव- 122015, हरियाणा मेलः cirp.anushfinlease@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17/06/2019
12.	इन्टरिम रजूलोसन प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 के क्लॉज (बी) की उप-धारा (6ए) के अंर्तगत लेनदारों की कक्षा, यदि कोई हों	लागू नहीं
13.	दिवालियापन पेशेवर का नाम जो लेनदारों की कक्षा में अधिकृत प्रतिनिधि के कार्य के लिए पहचाना जाता हो (प्रत्येक कक्षा में तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) प्रासांगिक प्रपत्र एवं (ख) अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण उपलब्ध हैं:	(क) Weblink:https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण : लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी लॉ अधिकरण ने दिनांक 30/05/2019 को अनुश फिनलीज एण्ड कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड के कारपोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है (इन्टरिम रजूलोसन प्रोफेशनल को 03/06/2019 को आदेश प्रापत हुआ)।

अनुश फिनलीज एण्ड कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा आह्वान किया जाता है कि वे अपने दावे प्रमाण के साथ इन्टरिम रजूलोसन प्रोफेशनल के क्र० सं० 10 पर अंकित पते पर 17/06/2019 अथवा पहले पहुँचा दें।

इन्सॉल्वैंसी एंड बैंकक्रप्सी (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 7, 8, 9, 9(2) एवं 9ए के मामले दावा में निर्धारित प्रपत्रों बी, सी, डी एवं एफ में परिचालन लेनदारों द्वारा (कामगार एवं कर्मचारियों को छोड़कर), वित्तीय लेनदार, कामगार अथवा कर्मचारियों, कामगार एवं कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधियों एवं लेनदारों (वित्तीय लेनदारों एवं परिचालन लेनदारों के अलावा) क्रमशः प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उपरोक्त वर्णित प्रपत्र इन्सॉल्वैंसी एंड बैंकक्रप्सी (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया संकल्प प्रक्रिया) विनियमन 2016 की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाणों के साथ केवल इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। सभी अन्य लेनदार दावों को प्रमाण के साथ व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक वित्तीय लेनदार एक कक्षा से संबद्ध, जैसा कि प्रवेश संख्या 12 के आगे (लागू नहीं), अपने अधिकृत प्रतिनिधि को प्रवेश संख्या 13 (लागू नहीं) से तीन सूचीबद्ध दिवालियापन पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि के कार्य हेतु कक्षा में सीए प्रपत्र पसंद का संकेत कर सकते हैं।

दावे के झूठे अथवा भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करना दंडनीय होंगे।

हस्ता०/-
आशीष गुप्ता
(इन्टरिम रजूलोसन प्रोफेशनल)

तिथि : 03/06/2019
स्थान :नई दिल्ली

DhanlaxmiBank established 1927

नं. 10185ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

देखें नियम 8 (6) का प्रावधान, अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका धनलक्ष्मी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है की, मै. नोएडा मेडिकेयर सेन्टर लि. तथा श्री नवीन चौधरी, श्रीमती अमीता चौधरी एवं मै. एनएमसी बायोफार्म प्रा.लि. (पूर्व में एनएमसी ओवरसीज लि. विदित) से धनलक्ष्मी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 19,41,12,458.29 (रुपये उन्नीस करोड़ इकतालिस लाख बारह हजार चार सौ अन्ठावन एवं पैसे उन्नतीस मात्र) की वसूली के लिये 28.06.2019 को "जैसा है जहां है", "जो भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 6,58,00,000/- (रुपये छः करोड़ अन्ठावन लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 65,80,000/- (रुपये पैंसठ लाख अस्सी हजार मात्र) होगी।

विवरण के साथ सम्पत्ति का पताः

मै. एनएमसी बायोफार्म प्रा.लि. के नाम में परिसर के भीतर पड़ी प्लान्ट एवं मशीनरी जो धनलक्ष्मी बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के पास चार्ज्ड नहीं है, को छोड़कर ग्राम धमोला, परगणा भँवर कोठा, तहसील कालाधुंगी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित भूमि की अचल सम्पत्ति माप- 7.5 एकड़ भूमि के साथ भवन जिसमें गार्ड रूम्स (एक तल), गेस्ट रूम पीछे (एक तल), मैन ब्लॉक बिल्डिंग फ्रान्ट (जीआर+2-आरसीसी स्लैब+3 तल-जीआई शेड), दूसरा तल रीअर (जीआ. तल-आरसीसी स्लैब+प्रथम तल-जीआई शेड) शामिल है जो खसरा नं. 465/1, 466, 467/1, 468, 492/2, 496/1, 497, 498, 499, 501, 502/1, 503, 504, 505, 521/2, 522, 523, 542 एवं 500 के अंतर्गत है।
चौहद्दीः पूर्व 20'-0" चौड़ी लिंक पिच रोड, पश्चिमः बग्गा राम की भूमि, उत्तरः शिव कुमार की भूमि, दक्षिणः हिमेक्स नैच्युरल्स प्रा.लि. की फैक्ट्री।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया धनलक्ष्मी बैंक की वेबसाईट अर्थात www.dhanbank.com में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 3.6.2019, स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, धनलक्ष्मी बैंक लि.**

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली,
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना
ओ.ए. नं. 219/2018 के मामले में

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **बनाम** **श्रीमती रेखा एवं अन्य**
आवेदक **प्रतिवादीगण**

डी-1	श्रीमती रेखा, पत्नी श्री अनिल
डी-2	श्री अनिल, पुत्र श्री दयानंद, दोनों निवासीः मकान सं. 1 एवं 2, III रा तल, पाकेट-2, सेक्टर-22, रोहिणी, दिल्ली-110085
डी-3	श्री दिनेश शर्मा, पुत्र श्री किरपाल शर्मा 22/2, गली नं. 12, इंडस्ट्रियल एरिया, आनंद पर्वत, दिल्ली-110015

जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि **5.7.2019 को 10.30 पूर्वा.** में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 14 मई, 2019 को दी गई।

मुहर

अधिकरण के आदेश से,
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

DFM FOODS LTD.
CIN: L15311DL1993PLC052624
पंजीकृत कार्यालयः 8377, रोशनआरा रोड, दिल्ली-110007
फोनः 011-23826445, फैक्सः 011-23822409
ईमेलः dfm@dfmgroup.in, वैबसाइटः www.dfmfoods.com

शेयरधारकों के लिए सूचना
(निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण में इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए)

यह सूचना, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा हस्तांतरण और वापसी) नियमावली, 2016 और इसके संशोधनों (नियम) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।
यह नियम, अन्य विषयों के साथ-साथ उन शेयरों, जिनके लाभांश का लगातार 7 वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है अथवा जिनके लिए कोई दावा नहीं किया गया है उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") प्राधिकरण में हस्तांतरण के लिए अधिकृत करता है।
तदनुसार नियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित कर दिया है जिनका लाभांश लगातार 7 वर्षों से अप्रदत्त या दावा रहित है। इस संदर्भ में कंपनी ने उन शेयरधारकों को जिनके शेयर उक्त नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित करने हेतु देय हैं, को उनके उपलब्ध अद्यतन पतों पर व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.dfmfoods.com पर उन शेयरधारकों का विवरण अपलोड किया है जिनके शेयर अभी आईईपीएफ प्रधिकरण को हस्तांतरित होने हैं। शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे आईईपीएफ के खाते में हस्तांतरित किए जाने के देय शेयरों का ब्यौरा सत्यापित करने हेतु वेबसाइट देखें।
जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2011-12 से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, वे 16 अगस्त, 2019 या उससे पूर्व जानकारी प्राप्त करके 2011-12 व आगामी वर्षों के लाभांशों के लिए दावे के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नोट करें कि यदि कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्टस को 16 अगस्त, 2019 तक संबद्ध शेयरधारकों द्वारा कोई सूचना नहीं दिए जाने पर नियमों के अनुरूप कंपनी द्वारा शेयरों का आईईपीएफ प्राधिकरण/आईईपीएफ खाते में बिना किसी सूचना के उक्त अधिसूचना में दर्ज निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा:
i) संबंधित शेयरधारक, फिजिकल रूप में शेयर धारण करने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दें कि नियमों के अनुसार कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर-परक्राम्य मान लिए जाएंगे।
ii) यदि शेयर डीमैट मोड में धारित किया गया है तो शेयरों का हस्तांतरण कॉरपोरेट एक्शन के तहत नियमों में वर्णित प्रक्रिया व तिथि के अनुरूप आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि सभी दावारहित लाभांश व संबद्ध शेयर जो आईईपीएफ एकाउन्ट में हस्तांतरित शेयरों तथा संबद्ध सभी लाभ, यदि हो, को आईईपीएफ के नियम के अनुसार दी गई प्रक्रिया के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त किया जा सकता है।
उपरोक्त मामलों के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए शेयरधारक कृपया कंपनी रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेन्टस, मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेन्ट लिमिटेड, एफ-65, पहला तल, औखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, ईमेलः admin@mcsregistrars.com व फोन नं. 011-41406149 पर संपर्क करें।

डीएफएम फूड्स लि.
ह./-
आर.एस. तोमर
कंपनी सचिव

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 1 जून, 2019

**POLYC

विश्व कप -2019

जनसत्ता
महासमर

4 जून, 2019 14

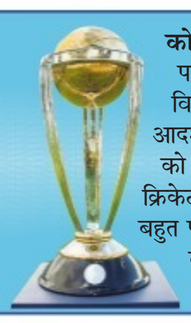

कोहली को पाकिस्तानी पंसद करते हैं : यूनिस

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस खान ने कहा है कि विराट कोहली उदीयमान पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए आदर्श हैं और वे भारतीय कप्तान की शैली और हाव भाव को अपनाना चाहते हैं। यूनिस ने इंडिया टुडे के 'सलाम क्रिकेट 2019 ' शो में कहा, विराट कोहली को पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं। आज कई पाकिस्तानी खिलाड़ी उनकी तरह बनना चाहते हैं। उनके जैसी फिटनेस और हाव भाव चाहते हैं।

रूट और बटलर के शतक बेकार गए, 14 रन से हारा इंग्लैंड

पाकिस्तान ने तोड़ा 11 मैच गंवाने का क्रम

- यह पहला अवसर है जब दो शतक लगने के बावजूद कोई टीम हार गई मैच
- मोहम्मद हफीज ने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए 84 रन बनाए व एक विकेट लिया

नाटिंघम, 3 जून (भाषा) ।

जो रूट और जोस बटलर के शतकों पर मोहम्मद हफीज का आलराउंड प्रदर्शन भारी पड़ गया जिससे पाकिस्तान ने खिताब के प्रबल दावेदार इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर वाले मैच में सोमवार को यहां 14 रन से हराकर आइसीसी विश्व कप में अच्छी वापसी की। पाकिस्तान ने इस जीत से लगातार 11 मैच गंवाने का क्रम भी तोड़ा। विश्व कप में यह पहला अवसर है जबकि दो शतक लगने के बावजूद कोई टीम मैच हार गई।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने पहले मैच में 105 रन पर आउट होने वाले पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर आठ विकेट पर 348 रन का विशाल स्कोर बनाया। इन दोनों टीमों के बीच हाल की एकदिवसीय श्रृंखला में बड़े लक्ष्य हासिल करने वाले इंग्लैंड की तरफ से जो रूट (104 गेंदों पर 107) और बटलर (76 गेंदों पर 103) ने शतक जमाए

जो रूट ने अपना 15वां वनडे शतक 97 गेंदों का सामना करते हुए पुरा किया। 104 गेंदों पर 107 बनाए जिसमें 10 चौके व एक छक्का शामिल है।

लेकिन तब भी उसकी टीम नौ विकेट पर 334 रन तक ही पहुंच पाई।

इससे पहले हफीज ने शुरू में जीवनदान मिलने के बाद 62 गेंदों पर आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। उनके अलावा बाबर आजम (66 गेंदों पर 63 रन) और कप्तान सरफराज अहमद (44 गेंदों पर 55 रन) ने भी अर्धशतक जमाए। पाकिस्तान की तरफ से 80 रन से अधिक की तीन साझेदारियां निभाई गईं।

हफीज ने बाद 43 रन देकर कप्तान इयोन मोर्गन का महत्त्वपूर्ण विकेट भी लिया। वहाब रियाज ने तीन विकेट लिए लेकिन इसके लिए उन्होंने 82 रन लुटाए। शादाब खान और मोहम्मद आमिर को दो-दो विकेट मिले।

इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और नौ ओवर के अंदर उसके दोनों सलामी बल्लेबाज जैसन रॉय (आठ) और जॉनी बेयरस्टॉ (32) पवेलियन में विराजमान थे। लेग स्पिनर शादाब खान से गेंदबाजी का आगाज करवाने का सरफराज का फैसला सही रहा। उन्होंने रॉय को पगबाधा आउट किया। इस बीच 3000 वनडे रन भी पूरे करने वाले रॉय ने इंग्लैंड का रिव्यू भी गंवाया। बेयरस्टॉ भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और वहाब रियाज की गेंद को थर्डमैन पर खेलने के प्रयास में विकेट के पीछे कैच दे बैठे। कप्तान इयोन मोर्गन (नौ) शुरू से दबाव में दिखे और हफीज की उछाल लेती गेंद पर बोल्ड हो गए। हफीज के साथ दूसरे छोर से एक अन्य आफ स्पिनर शोएब मलिक ने गेंद संभाली और इन दोनों ने बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। इसका लाभ मलिक को मिला जिन्होंने बेन स्टोक्स (13) को विकेट के पीछे कैच कराया। जब स्कोर चार विकेट पर 118 रन था तब रूट और बटलर ने जिम्मेदारी संभाली तथा पांचवें विकेट के लिए 130 रन जोड़े। इंग्लैंड को अंतिम 20 ओवरों में 166 रन की दरकार थी और पाकिस्तान के लिए यह साझेदारी सरदर्द बन चुकी थी। रूट अपने 15वें वनडे शतक तक 97 गेंदों का सामना करके पहुंचे, लेकिन इसके तुरंत बाद शादाब की अपेक्षाकृत तेज गेंद पर वह आसान कैच दे बैठे। बटलर ने मोहम्मद आमिर पर चौका लगाकर वनडे में अपना नौवां शतक पूरा किया, लेकिन वह भी रूट की राह पर चले। आमिर की आफकटर पर उन्होंने शार्ट थर्डमैन पर कैच दे दिया। उस समय इंग्लैंड को 33 गेंदों पर 61 रन की जरूरत थी। रूट ने दस चौके और एक छक्का जबकि बटलर ने नौ चौके और एक छक्का लगाया। रियाज ने मोईन अली (19) और क्रिस वोक्स (21) को लगातार गेंदों पर आउट करके इंग्लैंड की रही सही उम्मीद भी समाप्त कर दी।

चोकर्स का ठप्पा 'शेक्सपियर की त्रासदी' की तरह

साउथम्पटन, 3 जून (भाषा) ।

तेज गेंदबाज कागिसो रबादा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के साथ 'चोकर्स' का ठप्पा महान लेखक शेक्सपियर की त्रासदी की तरह है लेकिन मौजूदा विश्व कप टीम के लिए अलग है क्योंकि युवा खिलाड़ी अतीत की बोझ लेकर नहीं चल रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ एक बड़ा खिताब जीता है। टीम ने बांग्लादेश में 1998 में मिनी विश्व कप (बाद में यह चैंपियंस ट्रॉफी बन गया) के खिताब को अपने नाम किया है। दक्षिण अफ्रीका एक बार भी आइसीसी विश्व कप के फाइनल में नहीं पहुंचा है।

रबादा ने कहा, यह (चोकर्स का तमगा) कुछ ऐसा है जो कई वर्षों से हमारा पीछा कर रहा है। यह शेक्सपियर की त्रासदी (कहानी) की तरह है, हम इसे बदल सकते हैं। रबादा ने कहा कि उनके जैसे युवा खिलाड़ी टूर्नामेंट में खुले दिमाग के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में आप सकारात्मक रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास विश्व कप जीतने का मौका है। अतीत में क्या हुआ सो हुआ। दक्षिण अफ्रीका के लिए 67 एकदिवसीय में 108 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने कहा, हमारी टीम युवा है और इस में दमखम है। मुझे लगता है कि हमारे लिए यह अच्छा है कि हम में से ज्यादातर खिलाड़ियों ने पहले विश्व कप में नहीं खेले हैं। यह युवा टीम है जिसकी सोच नई है। रबादा को अंतिम ओवरों के विशेषज्ञ गेंदबाज के तौर पर जाना जाता है लेकिन उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होनें कहा कि यह अभ्यास का नतीजा है। उन्होंने कहा, आज के दौर के खिलाड़ी काफी विश्लेषण करते है। इसलिए गेंदबाज और बल्लेबाज अतीत को देखकर भविष्य की तैयारी करते है। उन्होने कहा, यह योजना बनाने से ज्यादा इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके लिय वह दिन कैसा है।

बुमराह से अपनी तुलना किए जाने को दक्षिण अफीका के इस गेंदबाज ने कहा कि यह उनके लिए तारीफ की तरह है।

कागिसो रबादा का दर्द

कहा–हम इसे बदल सकते हैं। मेरे जैसे युवा खिलाड़ी टूर्नामेंट में खुले दिमाग के साथ आए हैं।

बुमराह का डोप परीक्षण किया गया

साउथम्पटन, 3 जून (भाषा) ।

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सोमवार को यहां विश्व डोपिंग रोधी एजंसी (वाडा) ने डोप परीक्षण किया।

भारतीय खिलाड़ियों को भले ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी (नाडा) से डोप परीक्षण करवाने में दिक्कत हो लेकिन विश्व कप जैसी वैश्विक प्रतियोगिता में उन्हें हर हाल में डोप परीक्षण करवाना पड़ता है।

वाडा से मान्यता प्राप्त एजंसी यह परीक्षण करती है। इसके लिए कोई विशेष प्रणाली नहीं है और किसी भी खिलाड़ी को पेशाब का नमूना देने के लिए बुलाया जा सकता है। बुमराह को भी इसी तरह से रैंडम परीक्षण के लिए बुलाया

गया। इस बीच भारतीय मीडिया ने किसी सीनियर खिलाड़ी या कोच को नहीं भेजे जाने के कारण संवाददाता सम्मेलन का बहिष्कार किया। टीम प्रबंधन ने इसके लिए तीनों नेट गेंदबाजों दीपक चाहर, आवेश खान और खलील अहमद को भेजा था।

भारत के खिलाफ नई रणनीति तलाशनी होगी डुप्लेसिस को

लंदन, 3 जून (भाषा) ।

लगातार दूसरी हार से परेशान दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने कहा कि उनकी टीम को विश्व कप में बने रहने के लिए भारत के खिलाफ अगले मैच में नई रणनीति बनानी होगी।

उन्होंने कहा, हम सर्वश्रेष्ठ संयोजन के साथ उतरेंगे। दक्षिण अफ्रीका को पहले मैच में इंग्लैंड ने 104 रन से और दूसरे मैच में बांग्लादेश ने 21 रन से हराया। अनुभवी तेज गेंदबाज डेल स्टेन कंधे की चोट से उबर रहे हैं जबकि युवा तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी के बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट है।

डु प्लेसिस ने कहा, हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि टीम का मनोबल कैसे बढ़ाना है। उन्होंने कहा, भारत की टीम काफी मजबूत है और एक टीम के रूप में हमें पता है कि हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं। हमें इस स्थिति को बदलना होगा। बांग्लादेश से मिली हार के बारे में उन्होंने कहा, यह काफी निराशाजनक है। हम खेल के सभी प्रारूपों में इस समय नहीं चल पा रहे हैं। इसके लिए बदकिस्मती को दोषी ठहराना सही नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी रणनीति आक्रामक गेंदबाजी से उन्हें दबाव में लाने की थी लेकिन चल नहीं सकी। तीन मुख्य तेज गेंदबाजों की गैर मौजूदगी का असर दक्षिण अफ्रीका के प्रदर्शन पर पड़ा।

नहीं खेलेंगे चोटिल एंगिडी

साउथम्पटन, 3 जून (भाषा) ।

दक्षिण अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी भारत के खिलाफ बुधवार को विश्व कप के मैच में नहीं खेल सकेंगे। वहीं वरिष्ठ बल्लेबाज हाशिम अमला अब पहले से बेहतर हैं। एंगिडी को बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में चोट लगी थी और वह चार ओवर के बाद मैदान से चले गए थे।

टीम डाक्टर मोहम्मद मूसाजी ने कहा, एंगिडी को बायीं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है। वह एक सप्ताह से दस दिन तक खेल नहीं सकेगा। कल उसका स्कैन कराया जाएगा और उम्मीद है कि वह वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच तक फिट हो जाएगा। एंगिडी चोट के कारण ही आइपीएल भी नहीं खेल सके थे। उनकी जगह डेल स्टेन को टीम में रखा जा सकता है बशर्ते वह फिट हो जाए। स्टेन ने नेट पर कुछ ओवर डाले लेकिन अभी उनके भारत के खिलाफ खेलने पर तस्वीर स्पष्ट नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल सकते हैं कुलदीप, चहल

साउथम्पटन, 3 जून (भाषा) ।

इंग्लैंड के बदलते मौसम के कारण भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को होने वाले विश्व कप के अपने पहले मैच में गेंदबाजी संयोजन को लेकर थोड़ा परेशान है।

साउथम्पटन के एजिस बाउल की पिच सपाट रहने की संभावना है और ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की धीमी गेंदबाजों के सामने कमजोरी को देखते हुए कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को पहले एकादश में जगह मिल सकती है।

लेकिन सोमवार को बारिश होने और बुधवार को भी बादल छाए रहने और बारिश की भविष्यवाणी के कारण भुवनेश्वर कुमार को बाहर नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में टीम तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। ऐसी स्थिति में टीम को कुलदीप या चहल में से किसी एक को बाहर रखना होगा। इसके अलावा उसे केदार जाधव और विजय शंकर में किसे अंतिम एकादश में रखना है, यह फैसला भी करना होगा।

तैयारी... साउथम्पटन में सोमवार को अभ्यास सत्र के दौरान नेट पर बल्लेबाजी करते महेंद्र सिंह धोनी। विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत पांच जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगा।

भारत स्वदेश में पांच टैस्ट, नौ वनडे और 12 टी-20 खेलेगा

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा) ।

भारतीय क्रिकेट टीम आगामी सत्र में घरेलू सरजमीं पर पांच टैस्ट मैच, नौ एकदिवसीय और 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी।

बीसीसीआइ ने सोमवार को आगामी घरेलू सत्र के कार्यक्रम की घोषणा की जिसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्रीडम ट्रॉफी से होगी और इसका समापन भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला से होगा। खास बात यह है कि ए पांचों टैस्ट मैच टैस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन और बांग्लादेश के खिलाफ दो टैस्ट मैच शामिल है। इस दौरान भारतीय टीम एक भी पूर्ण श्रृंखला (टैस्ट, एकदिवसीय और टी-20) नहीं खेलेगी। भारतीय टीम की घरेलू सत्र की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 सितंबर से शुरू हो रही तीन मैचों की टी-20 श्रृंखला से होगी। जिसके बाद टीम तीन मैचों की टैस्ट श्रृंखला खेली जाएगी। ए टैस्ट मैच विशाखापत्तनम (दो से छह अक्तूबर), रांची (10 से 14 अक्तूबर) और पुणे (19 से 23 अक्तूबर) में खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका की टीम मार्च 2020 में एक बार फिर भारत का दौरा करेगी जिसमें दोनों देशों के बीच तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला होगी। दक्षिण अफ्रीका के बाद बांग्लादेश की टीम के साथ भारत के दौरे पर तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलेगी। टी-20 के बाद टीम बाद इंदौर (14-18 नवंबर) और कोलकाता (22-26 नवंबर) में दो टैस्ट मैचों भी खेलेगी। बांग्लादेश ने इससे पहले 2017 में भारत के खिलाफ एक टैस्ट मैच हैदराबाद में खेला था।

भारतीय टीम इसके बाद दिसंबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय और तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलेगी। जिसका पहला मुकाबला छह दिसंबर को होगा। भारत नए साल (2020) की शुरुआत जिंबाब्वे के खिलाफ पांच से 10 जनवरी के बीच तीन टी-20 मैचों की श्रृंखला से करेगा। इसके चार दिन बाद भारतीय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। घरेलू सत्र का समापन दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे से होगा।

जोकोविच ने बनाया लगातार 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का रेकार्ड

पेरिस, 3 जून (एएफपी) ।

नोवाक जोकोविच सोमवार को यहां फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में लगातार दस बार पहुंचने का रेकार्ड बनाया तो वहीं जापान के केई निशिकोरी को क्ले कोर्ट की सबसे बड़ी चुनौती माने जाने वाले राफेल नडाल से भिड़ना होगा।

शीर्ष वरीय और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच जर्मनी के जान-लेनार्ड स्ट्रफ को बारिश से प्रभावित मैच में 6-3, 6-2, 6-2 से हराकर दूसरी बार एक साथ सभी चार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के सपने को पूरा करने की ओर आगे बढ़े। सर्बिया का 32 साल का यह खिलाड़ी 13वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है जहां उसका सामना नौवीं वरीयता प्राप्त इटली के फैबियो फोगनिनी और पांचवीं वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। जोकोविच (2016) से पहले सिर्फ आस्ट्रेलियाई दिग्गज राड लीवर ने एक ही साथ चारों ग्रैंडस्लैम जीते थे। उन्होंने यह कारनामा 1962 और 1969 में एक कैलेंडर वर्ष में किया।

महिलाओं के वर्ग में अमेरिका की मेडिसन कीज ने कैटरीना सिनिकोवा को 6-2, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की।

काफी अर्से से खराब फार्म से जूझ रही है श्रीलंकाई टीम, दोनों अभ्यास मैचों में भी मिली पराजय

हार से बेजार श्रीलंका का सामना अब अफगानिस्तान से

कार्डिफ, 3 जून (भाषा) ।

दोनों अभ्यास मैचों के बाद विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में भी न्यूजीलैंड से दस विकेट से पराजय झेलने वाली श्रीलंकाई टीम का अब मंगलवार को अफगानिस्तान से खेलेगी तो उसका लक्ष्य जीत की राह पर लौटने का होगा।

पिछले काफी अर्से से खराब फार्म से जूझ रही श्रीलंकाई टीम को पहले मैच में न्यूजीलैंड ने दस विकेट से हराया। 1996 की चैंपियन श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 136 रन पर ढेर हो गई। कप्तान दिमुथ करूणारत्ने (नाबाद 52) को छोड़कर उसका कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। दूसरी ओर स्कोर बोर्ड पर कम रन होने से पहले ही दबाव में आ चुके गेंदबाज भी चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं कर। पिछले विश्व कप की उपविजेता न्यूजीलैंड टीम ने 16 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका की टीम अभ्यास मैच में भी पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी थी। अफगानिस्तान के बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के सामने उसे संभलकर खेलना होगा और बाकी बल्लेबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरी ओर अनुभवी लसिथ मलिंगा की अगुआई में गेंदबाजों को सपाट पिच पर विरोधी बल्लेबाजों की कमजोरियों को भांपकर अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

मैच का समय

दोपहर तीन बजे से

दूसरी ओर अपना दूसरा विश्व कप खेल रही अफगानिस्तान टीम भले ही पहले मैच में पांच बार की चैंपियन आस्ट्रेलियाई टीम से हार गई हो लेकिन उसने 200 से ऊपर का स्कोर बनाया। आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके पांच विकेट दो रन के भीतर गिर गए थे लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और कमोबेश सम्मानजनक स्कोर दिया। कप्तान गुलबदन नायक ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई और उन्हें उम्मीद होगी कि श्रीलंका के कमोबेश कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के सामने उनके बल्लेबाज कसौटी पर खरे उतरेंगे। गेंदबाजी में अफगान क्रिकेट के 'पोस्टर ब्वाय' राशिद खान, हरफनमौला मोहम्मद नबी और हामिद हसन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

टीमें : अफगानिस्तान : गुलबदन नायब (कप्तान), मोहम्मद शहजाद, नूर अली जदरान, हजरतुल्लाह जजाइ, रहमत शाह, असगर अफगान, हशमतुल्लाह शाहिदी, नजीबुल्लाह जदरान, समीउल्लाह शिनवारी, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दौलत जदरान, आफताब आलम, हामिद हसन, मुजीब उर रहमान ।

श्रीलंका : दिमुथ करूणारत्ने (कप्तान), अविष्का फर्नांडो, सुरंगा लकमल, लसिथ मलिंगा, एंजेलो मैथ्यूज, जीवन मेंडिस, कुसाल मेंडिस, कुसाल परेरा, तिसारा परेरा, नुवान प्रदीप, धनंजय डिसिल्वा, मिलिंदा सिरिवर्धना, लाहिरू तिरिमन्ने, इसुरू उदाना, जाफरे वांडेरसे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 198, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।